राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या: 07

मंगलवार,

30 जनवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: जय श्रीराम। जय श्रीराम।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि। माननीय सदस्यगण, आज शहीद दिवस है। आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि दो मिनट मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

(30 जनवरी के शहीद दिवस के अवसर पर सदन द्वारा देश की सेवा करते शहीद हुए दिवंगतों के प्रति दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न काल। श्री रफीक खान।

जयपुर के केन्द्रीय कारागृह का अन्यत्र स्थानान्तरण

56. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार केन्द्रीय कारागृह जयपुर को कैदियों की संख्या तथा सुरक्षा एवं घनी आबादी के बीच में स्थित होने के कारण शहर से बाहर अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में जनाधिक्य की समस्या हेतु जयपुर जेल के सजायाफ्ता बंदियों हेतु

(श्री गजेन्द्र सिंह)

विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालादास (दौसा) संचालित कर दिया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में वैकल्पिक जमीन की उपलब्धि, कैदियों की संख्या व सुरक्षा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या सरकार कोई अल्टरनेट जमीन के लिए भविष्य में विचार रखती है? जयपुर की सेन्ट्रल जेल में कुल मेल और फीमेल कैदियों की संख्या कितनी है और उनकी कैपेसिटी कितनी है? क्या यह सही है कि शहर में जेल असुरक्षित हो गयी है? जेल में हर तरह के ऐशोआराम से सम्बन्धित सामग्री कैदियों को मिल रही है। मोबाइल फोन, जिससे मुख्य मंत्री तक को धमकी मिल जाती है, को रोकने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

मैं तीन-चार अखबारों की कटिंग आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 17.01.2024 को दैनिक भास्कर लिख रहा है कि बीकानेर जेल में बंद अपराधी 842, बाहरी लोगों के संपर्क में। 18.01.2024 में, जेल से 100 नंबर पर कॉल और कैदी की धमकी कि सी.एम. को शूट आउट करूंगा। 10.01.2024 को सेन्ट्रल जेल बंदी ने मोबाइल निगला। इन सब बातों को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल जेल जो है, उसमें कुल कैपेसिटी 1,173 कैदियों की है। जो कन्विक्टेड हैं, जिनको सज़ा दे दी गयी है, वे 406 हैं। जो अंडर ट्रायल हैं वे 1,181 हैं, यानी कुल 1,587 हैं और कैपेसिटी 1,173 की है। इसलिए श्यालादास के अन्दर 700 कैदियों के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। जिसमें से 340 वहां पर अभी हैं। 64 सेन्ट्रल जेल से वहां गये हैं। महिलाओं के बारे में आपने पूछा। जो डिस्ट्रिक्ट जेल महिलाओं की यहां पर है सेन्ट्रल जेल परिसर में, उसमें 250 की कैपेसिटी में 95 महिला कैदी हैं। जो मर्द हैं उसमें 500 में से 499 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यही अर्ज है कि अभी आपकी सरकार ने 19 नये जिले बनाये हैं। उन सभी में डिस्ट्रिक्ट जेल बनेंगी। नंबर वन। उससे क्या होगा कि इन जेलों में से जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां से कैदी वहां शिफ्ट होंगे।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

नंबर दो, माननीय सदस्य का मेन उद्देश्य जो मुझे लग रहा है, वह यह है कि आपके कार्यकाल में, जब सरकार आपकी थी तो आप उस 70 बीघा जमीन को ज्वैलरी हब बनाने की कोशिश कर रहे थे। पांच साल आप सरकार में थे, आपके पास कितना समय था, उसी टाइम आप वित्तीय स्वीकृति दिलाकर शिफ्ट कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। यह डिस्ट्रिक्ट जेल बनने से हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या यह सही नहीं है कि शहरों में जेलें असुरक्षित हो गयी हैं? जिस तरह से मोबाइल मिले हैं और मुख्य मंत्री तक को धमकियां मिली हैं, उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, असुरक्षित एक चीज है और कैपेसिटी एक चीज है। कई जगह मोबाइल की स्मगलिंग वगैरह, हर जेल में वारदातें आती रहती हैं। लेकिन मेरा यह सोचना है कि आज जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, अंत में यह जो वैल्युएबल जमीन है बिलकुल शहर के अन्दर और थोड़ी कैदियों की सिक्योरिटी की रिस्क भी होती है। इतनी घनी आबादी के अन्दर कोई निकल जाये, कर जाये। It is a threat to human life. अंत में यह वैल्युएबल जमीन के एवज में इनको शिफ्ट किया जायेगा। वर्तमान में हम विचार करते हैं और इसमें देखते हैं। जैसा मैंने बोला कि अभी जो काफी लोड है वह जो हमारे जिला जेल बनेंगे उससे शिफ्ट होगा, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है। यह सभी बड़े शहरों में, कितने साल बाद, वित्तीय संसाधन मिलने के बाद में अंत-पंत में यही होगा।

श्री अध्यक्ष: कम से कम संभाग केन्द्रों पर तो आपको विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में श्मशान व कब्रिस्तानों में विकास कार्य

57. **श्री कालूराम** (डग): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में श्मशान, कब्रिस्तान के विकास एवं रख-रखाव के कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस योजनान्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूराम)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित श्मशान, कब्रिस्तान का कार्य अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त को कब तक पूर्ण एवं मरम्मत करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायतों को श्मशान, कब्रिस्तान का विकास एवं रख-रखाव का कार्य नरेगा से करवाये जाने का अधिकार है? यदि हां, तो डग विधान सभा क्षेत्र में उक्त कार्य कब तक करवा लिये जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में श्मशान, कब्रिस्तान के विकास एवं रखरखाव के कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो किस-किस योजनान्तर्गत एवं किस प्रक्रिया अनुसार? क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न पढ़ रहे हैं। मंत्री जी प्रश्न पढ़ रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): जी हां। विधान सभा डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं...

श्री अध्यक्ष: जी हां। उत्तर आ गया। उत्तर ही पढ़ रहे हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): उत्तर पढ़ो उत्तर।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप क्यों उठ रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, धारीवाल जी। माननीय सदस्य।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप बिना बात के ही, मैं उत्तर पढ़ रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कल भी आपको चेतावनी दी थी। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, आपको कल भी चेतावनी दी थी कि बिना पूछे आप खड़े नहीं होंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय धारीवाल जी, सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपने बता दिया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): आप सुनिये, विधान सभा क्षेत्र डग में अगर आपकी भी वहां रुचि हो तो।

श्री अध्यक्ष: जवाब पढ़िये।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना से 214, विधायक मद से 2, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना से 7 तथा एफएफसी/एसएफसी से 7 श्मशान, कब्रिस्तान के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

उक्त कार्य योजनाओं की मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना में 104, विधायक मद में 1, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में 3 कार्य श्मशान, कब्रिस्तान विकास के प्रगति पर हैं जिनको शीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा। उक्त कार्यों में कोई भी कार्य क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं है।

(3) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित श्मशान का विकास कार्य अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित श्मशान के एकबारगी मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण और पुनर्वास किया जाना अनुमत है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्मशान विकास एवं रखरखाव से संबंधित कार्य, ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित होने पर नियमानुसार स्वीकृत कर संपादित किये जा सकते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 214 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बनाये गये हैं और 7 एफएफसी/एसएफसी से बनाये गये हैं। इन्होंने बताया है कि कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है। देखने में यह आता है कि कम से कम आधे से ज्यादा श्मशानों में चद्दर ही नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में जो श्मशान घाट बनाये गये थे, उनको अपनी सरकार क्या सही कराने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में डालना चाहता हूं कि श्मशान एवं कब्रिस्तान 230 स्वीकृत किये गये थे उनमें से 122 बन गये, 108 निर्माणाधीन हैं। अधूरे जो

(श्री किरोड़ी लाल)

पड़े हैं और ये जो बता रहे है उनमें कोई क्षति है तो मनरेगा में एक बार उसका जो डैमेज हुआ है उसको स्वीकृत करके कराया जा सकता है दुबारा क्षतिग्रस्त होगा तो नहीं कराया जाएगा। माननीय सदस्य यदि ऐसी कोई सूची दे देंगे तो हम उसकी स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 104 अभी अधूरे बता रहे हैं, 4 और अन्य मद से, ऐसे करके 108, ये 108 साल 2018 से स्वीकृत थे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2018-19 में स्वीकृत हुए और मौके पर कोई काम नहीं हुआ और दस-दस, बारह-बारह लाख रुपये इनमें उठ गए हैं। क्या जिन पंचायतों ने यह राशि उठा ली है, उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही करेंगे या कोई अधिकारी या कोई जे टी ए ने गलत एम बी भरी है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रमाण सहित शिकायत देंगे तो पूरी जांच करके दंडित किया जाएगा। 2018 से पेंडिंग है, पिछली सरकार ने सुस्ती बरती, कोई बात नहीं, हम तेज गति से कार्य कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है इसी में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अल्टीमेटली सबको लास्ट में वहीं जाना है। काफी जगह जो श्मशान घाट और कब्रिस्तान हैं, इन पर अतिक्रमण हैं या कई श्मशान घाट या कब्रिस्तान आज भी रिकार्ड में नहीं हैं। क्या सरकार कोई अभियान चलाकर जो रिकार्ड में नहीं हैं उनको रिकार्ड में दर्ज करवाने की कोई मंशा रखती है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): श्मशान या कब्रिस्तान पर जहां भी अतिक्रमण होता है, जिला प्रशासन उसको हटाता है और अगर बेशुमार कालोनी भी बस गई हैं तो आप इस बात की जानकारी दें, उस पर यदि अतिक्रमण है तो हम राजस्व मंत्रीजी के नोटिस में लाकर, मैं उनको कहता हूं, उनको हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं

58. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अस्पताल, बहरोड़ में जिला अस्पताल स्तर की पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे?

(2) उक्त अस्पताल में कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे?

(3) क्या जिला अस्पताल, बहरोड़ जिला अस्पताल स्तर का भवन है? यदि नहीं, तो उक्त स्तर का भवन कब तक तैयार करवा दिया जाएगा?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जिला चिकित्सालय, बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड (पूर्व जिला अलवर) को दिनांक 23.05.2022 को 125 शय्याओं से वृद्धि कर 150 शय्याऔंयुक्त जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की पदों सहित स्वीकृति जारी की गई है। इसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित है।

सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय, बहरोड़ में जिला अस्पताल स्तर की पर्याप्त सुविधाएं/संसाधन जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण, आपातकालीन सेवाएं (104/108) ट्रोमा, आई.सी.यू., ब्लड स्टोरेज यूनिट तथा मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) एवं जांच योजना अन्तर्गत आवश्यक दवाइयां व जांचें आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(2) जिला चिकित्सालय, बहरोड़ में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी जी पूर्ण चिकित्सक से उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

जिला चिकित्सालय, बहरोड़ में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवश्यक अस्थायी आधार (यू.टी.बी.) पर 6,000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्मिक लगाये गये हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जिला अस्पताल बहरोड़ वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है।

भारत सरकार की एन.एच.एम. पी.आई.पी. वर्ष 2022-23 के तहत राशि रुपये 4,093.00 लाख की स्वीकृति उप जिला अस्पताल के लिए प्राप्त हुई है एवं दिनांक 22.09.2023 को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त उप जिला अस्पताल का नव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

जिला अस्पताल स्तर के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 3,407.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। जिला अस्पताल स्तर को भवन निर्माण, चालू/आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्री महोदय, बीच में टोक रहा हूं। मैं आपके इस लिखित जवाब से संतुष्ट हूं। मुझे जो पूछना है उसका बता दें आप तो।

श्री अध्यक्ष: हां, सप्लीमेंट्री पूछिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जिला अस्पताल के अन्दर मनुष्य आता है कि उसकी जिन्दगी बचेगी, उसको सुविधाएं मिलेंगी। हमारे बहरोड़ का जो जिला अस्पताल है शायद पहला ही जिला अस्पताल हो सकता है जहां पर सीटी स्कैन नहीं है, जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है, अल्ट्रासाउण्ड मशीन नहीं है, एम.आर.आई. मशीन नहीं है। डिजिटल एक्स-रे मशीन कभी आई थी वो भी खराब पड़ी हुई है। मुझे तो आप स्पेसिफिक यह बता दें कि जब जिला अस्पताल है, उसके अन्दर नोर्म्स में आता है कि ये सब सुविधाएं होनी चाहिए तो ये कब तक आप उसके अन्दर अवेलेबल करवा देंगे? मेरा बस यही सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन मेरे सामने आया था, उसमें माननीय सदस्य ने बेसिकली स्टाफिंग क्या है, फैसिलिटी क्या है, यह पूछा था पर आप कह रहे हैं कि उसको...

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं बहरोड के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, बहरोड़ के बारे में ही बता रहा हूं, मैं उसको स्किप कर देता हूं। इसमें ऐसा है कि बहरोड़ हास्पिटल सी एच सी था, उसके बाद में 2020-21 में सब डिविजनल हॉस्पिटल बन गया, उसके बाद जिला बनने के बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का दर्जा मिल गया। अब इसमें ऐसा है कि लगभग 41 करोड़ रुपये खर्च होगा, इसको सब डिविजनल हास्पिटल की स्टेज में लाने के लिए और वो जनवरी, 2025 तक उसका काम कम्प्लीट हो जाएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, उसका मैं सिम्पल कम्पेरिजन करके जवाब देता हूं। सब डिविजनल हास्पिटल के अन्दर 125 बेड होते हैं, उसके बाद में आपके 34 करोड़ रुपये फरवरी में आ जाएगे।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्रीजी, माफ करना, ये तो आप दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर सुन लीजिए, फिर पूछिए। मैं आपको दुबारा प्रश्न पूछने का मौका दूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका कार्य दो स्टेजेज में होगा, फर्स्ट टू कम्प्लीट एस.डी.एच. और उसके बाद जो 34 करोड़ रुपये आएंगे उससे आपको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में ले जाएंगे। सब डिविजनल हास्पिटल में 125 बेड होते हैं। इनके पास अभी हो जाएंगे जनवरी तक और डिविजनल हास्पिटल बनेगा तो आपके हो जाएंगे 150 बेड। ओ.पी.डी. आपके बनेंगे 12 और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा वो हो जाएंगे 18, तो 12 आपके जनवरी तक हो जाएंगे। 3 आपरेशन थियेटर आपके जनवरी तक हो जाएंगे उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनेगा तो 5 हो जाएंगे। लेबर रूम की 8 टेबल्स से 10 टेबल्स हो जाएंगी। मातृ-नवजात शिशु केन्द्र 21 बेड से 31 बेड का हो जाएगा। आक्सीजन जनरेशन प्लांट आपके लगेगा, मेडिकल गैस लाइन सिस्टम लगेगा। बी.पी.एच.यू. जो कि एक लेबोरेटरी है, अपने सब सी.एच.सी. के अन्दर, हर ब्लाक के अन्दर राजस्थान के अन्दर उसकी स्वीकृति आ रही है, फेज मैनर में कि जितने भी पंचायत समितियों के अन्दर सी.एच.सी. है, दों सी.एच.सी. हो तो वो अलग चीज है, वन सी.एच.सी., बी.पी.एच.यू. क्या होगा कि 75 लाख रुपये का भवन बनेगा, 40 लाख रुपये की उसके अन्दर मशीनें आएंगी और 12 स्टाफ आपका होगा। वो एक लेबोरेटरी होगी, अल्ट्रासाउण्ड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्स-रे, ये सब होंगे। आपके

(श्री गजेन्द्र सिंह)

बी.पी.एच.यू. बनेगा, जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनेगा और यह आई.पी.एच.एल. बन जाएगा। जो हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बहुत बड़ी लेबोरेटरी बन रही है, वो आपको सब जिलों में मिलेगी। उसकी मोर्चरी बनेगी, किचन बनेगा, लाण्ड्री रूम बनेगा, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र बनेगा। एडिशनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस जो आपने मेरे से चर्चा की थी, वो बेसिक, एडवांस और मोटर साइकिल वाली आपके बहरोड़ में चल रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम, पार्किंग, एस टी पी, जब आपका डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनेगा तो वहां पर आपको सेमिनार रूम भी मिलेगा। 5 बेड हाई डिपेंडेंसी आई.सी.यू. अपग्रेडेड बनेगा।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्रीजी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बन गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय को बता दिया है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्रीजी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बन गया, लिख भी दिया जिला अस्पताल। मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें ये जरूरत है जो मैंने पूछा है आपसे, ये कब तक आप अवेलेबल करवा देंगे? पिछली सरकार ने आलरेडी 40 करोड़ रुपये तो मंजूर कर दिए, ये सब काम तो चालू हो गए। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड एम्बुलेंस, एम.आर.आई. मशीन, डिजिटल एक्स-रे, ये सब जरूरी है जिला अस्पताल के अन्दर, आप ये सब कब तक अवेलेबल करवा देंगे? यह सवाल है मेरा स्पेसिफिक।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा था कि सब डिविजन हास्पिटल इनका जनवरी में कम्प्लीट होगा, सुविधाएं तो तभी प्राप्त होंगी जब वो 41 करोड़ रुपये होंगे। एम.आर.आई. और सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं, हमारे स्टेट के अन्दर हम इनको आउटसोर्स कर रहे हैं पी.पी.पी. मोड के अन्दर, पी.पी.पी. मोड में जैसे हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी हैं मशीनें, इतना बिजनेस वोल्यूम मिलता है तो 2,500 रुपये में एम.आर.आई., सीटी स्कैन कर देते हैं जो मार्केट में 8,500 रुपये में करते हैं। दूसरी चीज यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि

(श्री गजेन्द्र सिंह)

पी.पी.पी. मोड पर जो आएगा, वो आएगा जब उसको वोल्यूम मिलेगा, अब आपके बहरोड में क्या वोल्यूम होगा, उसके आधार पर अगर वोल्यूम होगा और जरूरत पड़ेगी तो एम.आर.आई. और सीटी स्कैन मशीनें आपके लग जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

59. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय से पांच किमी से अधिक दूरी पर होने के उपरांत भी क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सुमेरगढ़ खेड़ा, सेलड़ी, बेदाना कलां के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक विद्यालय, आलावा सी व देवगढ़ छापरिया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में निम्नांकित 06 रा.उ.प्रा.वि. ऐसे हैं, जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 05 किमी. से अधिक दूरी होने के उपरांत भी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं:-

1. रा.उ.प्रा.वि., सेलड़ी
2. रा.उ.प्रा.वि., पिपरला ढाणी
3. रा.उ.प्रा.वि., उखरडा
4. रा.उ.प्रा.वि., दूदिया
5. रा.उ.प्रा.वि., नबी
6. रा.उ.प्रा.वि., मेडा निचला

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के रा.उ.प्रा.वि. सुमेरगढ़ खेड़ा, सेलड़ी एवं बेदाना कलां (बेदाना पुराना) को रा.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

अब सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डानुसार/ आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर तथा वित्तीय प्रावधानान्तर्गत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.प्रा.वि., आलावा सी एवं देवगढ़ छापरिया को रा.उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

अब सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डानुसार/ आवश्यकता के अनुपातानुसार आकलन किया जाकर तथा वित्तीय प्रावधानान्तर्गत उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उक्त विद्यालय, जैसे- सुमेरगढ़ खेड़ा, सेलड़ी, बेदाना कलां, मीतड़ी, इन्हें उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना है और आलावा सी और देवगढ़ छापरिया, इन्हें उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप यह घोषणा करें कि अगले सत्र से ये सभी विद्यालय क्रमोन्नत होकर शुरू हो जाएंगे। यह मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने ये क्रमोन्नत नहीं किये। जान-बूझकर माननीय सदस्य को यहां प्रश्न पूछना पड़ा है। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास एक विद्यालय अधिशेष है, मैं आलावा सी को क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सुमेरगढ़ खेड़ा को भी उच्च माध्यमिक बना दें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान अनुसार कोशिश करेंगे कि जिस विद्यालय की ये मांग करेंगे, उसे क्रमोन्नत कर दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, मंत्री जी ने जवाब दिया कि निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त हो गया था और पिछली सरकार ने क्रमोन्नत नहीं किया। अब आपकी सरकार भी क्रमोन्नत नहीं कर रही तो फिर आपमें और हम में क्या अन्तर रह गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर देंगे, उन्होंने अभी घोषणा की।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे सिर्फ एक को क्रमोन्नत करने की बात कह रहे हैं। मैं तो आपके सदस्य की ही बात को बड़ी कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आये हुए हैं और आपने जवाब दिया है कि वे क्रमोन्नत होने लायक थे, वे स्कूल पिछली सरकार ने क्रमोन्नत नहीं किये तो क्या आप पांचों स्कूल्स को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नोर्म्स के हिसाब से जो भी हमारे सामने विद्यालय आएंगे और बजट में जो प्रावधान होगा, उसके अनुसार हम विद्यालय खोलने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नोर्म्स थोड़ी बदलेंगे?

श्री अध्यक्ष: वह तो सरकार पर रहेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पिछले दो-तीन दिनों से लगातार सत्ता पक्ष पिछली सरकार पर बात को डाल रहा है। मैंने यह बात पहले भी कही है, ...(व्यवधान) आप बात को सुनिये। आपके मंत्री जवाब देने में सक्षम हैं। मजबूत मंत्री हैं, जवाब देंगे, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप जब यह कह रहे हैं कि नोर्म्स में है और क्रमोन्नत होना चाहिये था, ऐसे में यदि पिछली सरकार ने नहीं किया तो ये करें। फिर हममें और इनमें अन्तर क्या रह गया?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रोहित बौहरा।

राजाखेड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की कार्ययोजना

60. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा

(श्री रोहित बौहरा)

की गयी थी? यदि हां तो कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोल दिये गये? नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं। विगत पांच वर्ष में विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्वीकृत एवं क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:

नवीन उप-केन्द्र खोले गये 23, उप-केन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 1, पशु औषधालय से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत 2, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय से पॉलीटेक्निक में क्रमोन्नत 1, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैंने सुन लिया। मैं सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पहले ही बोल देते। उन्होंने आधा तो बोल ही दिया। चार लाइनें हैं, इन्हें बोल लेने दें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मुझे क्या पता था ये ऐसे जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: आपको पूरा टाइम दूंगा। या तो आप शुरू में ही कह देते, मैं उत्तर नहीं बुलवाता।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो अब बन्द कर दें न।

श्री अध्यक्ष: अब हो जाने दें। चार लाइनें हैं, लम्बा होता तो मैं कह देता।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (2) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं। पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोले/क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, आप तो मुझे तीन चीजें बता दीजिये। सबसे पहले, जो आपने मल्टीपरपज प्रथम श्रेणी

(श्री रोहित बौहरा)

चिकित्सालय बनाया राजाखेड़ा प्रोपर में, उसमें क्या आपने डाक्टरों की पोस्टिंग कर दी? जब से नयी सरकार आयी है, सौ दिन की आपकी जो कार्ययोजना है, क्या आपने उसमें इसे ले रखा है? क्या इसमें भी आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं? हां या ना में जवाब दीजियेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठे-बैठे न बोलें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बैठे-बैठे मत बोलो। हिम्मत है जो जोरों से बोलो। (व्यवधान) दूसरा, मछरिया, खनपुरा और दिहोली, ये तीन पशु उप-चिकित्सा केन्द्र थे, जिन्हें पिछली सरकार ने क्रमोन्नत किया। क्या उनमें नयी बिल्डिंग के लिए आपके पास फंड्स हैं या नहीं? यदि फंड्स हैं तो कब तक ये बिल्डिंग बन जायेगी और इसमें डाक्टर्स की कब तक पोस्टिंग हो जायेगी, क्योंकि अभी भी सिर्फ कंपाउंडर्स के भरोसे ये तीनों-चारों हास्पिटल्स चल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कब से?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जब से ये क्रमोन्नत हुए हैं, तब से। और आप बीच में मत बोलिये, आप मंत्री जी हैं, उन्हें जवाब देने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा संवाद मत करिये, आसन को बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, यदि वे डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे ही जवाब पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए मैं हूं, आप नहीं हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो आप टोकें फिर उन्हें।

श्री अध्यक्ष: मैं कहूंगा न, आप बीच में नहीं बोलें। मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, पिछली सरकार ने 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी, जो आर पी एस सी में साक्षात्कार के लिए प्रक्रियाधीन है। उच्चतम न्यायालय से भर्ती पर रोक लगी हुई है। रोक हटते ही जहां भी जरूरत होगी, वहां नियुक्तियां करेंगे।

दूसरा, 1,436 पशुधन सहायकों की भी भर्ती निकाली गयी थी। उसमें से 1,177 की नियुक्तियां हो गयीं और शेष पर न्यायालय की रोक है। वह रोक हटते ही उसे भी करेंगे। तीसरी, अभी भर्ती के बारे में भी बता देता हूं।

(श्री जोराराम कुमावत)

5,934 पशु परिचरों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 07/2023 दिनांक 06.10.2023 को जारी किया जा चुका है, जिसमें बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2024 को ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19.01.2024 से आमंत्रित किये गये। ये भी प्रक्रियाधीन हैं।

भवन की जहां तक बात है, पॉलीटेक्निक के लिए और दूसरे जितने भवन हैं, आपने पांच सालों में जितने भी सब-सेंटर्स खोले, पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किये, उनमें भवन का प्रावधान आपने किसी में नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। मंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर आने दें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): भायल साहब, वे सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दें पहले।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 2023-24 में 2,639 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की घोषणा की, लेकिन घोषणा में उन्होंने 900 ही खोले, 1,739 खोले भी नहीं। इसके लिए बजट का प्रावधान भी नहीं किया। भवनों का प्रावधान नहीं किया। निश्चित रूप से, पिछली सरकार ने जो कमियां रखी हैं, उनका एनालिसिस करवाकर हम आगे कार्रवाई करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय, धन्यवाद। आप एनालिसिस तो बाद में करा लीजियेगा, जो एक्चुअल प्रश्न था, उसका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था ...(व्यवधान) सर, इनका प्रोब्लम क्या है? ये मंत्री के साथ जवाब क्यों दे रहे हैं? मंत्री महोदय, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि आप इन डाक्टरों की कब तक पोस्टिंग कर देंगे? मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि एडवर्टाइजमेंट कब निकला, वगैरह, वगैरह। वह मेरा डायरेक्ट प्रश्न नहीं था। मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न यह है...

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी वह कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आते ही हम उसको जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ललित मीना।

किशनगंज में आबंटित खनन लीज

61. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में किस-किस स्थान पर खनिज की लीज आबंटित है?

(2) जिला बारां में विगत पांच वर्षों में किस खनिज पर किसे व कब लीज दी गई? लीज के मालिक का नाम व स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में बजरी की लीज संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में लीज जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आबंटित खनन पट्टों की स्थान सहित सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला बारां में विगत पांच वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.12.2023 तक) में आबंटित खनन पट्टों के खनन पट्टाधारी का नाम, स्थान, खनिज एवं खनन पट्टे के प्रारम्भ की तिथि सहित सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) बारां जिले में खनिज बजरी के आबंटित दो खनन पट्टों में पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में खनन कार्य संचालित नहीं है। पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त होने के पश्चात् इनमें खनन प्रारम्भ हो सकेगा। उक्त दोनों खनन पट्टों के अतिरिक्त खनिज बजरी के नवीन खनन पट्टे आबंटित करने हेतु तहसील अटरू, छबड़ा व छीपाबड़ौद में प्लाट चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट-1 में बताया है कि किशनगंज में पिछले पांच साल में 15 पट्टे खनन विभाग ने जारी किये हैं और पूरे बारां जिले में 22 पट्टे जारी हुए हैं। ये जो पट्टे जारी किये गये हैं, इनके

(श्री ललित मीना)

अलावा भी पिछले पांच साल में बारां जिले में तथा किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में खनन हुआ है। जहां लीज नहीं थी। काकरदा रोड पर, पार्वती नदी में, करोरी कलां में, मिसाई रोड पर पिछले पांच साल में अवैध माइनिंग, बजरी और पत्थर निकालने का मनमाने तरीके से काम किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या सरकार उन पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? कब तक कार्यवाही करेगी? पिछले डेढ़ माह में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, उन पर आपने क्या कार्यवाही की? मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों में जो अवैध खनन हुआ है जहां पट्टे नहीं थे, उन पर कितने दिनों में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का जिला बारां है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माइनिंग में जितनी भी चोरी हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, उसके लिए 15 जनवरी से बहुत तगड़ा अभियान चलाया है। 15 जनवरी से आज तक बारां जिले के अन्दर 18 अवैध खनन पकड़े गये, 38 अवैध निर्गमन पकड़े गये, 28 अवैध भण्डारण सीज किये हैं।

माननीय सदस्य को पर्टिकुलर एरिया में जहां शिकायत है, वह मुझे आप बतायें। हम जल्दी से जल्दी हमारे अधिकारियों को भेजकर कार्यवाही करेंगे।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां पट्टे जारी नहीं होने के बावजूद, जहां पर लीज नहीं थी, वहां पिछले पांच साल में खनन हुआ है, वहां पर टीम बनाकर आप कार्यवाही कब तक करेंगे?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन, बजरी में मनमानी कीमतें ली जाती हैं तो सरकार कीमतें निर्धारित करने का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 15 जनवरी से यह अभियान चल रहा है। इसके अन्दर जितनी भी चोरियां, शिकायतें और लीज की समस्याएं हैं, हम उनको धीरे-धीरे दूर करेंगे। माननीय सदस्य, जहां पर ऐसी अवैध चीजें हो रही हैं, मुझे उसकी लिस्ट दें, हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

आकाशीय बिजली से पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा

62. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में उक्त योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं? आवेदनों की संख्या एवं मुआवजा राशि सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिहीन पशुपालक को आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा देय नहीं है? यदि हां, तो प्रदेश में विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने आवेदन निरस्त किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) जी हां। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों से विगत तीन वर्षों में कुल 532 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 435 आवेदनों में भारत सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स दिनांक 08.04.2015 एवं 10.10.2022 के अनुसार कुल राशि 115.94 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई। 53 आवेदन लम्बित हैं, जिनमें से 26 आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लम्बित हैं तथा 27 आवेदनों में भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। दिनांक 10.10.2022 से पूर्व भूमिहीन पशुपालकों को सहायता देय नहीं थी।

भारत सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स दिनांक 08.04.2015 के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता देय नहीं होने के कारण 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त किये गये। किन्तु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार भूमिहीन पशुपालकों को भी पशु की मृत्यु होने पर सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने बिन्दु संख्या (1) में बताया है कि 26 लम्बित आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए, जो बिना दस्तावेजों के रह गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनकी पूर्ति करने के लिए क्या विभाग के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कितने वर्षों से लम्बित पड़े हैं? क्या हम विभाग के द्वारा एक्टिव होकर आवेदकों से मिलकर इन दस्तावेजों की पूर्ति करवा सकते हैं?

दूसरा, यह है कि बिन्दु संख्या (2) में आपने बताया है कि 2015 से 2022 तक एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के अनुसार इस पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त हो गये हैं। ऐसे जो गरीब पशुपालक हैं, क्या सरकार कोई ऐसी योजना के माध्यम से इन 17 लोगों को लाभान्वित कर सकती है? कृपया माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य के 26 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आवश्यक दस्तावेजों का अभाव था। अगर अभी भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे तो 26 पशुपालकों की राशि रिलीज कर दी जायेगी।

दूसरा, आपने कहा है कि 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं। वे इसलिए निरस्त कर दिये गये हैं कि दिनांक 08.04.2015 की गाइडलाइंस के अनुसार, जो भूमिहीन पशुपालक थे, उनको सहायता देने का प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान दिनांक 10.10.2022 को भारत सरकार से आये हैं। जो भूमिहीन पशुपालक थे, उनको प्रावधान है देने का, 2015 से 10.10.2022 के बीच में प्रावधान नहीं था। इसलिए जो निरस्त हो गये, उनमें अब सहायता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा है कि पशुपालक आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर देते हैं तो उन पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, परन्तु क्या विभाग भी इसमें आगे होकर उनके दस्तावेजों की पूर्ति के लिए उनसे सम्पर्क करने का प्रयास करेगा, ताकि शीघ्र से शीघ्र दस्तावेज वे जल्दी पूर्ण कर लें?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हमने पिछले तीन साल के ऐसे जो

(श्री किरोड़ी लाल)

पशुपालक हैं उनको सूचित कर दिया है। उनको यह कह दिया गया है कि पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीमान्त कृषक, लघु कृषक अगर अब भी प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो उनको भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के उपाय

63. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए कितने लोगों के सैम्पल लिए गये व उक्त में से कितनों में सिलिकोसिस के लक्षण पाये गये? जिलेवार, वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला डूंगरपुर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक कितने सिलिकोसिस मरीजों की पहचान हुई? उक्त मरीजों को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किस-किस योजना में क्या-क्या लाभ दिया गया तथा कितने वंचित हैं? ब्लाकवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु खनन कम्पनियों एवं कारखानों को सावधानी बरतने हेतु कोई विशेष नियम बनाने एवं जुर्माने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए 2,30,213 लोगों की सैम्पलिंग/स्क्रीनिंग की गई व 24,386 लोगों में सिलिकोसिस के लक्षण पाये गये। जिलेवार, वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर में वर्ष 2019 से 2023 तक कुल 113 सिलिकोसिस मरीजों की पहचान की गई। जिला डूंगरपुर में वर्ष 2019 से 2023 तक 113 सिलिकोसिस मरीजों को सिलिकोसिस पोर्टल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

सिलिकोसिस रोगी को सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सिलिकोसिस नीति के तहत पुनर्वास सहायतार्थ 03 लाख रुपये, सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपये व अन्तिम संस्कार हेतु 10

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं सिलिकोसिस रोगी को 1,500/- रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

जिला डूंगरपुर में उक्त मरीजों में से राज्य सरकार द्वारा 64 मरीजों को सिलिकोसिस (जीवित) सहायता स्वीकृत कर भुगतान किया गया। इनमें से एक प्रकरण में 2.00 लाख रुपये एवं 63 प्रकरणों में 3.00 लाख रुपये प्रति पीड़ित (कुल राशि 191.00 लाख का) भुगतान किया गया है एवं 49 मरीजों के प्रकरणों में 3.00 लाख रुपये प्रति पीड़ित (कुल राशि 147.00 लाख) की भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किये जा चुके हैं। उक्त 113 मरीजों में से 38 मरीजों को सिलिकोसिस पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) दी जा रही है। 75 प्रकरण पेंशन से वंचित हैं। ब्लाकवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पालनहार योजना के अन्तर्गत 27 सिलिकोसिस पीड़ितों के 56 बच्चों को पालनहार सहायता (0-6 वर्ष तक के बच्चों को 750/- रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक के बच्चों को 1,500/- रुपये प्रतिमाह एवं 2,000/- रुपये वार्षिक एकमुश्त राशि) दी जा रही है।

(3) सरकार द्वारा उक्त बीमारी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए खान विभाग द्वारा खानधारकों को सावधानी बरतने हेतु नियम बनाये हुए हैं जिनमें इस बीमारी की रोकथाम हेतु खानधारकों द्वारा उपाय करने के नियमों में प्रावधान किये हुए हैं। इन नियमों के उल्लंघन करने पर खानों का नियमानुसार निरीक्षण कर खानधारकों को नोटिस दिया जाता है। नोटिस की नियत समयावधि पश्चात् भी पालना नहीं की जाने पर खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस खण्डित करने का प्रावधान है। सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के उपचार के लिये मुआवजा देने के भी प्रावधान हैं।

इस संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निम्न नियम बनाये हुए हैं-

1. खान अधिनियम, 1952 के धारा 25 में सिलिकोसिस को नोटिफाइड बीमारी घोषित किया हुआ है, जिसके क्रम में खनन कम्पनियों द्वारा सरकार को सूचित करना आवश्यक है।

2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम 34 में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु पर्याप्त प्रावधान किये हुए हैं।

3. राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की गहनता एवं महत्ता को देखते

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा न्यूमोनियोकोसिस नीति, 2019 घोषित की गई है जिसमें प्रमुखतया सिलिकोसिस बीमारी की पहचान, रोकथाम, निवारण एवं सहायता के पर्याप्त प्रावधान किये हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष जी, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, विराजें। वे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, सिलोकोसिस बीमारी को लेकर मेरा सवाल था। पिछले 04 वर्षों में पूरे राजस्थान के अन्दर 2 लाख 30 हजार 213 लोगों की सैम्पलिंग हुई, इनमें से 24 हजार 386 लोग सिलिकोसिस से पीड़ित पाये गये हैं। इनमें लास्ट में परिशिष्ट-अ दिया गया है, जो जिलेवाइज सैम्पलिंग हुई है। इसको लेकर मैं सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जो ट्राइबल इलाका है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, इसकी सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे तो 2019 में 52 सैम्पलिंग हुई, 05 उसमें पीड़ित पाये गये। मैं लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन 2020 का अपन देखेंगे 14 नम्बर पर कि पूरे साल में एक भी सैम्पलिंग नहीं हुई। सिलिकोसिस को लेकर एक भी सैम्पलिंग नहीं हुई। यही स्थिति तीनों जिलों में पायी गयी है। मतलब चार साल में 02 लाख से अधिक सैम्पलिंग कर रहे हैं, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इलाका है इसमें जितनी माइनिंग है, जितने क्रेशर प्लांट हैं, जितने कारखानें हैं, इतनी भी सैम्पलिंग नहीं हो रही है तो यह सैम्पलिंग पिछली सरकार जो भी हो उन्होंने जो किया है, उनकी लापरवाही रही तो उनको भुगतना पड़ा है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, प्रश्न मेरा यह है कि जहां पर जो माइनिंग चल रही है उन पूरी ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सारे लोगों की आप सैम्पलिंग करने का विचार रखते हो या नहीं?

दूसरा, मेरा सवाल है कि इनके जो पीड़ित पाये गये हैं उनको पेन्शन देने का प्रावधान है तो डूंगरपुर जिले में पिछली बार चार सालों में जो पेन्शनधारक थे उनमें 38 लोगों को ही आप दे रहे हो, 75 लोग आज भी वंचित हैं तो ये 75 लोग किस कारण वंचित थे और उनको कब पेन्शन दोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैम्पलिंग जो की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि सबसे ज्यादा सिलिकोसिस प्रोन जिले कौन से हैं। मैं आपका एक मिनट लूंगा, आज की तारीख में जो डिसेन्डिंग आर्डर है वह सबसे ज्यादा जोधपुर जिला 1,361 जो कि 23 प्रतिशत पूरे राजस्थान का है और उसके बाद है दौसा 1,302, करौली 1,278 नंबर 3, इसके बाद में बहुत कम हो जाते हैं। धौलपुर 340, पाली 208, नागौर 197, भरतपुर 180 है। आपने जो जिले बताये हैं डूंगरपुर में 91 केसेज हैं, प्रतापगढ़ में 13 हैं और बांसवाड़ा में 3 हैं। फिर भी जहां भी आपको कुछ भी हो कि सैम्पलिंग ज्यादा नहीं हो रही है तो सैम्पलिंग हम बढ़ा देंगे उसकी कोई आपको चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सिलिकोसिस के पेशेन्ट आते हैं जहां पर मूर्तिकार ज्यादा होते हैं। माइन्स में क्या होता है कि जो ड्राइड ड्रिलिंग माइन्स का करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं और मूर्तिकार सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। बजरी की खानें होती हैं तो एक तो मैंने आपको आश्वासन दे दिया, मैंने बता दिया कि आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तो बहुत लो..

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न यह है कि जिनको मासिक पेन्शन नहीं मिल रही है, वह आप कब तक दे देंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर में 113 केसेज के लैटर्स आये थे सिलिकोसिस पोर्टल पर। इनमें से 63 को 03 लाख रुपये दे दिये और टोटल 191 लाख डिस्बर्समेंट हो गया। जो 49 हैं उनको 03 लाख रुपये...

श्री अध्यक्ष: बाकियों को कब तक दे देंगे? यह है प्रश्न।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 147 लाख रुपये अप्रूव्ड हैं और वो जल्दी ही दे दिये जायेंगे। 38 पेशेन्ट सिलिकोसिस पेन्शन 1,500 रुपये दे चुके हैं और 75 को पेन्शन नहीं मिली है इनको जल्दी दे दी जायेगी। पालनहार योजना और यह जो है इसमें अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज है...

श्री अध्यक्ष: हो गया। आपके दोनों उत्तर आ गये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि हमारा जो माइनिंग इलाका है बांसवाड़ा में मूर्तियों के काफी कारखानें हैं, उस

(श्री राजकुमार रोत)

क्षेत्र में वहां पर जो लेबर काम करने वाली है, उन सभी की सैम्पलिंग की जाये, यह मेरी मंशा है। दूसरी चीज, मैं यह चाहूंगा कि जो खननधारक लापरवाही करते हैं उन पर कार्यवाही करने का प्रावधान है तो पिछले चार साल में गवर्नमेंट के द्वारा सिलिकोसिस को लेकर जो प्रावधान बने हुए हैं कि इस माइनिंग में यह-यह परहेज रखना चाहिये, नियमावली के तहत लेबर को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है तो हण्ड्रेड परसेंट खननधारक वह सुविधा उपलब्ध नहीं कराते तो इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम इनके सैम्पलिंग बढ़ा देंगे और इनके जो भी पुनर्वास या डेथ या जो इनके फ्युनरल के और बच्चों के जो हैं वो हम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एक ही अर्ज है कि इसके अन्दर हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और माइन्स, तीन डिपार्टमेंट का रोल रहता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन

64. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से कितनी प्रतिभाओं का चयन राज्य, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ तथा कितनों का चयन राज्य सरकार में कर्मचारियों के रूप में हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ओलंपिक में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में खेल कोटे से पात्र खिलाड़ियों की राशि का भुगतान कितना बकाया है व कितने खिलाड़ियों का नौकरी में चयन होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में 40,92,56,890/- राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 1,55,46,72,500/- राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आधार पर राज्य, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तरीय अन्य प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं के चयन या सरकारी सेवा में आउट आफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।

माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी।

(4) राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम के तहत 7,145 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी समीक्षा व प्रमाणीकरण पश्चात् पात्र खिलाडियों को देय राशि का निर्धारण होगा।

आउट आफ टर्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु 142 खिलाड़ियों के आवेदन चयन प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि सदन को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया है। एक तो इन्होंने खंड-3 में लिखा है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी हनन हुआ है। मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई, दस लाख से अधिक व्यय की तीन अधिकारियों को चार्जशीट मिली, बी डी ओ और वहां के सी बी ई ओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसाराम को, और इन्होंने छुपाया तथ्य कि हमारी ऐसी कोई जांच नहीं हुई। दूसरा, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं पूछूंगा साहब, पहले इनकी गलती...

श्री अध्यक्ष: भूमिका तो आ गयी, प्रश्न पूछिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्रम संख्या (8) पर इन्होंने टोटल अमाउंट दिया है 05 लाख रुपये, जिसका अगर टोटल करें तो यह अमाउंट 05 लाख रुपये से अधिक राशि का बन रहा है, इसलिये आंकड़े गलत न दें, हमारे सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने खंड-2 में लिखा कि राज्य, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी का चयन नहीं करेंगे तो फिर 1 अरब 95 करोड़ रुपये की राशि इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में खर्च हुई तो युवाओं के साथ ऐसा क्यों किया गया और इसका क्या कारण रहा होगा? माननीय मंत्री महोदय, आप इस तरह के खेल करा कर युवा...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दिलाता हूं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। इसकी आप जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आंकड़े चाहता हूं 01 अरब 26 करोड़ रुपये के टी-शर्ट और निकर खरीदे गये जिसमें मैं चाहता हूं कि प्रति टी-शर्ट और निकर की कीमत बतायी जाये। कितनी संख्या में टी-शर्ट और निकर बांटे गये, कितनी संख्या का रजिस्ट्रेशन हुआ? पहले इस प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो जैसा मैंने अपने उत्तर में भी कहा कि हम जांच कराने को पूरी तरह से तैयार हैं, इसमें कुछ छिपाने की बात ही नहीं है। दूसरी बात जो हमारे साथी ने जो विषय उठाया है, यह चिन्ता का भी है, चिन्तन का भी है कि जिस मंत्रालय का तकरीबन जो बजट होता है उसका चार गुना बजट खर्च हुआ हो, उसके अन्दर कोई भी स्टेडियम का निर्माण ही नहीं हुआ, कोई एसेट का निर्माण नहीं हुआ और माननीय मनोज कुमार जी ने जो बोला कि तकरीबन 126 करोड़ रुपये केवल टी-शर्ट खरीदने में खर्च हुए, इसमें कहां-कहां से, कौन-कौन सी कम्पनियों से ये लिया गया, क्या उसकी टेण्डर प्रक्रिया सही थी, नहीं थी, सबकी जांच करवायी जायेगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न और करूंगा। एक तो यह कि यह जो जांच का आप कह रहे हैं, यह आप कितने दिन में करा देंगे और क्या बड़े स्तर पर कमेटी गठित करके करायेंगे? इसका समय निर्धारित करें।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस खेल घोटाले में एक दम्पत्ति ने इस तरीके का गबन किया है। मुख्य खेल अधिकारी के चयन में भी गड़बड़ है। माननीय मंत्री महोदय, उसके चयन में एक शपथ-पत्र मांगा गया था कि आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच पेंडिंग है या नहीं। उस शपथ-पत्र में उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसके खिलाफ रेलवे विभाग में 16सीसीए और 17सीसीए की चार्जशीट थी, उन्होंने वह तथ्य छुपा कर शपथ-पत्र दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे शपथ-पत्र वालों की डिटेल निकालकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते और यह सारा काम कब तक करा देंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच अपने वित्त विभाग से करवायेंगे, ताकि उसकी आडिट रिपोर्ट की अथोरिटी भी होगी। दूसरी जो मनोज जी ने अभी बात रखी है, चीफ स्पोर्ट्स आफिसर या जो भी इस तरह का पद, जिसका इन्होंने अभी नाम लिया, हम उसकी भी पूरी तरह से जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में पंचायत समिति मद से स्थापित हैण्डपम्प

65. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्पों, नलकूपों को कतिपय सरपंचों द्वारा निजी खातेदारी भूमियों पर लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, बामनवास में विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूपों को किस-किस स्थान पर लगाया गया है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध निजी खातेदारी भूमियों पर उक्त मद से स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूपों को लगाने वाले सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास में पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्पों/नलकूपों को कतिपय सरपंचों द्वारा निजी खातेदारी भूमियों पर लगाये जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बामनवास में विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्प/नलकूपों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति बामनवास में हैण्डपम्प/नलकूपों को निजी खातेदारी भूमि में लगाने का कोई प्रकरण नहीं होने से पंचायत समिति मद में स्वीकृत हैण्डपम्प/नलकूपों को लगाने वाले सरपंचों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं आगे पूछूं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो जवाब दिया है, क्या यह सत्य है? मेरे विचार से यह सारा का सारा जवाब असत्य है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि जिसने यह जवाब तैयार किया और सदन को गुमराह किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

दूसरा, क्या कमेटी बनाकर दुबारा से इस प्रकरण की जांच करेंगे या नहीं करेंगे? जांच मुझे सूचित करके करें, ताकि जो सच है वह सामने आये। मैं पूछना चाहूंगी कि इस पर आगे क्या कार्यवाही करेंगे? क्योंकि जो जवाब दिया गया है, वह असत्य है और इस तरीके के जवाब सदन में देना सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है वह सच है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यह ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, पानी की टंकियों आदि का निर्माण करने के लिये 100 रुपये के स्टाम्प पर कोई अपनी जमीन को सरेंडर कर देता है, तो उस पर भी यह लगाये जा सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जहां हैण्डपम्प या ट्यूबवैल लगाने गये, वहां पर विवाद हो जाता है, तो वहां गांव

(श्री मदन दिलावर)

वालों से आपस में चर्चा करके सामूहिक राय के आधार पर भी हैण्डपम्प, ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई दोषी नहीं है। हमने जो सूचना दी है या जो उत्तर दिया है, वह सही है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्टाम्प दे दिया जाता है। अगर सरकारी सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण कर ले, सिंगल व्यक्ति पानी पीये, दूसरे व्यक्ति को पानी नहीं पीने दे, क्या यह भी सही है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ठीक कह रही हैं कि उस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिये और यदि कहीं ऐसा एकाधिकार है तो उसको सबके लिये सुलभ करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री डूंगरराम।

सूरतगढ़ में पुलिस चौकियों का क्रमोन्नयन

66. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कहां-कहां नये पुलिस थाने व पुलिस चौकियां स्थापित की गयीं तथा किन-किन पुलिस चौकियों व थानों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के 330 आरडी में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। प्रश्न 66, पुलिस चौकियों का।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक कोई भी नवीन पुलिस थाना/चौकी स्थापित नहीं की गई है और न ही पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 330 आरडी में नई पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून

(श्री गजेन्द्र सिंह)

व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 330 आरडी में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई विचार नहीं है? आपने कहा कि भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ सदर और राजियासर थानों की दूरी आखिरी गांव तक कितनी है? दूसरा, पिछले वर्ष इन तीनों थानों में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और नई चौकी या पुलिस थाना खोलने के लिये स्पष्ट मापदंड क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ओ. सर्कल सूरतगढ़ में इनके पुलिस स्टेशन जैतसर, सूरतगढ़ सदर, सूरतगढ़ सिटी, राजियासर, जिसमें थर्मल चौकी और दिरतवाल चौकी है और सूरतगढ़ सिटी में एक टाउन की चौकी है। आपने 330 आरडी का जो बोला है...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ लेना।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं दूरी जानना चाहता हूं कि सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ सदर और राजियासर थानों से आखिरी गांव की दूरी कितनी है? दूसरा, इन पुलिस थानों में कितने मुकदमे पिछले एक साल में दर्ज हुए हैं? तीसरा, क्या नई चौकी या पुलिस थाना खोलने के लिये स्पष्ट मापदंड हैं? यदि हैं, तो क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप जिस पुलिस चौकी 330 आरडी की बात कर रहे हैं, उसकी जनसंख्या 9,000 है और राजियासर थाने से 35 किलोमीटर दूर है। जहां क्राइम रेट कंसर्ड है, प्रिवेंटिव क्राइम 2019 में 10 थे, 2020 में 9 थे, 2021 में 9 थे, 2022 में 18 थे और 2023 में 19 थे। आईपीएस के केस 2019 में 2, 2020 में 01, 2021 में 2, 2022 में 2 और 2023 में 2 थे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस थानों में मुकदमों का पूछा है।

श्री अध्यक्ष: डिस्टेंस बता दिया इन्होंने।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो यह अभी पुलिस थाने की मांग कर रहे हैं, वह अभी उचित नहीं है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह चौकी की बता रहे हैं, मैं थानों की पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह थानों की पूछ रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पुलिस थाने के लिये ही तो बोल रहे हैं कि हमें एक थाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, वहां इतना क्राइम नहीं है और डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सूरतगढ़ का प्रश्न है। बाकी बैठिए। आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस थाने से आखिरी गांव की दूरी पूछ रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो, पिछले वर्ष तीनों थानों में कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? नंबर तीन, नया पुलिस थाना या पुलिस चौकी खोलने के लिये क्या स्पष्ट मापदंड हैं? यदि हैं तो क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) आप बैठिए, व्यवधान मत डालो। यह आपका काम नहीं है, मेरा काम है और मेरा काम आप करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नये थाने स्वीकृत होते हैं, उसमें चार मापदंड हैं, एक तो जनसंख्या, एक क्राइम रेट, लॉ डिस-आर्डर और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। आगे और जांच कर लेंगे। यह मुझ से पूछ रहे हैं कि इस थाने से उसकी दूरी कितनी है, इसके लिये मैं मेरे साथ गूगल मैप तो लेकर आया नहीं हूं। इसकी जानकारी करके हम उपलब्ध करा देंगे।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): इसका मतलब जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

फलौदी में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

67. **श्री पब्बाराम विश्नोई** (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पब्बाराम विश्नोई)

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री किरोड़ी लाल जी।

कृषि मंत्री (श्री किरोड़ी लाल): (1) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर नवीन पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद एवं मुख्यालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि पर्यवेक्षक के 40 पद सृजित हैं उनमें से 06 रिक्त हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय मंत्री महोदय, आपका जवाब मेरे पास आ गया है, इजाजत हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं? माननीय मंत्री महोदय, हमारा नया जिला बना है और जिले में मृदा परीक्षण लैब होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मेरा काम है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आज मैं तीसरी बार कह रहा हूं (व्यवधान) आप बैठिए, आप बैठिए। यह काम मेरा है, आपका नहीं है, आपको अभी अध्यक्ष नहीं बनाया है। तमाशा बना रखा है दो-तीन लोगों ने and I will not tolerate it. फिर एक्शन होगा तो मुझे मत कहना।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय मंत्री महोदय, क्या आप फलौदी जिले में हमारे जिला हैडक्वार्टर पर मृदा परीक्षण लैब खोलना चाहते हैं? चाहते हैं तो कब तक खोलेंगे और नहीं, तो क्यों? क्योंकि यह नया जिला है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): यह बात सही है कि आपका जिला नया है और आपने अपने खुद के क्षेत्र की जानकारी चाही है। फलौदी में कृषि पर्यवेक्षक के 40 पद सृजित हैं, उसमें मात्र 6 पद खाली हैं। 2021-22 में आपको दो कृषि पर्यवेक्षक चिमाना एवं बावलीखुर्द में स्वीकृत कर दिये गये हैं और दो और पद हम आपके स्वीकृत कर देंगे।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न था कि हमारे वहां पर मृदा परीक्षण लैब नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): मृदा परीक्षण को तो प्रधान मंत्री जी प्रायोरिटी देते हैं। एक नहीं, दो खोल देंगे। आप बता देना कहां-कहां खोलना है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): दूसरा मेरा प्रश्न है, जो मेरा फलौदी जिला है, विशेषकर फलौदी विधान सभा क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बड़ा है, लिफ्ट नहरों के कारण विस्तारित हो रहा है और दूसरा, अंडरग्राउंड वाटर की उपलब्धता के कारण।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र की आयुष्मान योजना का एम.ओ.यू. नहीं करने से इस योजना के पंजीकृत मरीजों को प्रदेश से बाहर उपचार कराने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हरिमोहन शर्मा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बूंदी पुलिस द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना के बहाने गलत तथ्य बताकर वाहनों को जब्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रोहित बौहरा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में विद्युत की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री घनश्याम एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से टोडाभीम में विद्युत की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डॉ. सुभाष गर्ग एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सरकार द्वारा किये गये ई.आर.सी.पी. एम.ओ.यू. में राज्य के हितों की अनदेखी करने के संबंध में।

(6) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना-रूपवास मार्ग पर निर्माणाधीन आर.ओ.बी. का कार्य पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को क्लेम राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री रविन्द्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज, बारां के परिसर के लिए निजी खातेदारी की जमीन को अधिग्रहण करने के संबंध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(3) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये गये कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाकर कार्यवाही करने के संबंध में। (व्यवधान)

बाहर जाइये। माननीय सचेतक महोदय, इसको सुनिश्चित करें कि कोई सदस्य भविष्य में न जायें। इधर से भी कोई भी न जायें। व्यवस्था दे दी। आप बैठिए।

(4) श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की कार्यवाही करने के संबंध में।

(5) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेठराना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

36] नि. 295 के अंतर्गत प्राप्त-30 जनवरी 2024-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में नये जी.एस.एस. स्वीकृत कर स्थापित करने के संबंध में।

(7) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(8) श्री उदयलाल डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में राजस्व गांवों को टी.एस.पी. में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(9) श्री मुरारी लाल मीना, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(10) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खानपुर और बकानी को नगरपालिका का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

(11) श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से चौहटन उपखण्ड क्षेत्र में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

(12) श्री उमेश मीणा, सदस्य की ओर से प्रख्यात बेणेश्वर धाम की जमीन पर कतिपय प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर व बांसवाड़ा सम्भाग में वन क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों को वन अधिकार पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से जल जीवन मिशन योजना में अलवर एवं कठूमर के निवासियों द्वारा जल कनेक्शन के नाम पर जमा की गई राशि को लौटाने के संबंध में।

(15) श्री भागचन्द टांकड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अर्द्ध निर्मित ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(16) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से पटवार मण्डल देवगांव, खोलड़ी, बनोड़ा, मोरीला एवं मालपुर को तहसील सलूम्बर में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(17) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सुरसुरा स्थित तेजाजी मंदिर को अजमेर-पुष्कर धार्मिक सर्किट से जोड़ने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री गुरवीर सिंह, सदस्य की ओर से जिला श्री गंगानगर से हिन्दूमलकोट तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री चन्द्रभान चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आयुष्मान योजना का एम.ओ.यू. नहीं होने से पंजीकृत मरीजों को प्रदेश से बाहर उपचार कराने में परेशानी

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना के साथ जोड़कर संचालित किये जाने की क्रियान्विति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मरीज बाहर इलाज करवाते हैं, गुजरात में करवाते हैं या दिल्ली जाते हैं, उसका एम.ओ.यू. नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभी मंत्रियों को विधान सभा के अन्दर चैम्बर मिले हुए हैं, ये सदस्य मंत्रियों से चैम्बर में मिल सकते हैं। ये देखो, चारों तरफ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीटों पर जाइये। यह क्या तरीका है? पास में सीट खाली हो तो बाद में चले जाएं, otherwise I will name the member.

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारे राजस्थान से जो बाहर इलाज करवाने जाते हैं उनका इलाज नहीं होने के कारण उन पर काफी आर्थिक भार पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस आयुष्मान योजना का एम.ओ.यू. करवा ले, क्योंकि हमारे काफी मरीज अहमदाबाद और बाहर इलाज करवाते हैं, उनका इलाज नहीं होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। मंत्री महोदय विराज रहे हैं। सरकार इसका एम.ओ.यू. जल्दी करवा ले, जिससे हमारे जो मरीज बाहर जा रहे हैं, उनका इलाज हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी पुलिस द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाहनों की जब्ती

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): मान्यवर, मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद दूं, अवैध खनन के सम्बन्ध में जो अभियान चलाया जा रहा है वह अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: अपनी जगह पर बैठिये, एक-एक करके उठिये। माननीय मंत्रियों से उनके चैम्बर में मिलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): लेकिन इस अवैध खनन के नाम पर बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साथ लिए पुलिस अधिकारी ही यह फैसला कर लें कि यह अवैध खनन है या अवैध खनन नहीं है, इस अभियान के नाम पर जो ज्यादती की जा रही है, माननीय, मैं आपको बूंदी का उदाहरण दूं। पुलिस अधीक्षक की ओर से यह कह दिया कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत हमने फलां-फलां स्थान पर अवैध खनन करते हुए इतने ट्रैक्टर, इतने डोजर, इतनी अलग चीज, यह सब पकड़ा और प्रेस नोट निकाल दिया। फिर उसी पुलिस अधीक्षक के यहां से उसी दिन जब यह पता लगा कि वे सारे एक जगह पर खड़े हुए थे, कोई अवैध खनन नहीं कर रहे थे। एक ही स्थान पर खड़े हुए थे, पुलिस अधिकारी, वहां का एस.एच.ओ. गया और उनको पकड़कर ले आया। यहां तक भी ठीक है। जब उनको यह पता लगा कि यह तो अवैध खनन के सम्बन्ध में नहीं है, ये तो काम ही नहीं कर रहे थे। जब जन-प्रतिनिधि और वहां के नागरिकों ने हल्ला किया और वहां जाकर कहा तो मान्यवर दूसरा प्रेस नोट उसी पुलिस अधीक्षक के यहां से बूंदी से निकाला गया और उन्होंने यह कहा कि यह जो सामान हमने जब्त किये हैं, ये सामान तो लावारिस थे। लावारिस अवस्था में खड़े हुए थे। अवैध खनन के नाम से जब्त कर रहे हैं, अवैध खनन के अभियान के नाम से जब्त कर रहे हैं। जिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर है, उसमें अपनी गलती को छिपाने के लिए उनको पुलिस एक्ट के तहत लावारिस मानकर जब्त करके उस कार्यवाही को कर रहे हैं। यह अत्याचार किया जा रहा है।

यही नहीं, अगर पुलिस अधिकारी को कोई काम करना है, अगर पुलिस अधिकारी को कोई बात करनी है, अगर जाना है, अवैध खनन का फैसला तो करेगा माइनिंग डिपार्टमेंट कि ये स्थान लीज पर है या लीज पर नहीं है, यहां अवैध खनन हो रहा है या अवैध खनन नहीं हो रहा है। पुलिस ने खुद इस बात का फैसला करके ऐसा आतंक पैदा कर रखा है जगह-जगह पर।

इसी प्रकार डाबी में एक आदमी की लीजशुदा, लीज एग्रीमेंटशुदा, वहां पर उसकी जो मशीन खड़ी हुई थी, उसको एम.ई. जाकर इस आधार पर पकड़

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लाया कि यह लीजशुदा है, जगह लीजशुदा है, लेकिन यहां पर पर्यावरण का कोई लाइसेंस नहीं है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जबकि वह मशीन वहां पर काम नहीं कर रही थी। लीजशुदा जगह पर कोई अपनी मशीनें रखता है, उनको पुलिस पकड़कर ले जाए, माइनिंग डिपार्टमेंट पकड़कर ले जाए तो मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए। गृह मंत्री करें, माइनिंग डिपार्टमेंट करे।

एक छोटी-सी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अभियान आप कीजिए, अभियान से कितनी परेशानी किस जगह पर है, उसकी मॉनिटरिंग भी आप कीजिए। अनेक लोगों को परेशानी पैदा हो गयी है। जो वाजिब काम कर रहे हैं, उनको भी हो गयी है। अभी आपका जो माइनिंग इंजीनियर जाएगा, वह जाकर बताएगा इतने क्यूबिक फीट पत्थर निकाल लिया, इतना पत्थर निकाल लिया, इतनी खान खोद ली। अभी वह अधिकारी नहीं बदले हैं। जब पांच साल वह वहां थे, उनके एरिया में वह रिपोर्ट दे रहे हैं तो पांच साल जिन अधिकारियों ने इस बात की रिपोर्ट आपको नहीं की और अब वह यह कह रहे हैं कि फलां आदमी ने इतना इल्लीगल माइन किया है, इतनी उस पर रायल्टी बनेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसका जिम्मेदार कौन है? वह अधिकारी वहां पर सोये हुए क्यों थे? उनके एरिया में यह काम हो रहा है। सारे के सारे क्रेशर बंद हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने लावारिस मानकर जब्त किये हैं, उनको तत्काल छोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और माइनिंग डिपार्टमेंट के बिना पुलिस अधिकारी जाकर सामान जब्त नहीं करें, जबकि वहां पर कानूनन रूप से काम करते हुए वे नहीं पकड़े जाएं। किसी भी खड़े वाहन को नहीं पकड़ें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। आपका हो गया। आपका विषय आ गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): मेरा विनम्र अनुरोध गृह मंत्री जी से भी है, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी है।

बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर के 73 गांव जो पिछले 43 सालों से, 1981 के एक नोटिफिकेशन के बाद में मूलभूत सुविधाओं और डवलपमेंट के नाम पर वहां पर सब चीजें पूरे तरीके से बंद कर दी गयीं। काश्तकारी के जो अधिकार थे, उन पर बैन लग गया। यहां तक कि वे के.सी.सी. तक नहीं उठा पा रहे।

मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर माननीय मंत्रियों को उस क्षेत्र का एक बार दौरा करना चाहिए। उस क्षेत्र की स्थिति को देखना चाहिए। वहां की चिकित्सा, वहां के पानी, वहां के विद्यालयों की स्थिति को देखनी चाहिए। आज के समय में यह स्थिति वहां पर है कि उन 73 गांवों में एक जगह भी डामर सड़क नहीं है। रोड के नाम पर कुछ भी नहीं है। यदि मैं चिकित्सा की बात करूं तो चिकित्सा के मामले में वहां पर एक जी.एन.एम./ए.एन.एम. तक नहीं है। पूरे तरीके के अभावों में वह जी रहे हैं। यह जो 1981 में एक नोटिफिकेशन आया था, यह उनके लिए एक अभिशाप की तरह है।

आपके माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा और मुझे संरक्षण भी चाहिए होगा कि उन बाशिंदों के जो राइट हैं, वे बहाल करवाएं। साथ ही साथ डवलपमेंट पर जो रोक लगी है, उसके बारे में चर्चा करवाएं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बारां मेडिकल कालेज के लिए निजी खातेदारी की जमीन का अधिग्रहण

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेडिकल कालेज, बारां के मध्य में आ रही निजी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 660/279, 280, 281, 284 में 90 की कार्यवाही निरस्त करवाने एवं मेडिकल कालेज में अधिग्रहण करने व

(श्री कंवरलाल)

निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के अन्दर विषयांकित खसरे सुनियोजित योजना के तहत अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने की बदनीयती से तथा सरकारी योजना में निजीकरण जैसी व्यापारिक गतिविधि संचालित हेतु यह कृत्य किया गया है। राजस्व विभाग के संलग्न पत्र अनुसार तथा मेडिकल कालेज हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भी मेडिकल कालेज परिसर के मध्य अन्य कोई निजी भूमि नहीं हो सकती, फिर भी नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत नियमों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक दबाव व प्रभाव में भ्रष्टाचार व अनियमितता करते हुए मिलीभगत से यह कृत्य किया गया। इन भूमियों की 90 की प्रक्रिया भी करवाई गई है, जबकि इसी भूमि से राजस्व विभाग के निर्देशानुसार निजी भूस्वामियों का अतिक्रमण रिकार्ड अनुसार हटाया जा चुका था।

अतः उपरोक्त प्रकरण में लेख है कि इस अनियमितता बाबत विभिन्न जांच व शिकायतें पेंडिंग हैं। समस्त तथ्यों को देखते हुए उक्त खसरों से सम्बन्धित मामलों की जांच सक्षम अधिकारी से कराने तथा 90 की कार्यवाही निरस्त करने तथा उक्त खसरों को मेडिकल कालेज, बारां हेतु अधिग्रहित करने की आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा उक्त मामले में हुई अनियमितता व धांधली पर विभागीय व कानूनी कार्यवाही कराये जाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में स्थिति बहुत ही विपरीत है। पुराने समय में सिवाना क्षेत्र बाड़मेर जिले का एकमात्र भूमिगत जलस्तर का भंडार वाला क्षेत्र था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिवाना और सिणधरी उप खंड के सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में थ्री फेज के पम्प लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पम्प जलने की शिकायत आती रहती है, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान होता है और समय पर आमजन को

(श्री हमीर सिंह भायल)

पेयजल भी नहीं दिया जा सकता है। अभी सिवाना और सिणधरी उप खंड के लिए मीठा पानी दिये जाने की जो परियोजना बनी हुई है, उससे पेयजल दिया जाना सम्भव नहीं है तो कम मात्रा के भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके और सिंगल फेज बिजली भी निर्बाध रूप से मिलती है तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा। क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं, जिनमें स्कीम जलदाय विभाग की चलाई जा रही है, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबन्धन करके भी राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी विहीन ग्राम पंचायतों की सभी स्कीम को स्थानीय ग्राम पंचायत चला रही है, जिससे व्यय भार बिना स्वीकृति के किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में समन्वय स्थापित करके कम पानी वाले नलकूपों में सिंगल फेज मोटर पम्प डालने और कर्मचारी विहीन सभी गांवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवाकर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

महवा में जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में जलजीवन मिशन एवं मुख्य मंत्री बजट घोषणा 2022-23 एवं 2023-24 में ट्यूबवैल/हैण्डपम्पों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

इसके अन्तर्गत J.J.M. के तहत ट्यूबवैल, H.D.E.P. पाइप लाइन, G.I पाइप, टंकी निर्माण के कार्य कराये गये हैं। इसमें ठेकेदारों ने निवर्तमान विधायक से सांठ-गांठ एवं अधिकारियों पर दबाव डालकर घटिया सामग्री डाली है। ट्यूबवैल ड्राई निकल गये, उनका पूरा भुगतान कर दिया गया। कई जगह पहले से खोदे गये ट्यूबवैल को नया बताकर भुगतान कर दिया। कई जगह जो ट्यूबवैल J.J.M. एवं C.M. बजट में स्वीकृत हुए थे, उनको राजनीतिक दबाव में निवर्तमान निर्दलीय विधायक को उपकृत करने के लिए निजी उपयोग हेतु खोद दिया गया है। महवा क्षेत्र में 348 बोर स्वीकृत थे, 291 बोर काटे गये, 73 बोर ड्राई हुए। धरातल पर 136 बोर ही खोदे गये। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन में अवैध खनन पर रोक

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में वन क्षेत्र एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सरकार, पुलिस, खान विभाग की मिलीभगत से खान माफिया लम्बे समय से अवैध खनन कर रहा है। खनन माफिया ने अवैध खनन कर इन्द्रगढ़ क्षेत्र में पहाड़ों को खोखला कर दिया है तथा लाखेरी में भी अवैध रूप से खनन कर पत्थर निकाला जा रहा है। लगातार हो रहे अवैध खनन से कभी भी गंभीर जन हानि होने की संभावना बनी हुई है। खनन माफिया वन्य क्षेत्र से अवैध तरीके से पत्थर, मिट्टी निकालने और पेड़ों की अवैध कटाई कर रहा है। लाखेरी इन्द्रगढ़, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल हैं। यहां वन क्षेत्र में खनन माफियाओं और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से वन्य जीवों की सुरक्षा खतरे है। खान माफिया द्वारा प्रतिदिन कापरेन के रोटेदा, बालोद और डोलर क्षेत्रों में एवं केशोरायपाटन के सुनगर, बालिता आदि गांवों में चम्बल नदी से अवैध तरीके से बजरी निकाली जा रही है। अवैध खनन से चम्बल नदी के किनारे विकृत हो गये हैं तथा कभी भी कोई गम्भीर हादसा घटित हो सकता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में चम्बल नदी से रेतों की ट्रालियां मुख्य मार्गों से होते हुए बाजारों में आ रही हैं लेकिन प्रशासन की मिलीभगत होने से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे खनन माफिया के हौसले बुलन्द हो गये हैं। अवैध खनन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में खान माफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। पढ़ा हुआ ही माना जाता है, 295 में भाषण नहीं होता है। श्री संजीव कुमार।

नेठराना (भादरा) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन

(श्री संजीव कुमार)

है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा के गाम पंचायत मुख्यालय नेठराना में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इस ग्राम पंचायत मुख्यालय की आबादी लगभग 17,000 है तथा आसपास की ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों की लगभग 50,000 की आबादी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं प्रसव सेवाओं के लिए नेठराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आश्रित है। गांव नेठराना के आसपास के अनेक गांवों के लोग 10-12 किमी. तक की दूरी से चलकर नेठराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज करवाने आते हैं। तहसील मुख्यालय भादरा से नेठराना की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है।

गम्भीर रोगों एवं आपातकालीन ट्रोमा सेवाओं के लिए यह क्षेत्र तहसील मुख्यालय भादरा पर आश्रित है, जिसकी दूरी अधिक है तथा यह हरियाणा सीमा का गांव होने के कारण आवागमन के सीधे साधनों से भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति मरीज के लिए कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेठराना की गत वर्षों की आउटडोर एवं इण्डोर की स्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेठराना के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लायक पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय नेठराना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नये जी.एस.एस. की स्वीकृति

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि विगत कई वर्षों से कृषि क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन के हालात अत्यधिक खराब हैं। विगत सरकार द्वारा चुनावी लाभ लेने और राजस्व प्राप्ति में जल्दबाजी करने के चक्कर में किसानों को हज़ारों की मात्रा में कृषि कनेक्शन की घोषणा कर दी, जिसमें सामान्य और विशेष दोनों श्रेणी के कनेक्शन शामिल थे। एक तरफ विभाग और सरकार के पास पर्याप्त बिजली का अभाव तथा दूसरा बिजली संचित करने के लिए पर्याप्त जी.एस.एस. भी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सामान्य, विशेष और यहां तक कि सुपर स्पेशल के भी कनेक्शन जारी

(श्री छोटूसिंह)

करने की घोषणा कर दी, जबकि धरातल पर विशेष और सुपर स्पेशल में कोई अंतर नहीं देखा गया। इतने अधिक मात्रा में कनेक्शन जारी करना इतना विसंगतिपूर्ण रहा कि किसानों द्वारा राशि भरे जाने के बावजूद उन्हें कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये गये। यदि कहीं कनेक्शन उपलब्ध भी हो गए तो बिना बिजली के ऐसे कनेक्शनों का कोई उपयोग नहीं रहा। चारों ओर अव्यवस्था का ऐसा आलम रहा कि कनेक्शन मिलने के बावजूद किसान बिजली के लिए तड़प रहे हैं। इस प्रकार की चुनावी राजनीति के कारण किसानों को मजबूर होकर ऊर्जा के अन्य स्रोत डीज़ल इत्यादि में लाखों रुपये खर्च करने पड़े। फिर भी किसान समय पर सही तरीके से खेती नहीं कर पाये और उन्हें मजबूरन खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया गया।

मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जारी किये गये हज़ारों कनेक्शनों के लिए बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जैसलमेर ज़िले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नये जी.एस.एस. स्वीकृति के आदेश जारी किये जाएं। पूर्व के कई स्वीकृत जी.एस.एस. जैसे छत्रैल अन्य स्थानों पर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 132 KV जी.एस.एस. को बढ़ा कर 220 KV किया जाए तथा पूर्व से स्वीकृत परन्तु धीमी गति से कार्य कर रहे जैसे चांधन व अन्य स्थानों में प्रगतिरत जी.एस.एस. का कार्य त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। ज़िले के तहसील व उप खंड मुख्यालयों पर ऐसे स्थान जहां पर बड़े जी.एस.एस. नहीं हैं, जिसमें फतेहगढ़ उप खंड भी शामिल है, 220 KV के जी.एस.एस. स्वीकृत करवाने के आदेश करवाये। विद्युत विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के मुख्यालयों की अधिक दूरी के कारण ज़िले में रामगढ़, म्याजलार, झिनझिनयाली में सहायक अभियंता कार्यालय सृजित किये जाएं, ताकि कार्य को और गति मिल सके। चूंकि बिजली समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रहती है, अतः पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए भी जी.एस.एस. के कार्यों को गति प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द-हुरड़ा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में चिकित्सा में कई तरह की समस्याएं पिछले कई वर्षों से हैं। मैंने पिछली सरकार को भी लगातार 5

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

वर्ष तक इन समस्याओं से अवगत कराया और मांग करता रहा, मगर भाजपा का विधायक होने के कारण मेरी एक भी नहीं सुनी गई तथा न ही किसी भी समस्या का समाधान किया गया। उस जन विरोधी सरकार से मैं 5 वर्ष तक मांग करता रहा तथा जूझता रहा, पर उस नाकारा और भ्रष्ट सरकार ने अपने चहेतों के अलावा किसी की नहीं सुनी। अतः मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि:-

(1) कंवलियास पंचायत समिति, हुरड़ा (2) ब्राह्मणों की सरेरी पंचायत समिति, आसीन्द पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में तथा (1) बरसनी पंचायत समिति, आसीन्द (2) भादसी पंचायत समिति, बदनोर (3) कटार में पी.एच.सी. की घोषणा तथा आसीन्द सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की कृपा कराएं। आसीन्द सी.एच.सी. की जगह बहुत छोटी व शहर के बीचों-बीच होने के कारण वहां की गलियों में जाम लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी होती है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि शहर में बहुत-सी जगह खाली पड़ी है, इसलिए नगरपालिका को आदेशित कर 10 बीघा जमीन अस्पताल को दिलाई जाए तथा वहां नई बिल्डिंग बनाकर जनता को राहत दिलाने की कृपा कराएं। आसीन्द-हुरड़ा की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद। वन्दे मातरम। जय श्री राम।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल डांगी। श्री उदयलाल डांगी। श्री मुरारी लाल मीना।

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा है, मैं आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप समय पर आया करें। एक सैकण्ड, पहले ये बोल लें। आप बोलिये, शुरू करिये। पढ़िये।

वल्लभनगर के राजस्व गांवों का टी.एस.पी. में सम्मिलन

श्री उदयलाल डांगी (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में राजस्व गांवों को टी.एस.पी. में सम्मिलित करवाने के संबंध में निवेदन है।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री उदयलाल डांगी)

वल्लभनगर में पंचायत समिति, भीण्डर व पंचायत समिति, वल्लभनगर में 5 पंचायतें टी.एस.पी. में हैं और कुछ पंचायतें टी.एस.पी. में आने की पात्रता रखती हैं। साथ ही ऐसे कई राजस्व गांव हैं जो 80 से 90 प्रतिशत जनजाति बहु ल हैं, जिनको सर्वे करवाकर टी.एस.पी. में जुड़वाने की कृपा करें।

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त पंचायतों व राजस्व गांवों को टी.एस.पी. में जोड़ा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री मुरारी लाल मीना।

दौसा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि दौसा शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, जिसको 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर 12.50 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता है। माह अक्टूबर से पूर्व बीसलपुर परियोजना से 22 लाख लीटर एवं स्थानीय स्रोतों से 16 लाख लीटर पेयजल उत्पादन कर 05-07 दिन के अन्तराल से पेयजल सप्लाई की जा रही थी, किन्तु स्थानीय स्रोतों से निरन्तर पेयजल उत्पादन कम होने के कारण वर्तमान में मात्र 10 लाख लीटर ही पेयजल उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण पेयजल सप्लाई अन्तराल 8-9 दिन हो गया है। इसके अतिरिक्त शहर में 45-50 टैंकर ट्रिप के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि पूर्व में 150-200 टैंकर ट्रिप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था। साथ ही विधान सभा क्षेत्र दौसा के अधिकतर गांवों में पेयजल की अत्यधिक समस्या होने के कारण निरन्तर टैंकर ट्रिपों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में भी टैंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई बन्द कर दी गई है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की विकट समस्या हो गई है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु शहरी जल योजना दौसा के अन्तर्गत 5 नग नलकूप निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई गयी है, किन्तु राज्य सरकार के द्वारा निविदाओं पर रोक लगाने के कारण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी है। साथ ही टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कार्य की दर संविदा की वित्तीय सीमा भी समाप्त होने के कारण टैंकर सप्लाई भी नहीं की जा रही है। नवीन दर संविदा हेतु लगायी गयी निविदा पर भी राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी रोक के कारण कार्यादेश

(श्री मुरारी लाल मीना)

नहीं हो सके हैं। ऐसी स्थिति में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की विकट समस्या पैदा हो गई है।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिला मुख्यालय दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था हेतु बीसलपुर परियोजना से प्राप्त होने वाले पानी की सप्लाई को 30 लाख लीटर व टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु निविदा तुरन्त की जाकर टैंकर सप्लाई सुचारु रूप से करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर (अनुपस्थित)। श्री आदू राम मेघवाल। माननीय सदस्य, अपनी सीट पर रहिये। आप जल्दी बोलिये।

चौहटन में अग्निशमन वाहन की उपलब्धता

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाड़मेर जिले के चौहटन विधान सभा क्षेत्र में हुई आगजनी की विभिन्न घटनाओं से कई परिवारों के बेघर होने के साथ आमजन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय से चौहटन की दूरी 50 किलोमीटर है। चौहटन विधान सभा क्षेत्र में 02 उप खंड, 03 तहसील, 01 उप-तहसील, 04 पंचायत समिति तथा 112 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आगजनी की घटना होने पर जिला मुख्यालय से अग्निशमन वाहन मंगवाना पड़ता है। लम्बी दूरी होने के कारण अग्निशमन वाहन दो-तीन घंटे बाद ही पंहुच पाता है। जिले के अन्य क्षेत्र में आगजनी की घटना होने पर घटना स्थल से दमकल को जिला मुख्यालय और उसके बाद चौहटन पहुंचने में बहुत ही अधिक समय लग जाता है। इसके कारण स्थानीय लोग काफी लम्बे समय से दमकल की मांग कर रहे हैं।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र भारत-पाक सीमा से सटा होने के कारण सामरिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर तीनों सेनाओं के कार्मिक कार्यरत हैं। यहां विरात्रा माता मंदिर है जहां पर देश के विभिन्न स्थानों से सालाना हजारों लोग दर्शनार्थ आते हैं। इसके अलावा चौहटन कस्बे में लगने वाले सुइयां के मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं।

(श्री आदू राम मेघवाल)

ऐसी स्थिति में चौहटन उप खंड क्षेत्र में दमकल वाहन की अति आवश्यकता है। अगर चौहटन में दमकल वाहन उपलब्ध करवाया जाता है तो शिव विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों/गांवों में भी आगजनी होने की स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

अतः चौहटन विधान सभा क्षेत्र के आमजन को आगजनी से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए दमकल वाहन (फायर ब्रिगेड) मय कार्मिक उपलब्ध करवाकर अनुग्रहित कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री उमेश मीणा।

बेणेश्वर धाम की जमीन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

आदिवासी महाकुम्भ के नाम से प्रख्यात बेणेश्वर धाम (बैणका) की जमीन का सही सीमांकन न कर प्रभुत्वशाली लोगों के द्वारा कब्जा करने एवं इस धाम के विकास के नाम पर आये हुए बजट का सही उपयोग नहीं होने के संबंध में निवेदन है।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं ध्यानाकर्षण कर आपको सूचित करना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र बेणेश्वर धाम (बैणका) जो प्राचीन काल से राजा बाणासुर की धरती बैणका के नाम से प्रचलित है, यह मावजी महाराज की मुख्य कर्मस्थली है।

इस स्थल पर माघ पूर्णिमा को आदिवासी महाकुम्भ का मेला भरता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र से लाखों श्रद्धालु दर्शन एवं अपने पुरखों की अस्थियां विसर्जन के लिए आते रहते हैं, लेकिन गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि इस आस्था केन्द्र पर प्रभुत्वशाली लोगों ने अपनी कमाई करने का साधन बना लिया है। यह एक टापू में स्थित है और अन्दर एवं बाहर सभी जगह मिलाकर 80 हैक्टेयर जमीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): कई लोगों ने धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह बड़े दु:ख की बात है कि आदिवासी महाकुम्भ के नाम से न तो कोई जमीन है, न ही कोई रहने, उठने-बैठने की

(श्री उमेश मीणा)

जगह है। आदिवासी समुदाय से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं तो झाड़ियों, पत्थरों में ठोकरे खाते फिरते हैं। यहां पर आदिवासी समुदाय के नाम का एकमात्र छोटा-सा वाल्मीकि भवन बना है लेकिन आये दिन प्रशासनिक कारण बताते हुए प्रशासन अपने कब्जे में कर लेता है। विकास कार्य एवं इस धाम के संचालन के लिए ट्रस्ट बनाये गये हैं, पर ट्रस्ट में एक भी स्थानीय आदिवासी को नहीं लिया गया है। इस प्रकार यहां आस्था के नाम से जमीनों को हड़पा जा रहा है, रातों-रात निर्माण करवा दिया जाता है एवं विकास कार्य के नाम से पैसों की हेराफेरी कर डकार लिए जाते हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि यहां जो भी ट्रस्ट एवं कमेटियां बनी हैं उन समस्त ट्रस्टों में स्थानीय विधायक, प्रधान एवं सरपंच व आदिवासी समुदाय से बुद्धिजीवियों को लिया जाए। साथ ही यहां पर जो जमीन है उसमें 80 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में नाम कर एक आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र एवं आदिवासी संग्रहालय का निर्माण कराया जाये, ताकि इस आस्था केन्द्र का इतिहास सही रूप से संग्रहित रह सके। धन्यवाद। जुहार, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा। श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)। यह ठीक नहीं है, आप नोट करिये। श्री रमेश खींची।

अलवर एवं कठूमर के निवासियों की जल जीवन मिशन योजना में जल कनेक्शन के नाम पर जमा की गई राशि की वापसी

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

राज्य में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत आमजन को घर-घर पीने के पानी की सप्लाई किये जाने की योजना में विभाग द्वारा कनेक्शनधारी से कनेक्शन एवं रख-रखाव के नाम से 10 प्रतिशत राशि जमा की गई थी, जिसके तहत अनेकों कनेक्शनधारियों द्वारा 10 प्रतिशत राशि विभाग में जमा भी करवा दी गई। जनता द्वारा इस संबंध में विरोध किये जाने पर सरकार के निर्देशानुसार उक्त राशि को विभाग द्वारा जमा करने से बन्द कर दिया गया तथा सरकार द्वारा नि:शुल्क कनेक्शन देने की घोषणा कर दी गई, परन्तु विभाग द्वारा जिन कनेक्शनधारियों ने इस योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत पैसा जमा करवा दिया गया था, उसे अभी तक उन्हें वापस नहीं किया गया है,

(श्री रमेश खींची)

जिससे अलवर जिले एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर की कई ग्राम पंचायतों के कनेक्शनधारियों द्वारा पूर्व में जो राशि जमा करवा दी गई, उन्हें वापस नहीं किया गया है। अतः जमा की गई राशि को वापस दिलवाये जाने की कार्यवाही करते हुए एवं विलम्ब किये जाने की जांच करवाते हुए संबंधित दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराएं।

सर, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। यह दोहरी नीति का मामला है, थोड़ा कहलवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इसका उत्तर नहीं आता है। श्री भागचन्द टांकड़ा।

बांदीकुई में अपूर्ण ओवरब्रिज

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में धोलीगुमटी रेलवे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में धोलीगुमटी रेलवे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य का वर्क आर्डर 19.08.2017 को जारी हुआ था जिसका सम्पूर्ण कार्य करने की अवधि 18.02.2019 थी, जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है। मेरा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त ओवर ब्रिज के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

देवगांव, खोलड़ी, बनोड़ा, मोरीला व मालपुर पटवार मण्डलों का सलूम्बर तहसील में सम्मिलन

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत पटवार मण्डल देवगांव, खोलड़ी, बनोड़ा, मोरीला एवं मालपुर को तहसील सलूम्बर में सम्मिलित करने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, तहसील सलूम्बर मुख्यालय से दूरी, आवागमन के

(श्री अमृतलाल मीणा)

साधनों का अभाव, जन-भावना आदि समस्त सुविधाओं को दरकिनार कर केवल राजनैतिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए तहसील झल्लारा का सृजन जून, 2022 में आनन-फानन में किया गया, जिसका तत्कालीन समय में उक्त समस्त ग्राम पंचायतों की जनता ने पुरजोर विरोध किया एवं कई बार जिला कलक्टर, उदयपुर एवं उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर के माध्यम से राज्य सरकार को इस कुठाराघाती निर्णय के विरोध में विरोध प्रदर्शन किये गये। कई बार ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में उक्त आमजन विरोधी निर्णय का पुनरवलोकन करने का अनुनय-विनय किया, किन्तु राज्य सरकार ने अपने राजनैतिक लाभ को तवज्जोह देते हुए जनभावना एवं जन सुविधा के विपरीत पटवार मण्डल देवगांव, खोलडी, बनोडा, मोरीला, एवं मालपुर को यथावत तहसील सलूम्बर में ही रखा। उक्त गांवों की जनता अपने तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए सलूम्बर से होकर गुजरने हेतु विवश है। इन गांवों की सीमाएं सलूम्बर तहसील कार्यालय से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जबकि झल्लारा तहसील कार्यालय जाने हेतु आमजन को 20-25 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है व सलूम्बर नगर से होकर गुजरना पड़ता है। यह बड़ी कष्टदायी विडम्बना है। यातायात के साधनों का अभाव, पहुंच सड़क का अभाव है।

महोदय, उक्त ग्रामवासियों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पुनः इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि तहसील झल्लारा के अन्तर्गत सम्मिलित पटवार मण्डलों को तहसील सलूम्बर में सम्मिलित किया जाकर इन ग्रामों में निवासरत लगभग 23,000 ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाया जाकर राहत प्रदान की जाये, ताकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये अन्याय का उपचार कर ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय एवं राहत पहुंचायी जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री विकास चौधरी।

सुरसुरा स्थित तेजाजी मन्दिर को अजमेर-पुष्कर सर्किट से जोड़ना

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सुरसुरा स्थित तेजाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है, जिसमें लाखों श्रद्धालु

(श्री विकास चौधरी)

देश के विभिन्न राज्यों से दर्शन के लिये आते हैं, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार के प्रयास निम्न स्तर के प्रतीत होते हैं। साथ ही किशनगढ़ से सुरसुरा आने वाले मार्ग में ट्रैफिक जाम की समस्या आये दिन बनी रहती है। चूंकि उसी मार्ग पर विश्व की प्रख्यात मार्बल मंडी होने के कारण भी हजारों की तादाद में वाहनों का आवागमन रहता है जिसके कारण क्षेत्र में नवीन बाईपास सड़क निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सुरसुरा में तेजाजी का पैनोरमा बनाया जावे एवं क्षेत्र को अजमेर-पुष्कर धार्मिक सर्किट से जोड़ा जावे।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है उक्त विषय पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर किशनगढ़ क्षेत्र की जनता को ये नवीन सौगात प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरवीर सिंह बराड़।

श्रीगंगानगर से हिन्दूमलकोट सड़क का पुनर्निर्माण

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय सार्वजनिक विभाग मंत्री महोदय जी, श्रीगंगानगर जिले में हिन्दूमलकोट एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिन्दूमलकोट की जिला मुख्यालय से दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, परंतु तीन पुली से हिन्दूमलकोट सड़क कुछ जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण यहां की धरोहर हिन्दूमलकोट तक पर्यटक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हिन्दूमलकोट भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ-साथ सीमा के प्रहरियों का भी मुख्य स्थल है। भारतीय सेना को भी हिन्दूमलकोट सड़क के खस्ताहाल होने का नुकसान उठाना पड़ता है। चार किलोमीटर लंबी सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, जिला मुख्यालय से बेहद कम दूरी होने के बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर तक पर्यटकों का खस्ताहाल सड़क के कारण नहीं पहुंच पाना बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। यहां के निवासियों को भी परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पूर्व में यह सड़क 16 किलोमीटर बन चुकी है और अब मात्र 4 किलोमीटर निर्माण बाकी है। अतः आपसे निवेदन है कि स्थानीय जनता से जुड़ी इस सड़क का निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री गजेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (कर) विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की निम्नांकित 50 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-19 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा जीएसटीआर-4 रिटर्न डिफाल्टर के लिए एमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-20 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा रद्द पंजीकरण के निरसन हेतु आवेदन की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-21 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा धारा 62 के तहत जारी किये गये कर-निर्धारण आदेशों को वापस लेने के लिए एमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-22 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा जीएसटीआर-9 रिटर्न डिफाल्टर के लिए एमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-23 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा जीएसटीआर-10 रिटर्न डिफाल्टर के लिए एमनेस्टी योजना की समय-सीमा में वृद्धि की गई है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-24 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017-राज्य कर (दर) में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-25 दिनांक 26.07.2023,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष GTA द्वारा दायर घोषणा के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-26 दिनांक 26.07.2023 जिसके द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी छूट के विस्तार के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-27 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा परिशिष्ट-III में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-28 दिनांक 26.07.2023, जिसके द्वारा "विदेश व्यापार नीति" और "प्रक्रियाओं की पुस्तिका" की परिभाषा में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या F.12(56) FD/Tax/2017-Pt-III-137 दिनांक 31.12.2018 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-29 दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 2 से 24 के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-30 दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-31 दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा कुछ मालों के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-32 दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 158ए के

(श्री गजेन्द्र सिंह)

तहत 'लेखा संकलक' को उन प्रणालियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनके साथ सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझा की जा सकती है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(32)एफडी-कर-2022-III-34 दिनांक 16.08.2023, जिसके द्वारा रिप्स-2022 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-35 दिनांक 20.09.2023, जिसके द्वारा कंपोजिशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-36 दिनांक 20.09.2023, जिसके द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-37 दिनांक 20.09.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (दूसरा संशोधन, 2023) किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(35)एफडी/कर/2023-45 दिनांक 21.09.2023, जिसके द्वारा एफडी के आदेश क्रमांक एफ.12(5) एफडी/टैक्स/2023-102 दिनांक 10.02.2023 में संशोधन किया गया है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(36)एफडी/कर/2023-47 दिनांक 27.09.2023, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना -2023 लागू की गई है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-48 दिनांक 29.09.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(11) एफडी/टैक्स/2023-31 दिनांक 16 अगस्त, 2023 में संशोधन किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)एफडी/कर/2018-49 दिनांक 06.10.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के अपीलीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया गया है;

(श्री गजेन्द्र सिंह)

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-52 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-53 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-54 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं को आरसीएम से बाहर करने के संबंध में अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-55 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-53 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-56 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-55 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-57 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-58 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-59 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-43 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-60 दिनांक 20.10.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56) एफडी/

(श्री गजेन्द्र सिंह)

टैक्स/2017-Pt-I-44 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-61 दिनांक 27.10.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (तीसरा संशोधन, 2023) किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-पार्ट-I-62 दिनांक 20.12.2023, जिसके द्वारा 31 मार्च, 2023 तक पारित मांग के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-63 दिनांक 20.12.2023 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023, के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-64 दिनांक 20.12.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम की धारा 15(5) के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति, ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा अन्य ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति को अधिसूचित किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-65 दिनांक 20.12.2023, जिसके द्वारा निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों को बाहर करने के लिए दिनांक 15.11.2017 की अधिसूचना संख्या एफ. 12 (46)एफडी/टैक्स/2017-पीटी-II-143 में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-66 दिनांक 20.12.2023, जिसके द्वारा आरजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (तीसरा संशोधन, 2023) किया गया है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/कर/2023-67 दिनांक 20.12.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-68 दिनांक 01.01.2024, जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालन की तारीखों को बढ़ाया गया है;

(श्री गजेन्द्र सिंह)

40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-69 दिनांक 04.01.2024, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(56)एफडी/टैक्स/2017-Pt-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-70 दिनांक 09.01.2024, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-31 दिनांक 16-08-2023 को रद्द किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)एफडी/कर/2024-71 दिनांक 09.01.2024, जिसके द्वारा कुछ मालों के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)एफडी/कर/2017-55 दिनांक 27.07.2023, जिसके द्वारा सम्पत्ति पंजीकरण के समय पक्षकारों की आधार आधारित पहचान को अधिसूचित किया गया है;

44. अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)एफडी/कर/2023-56 दिनांक 04.09.2023, जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 600 करोड़ रुपये के ऋण के लिए निष्पादित दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

45. अधिसूचना संख्या: एफ.5(7)एफडी/कर/2019-57 दिनांक 12.09.2023, जिसके द्वारा सोफिया गर्ल्स कालेज, अजमेर के पक्ष में पट्टे के नवीनीकरण के लिए निष्पादित दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान की गई है;

46. अधिसूचना संख्या: एफ.2(9)एफडी/कर/2021-58 दिनांक 12.09.2023, जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में जारी एमनेस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है;

47. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-59 दिनांक 27.09.2023, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-41 दिनांक 10.02.2023 में संशोधन किया गया है;

48. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-60 दिनांक 27.09.2023, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत पंजीयन जिलों में उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है;

(श्री गजेन्द्र सिंह)

49. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-61 दिनांक 27.09.2023, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत पंजीयन जिलों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है; एवं

50. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)एफडी/कर/2023-62 दिनांक 27.09.2023, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 8 के तहत पंजीयन एवं मुद्रांक के अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग की 08 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.114, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 लागू किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.100, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) नियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.113, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) नियम, 2022 लागू किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.112, जिसके द्वारा राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् का गठन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.111, जिसके द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का गठन किया गया है;

(श्री कन्हैयालाल)

6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.110, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के विकास हेतु सशक्त समिति का गठन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(40)वित्त-1(1)आ.व्य./2022 दिनांक 18.11.2022 एस.ओ.109, जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सशक्त समिति का गठन किया गया है; एवं
8. अधिसूचना संख्या: एफ.4(17)वित्त-1(1)आ.व्य./2023 दिनांक 04.10.2023 एस.ओ.137, जिसके द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 को दिनांक 04.10.2023 से प्रवृत्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23) एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति के कारणों का विवरण

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमति के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

अजमेर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

2. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2022-23)

3. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2022-23.

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25 के लिये अधिकतम पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, 2024-25, प्राक्कलन समिति "क", 2024-25, प्राक्कलन समिति "ख", 2024-25 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2024-25, प्रत्येक के लिये अधिकतम 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1) 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष द्‌वारा सम्बोधन

राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) की सदन की कार्यवाही पश्चात् बैठक

आगे ई.आर.सी.पी. की कार्यवाही शुरू की जाये, उसके पहले मुझे आपको यह सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अभिभाषण पर उत्तर दिये जाने एवं सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् सदन में सी.पी.ए. की साधारण बैठक होगी। अपने यहां सबको ध्यान है कि सी.पी.ए. का गठन होता है, अपन सब उसकी साधारण सभा के सदस्य हैं तो थोड़ी देर के लिये अपन इकट्ठे होकर उसकी जो औपचारिकता है, उसकी जो कार्य सूची है, उसको अपन पूरा करेंगे।

माननीय सदस्यगण द्‌वारा कांस्टीट्यूशन क्लब आफ राजस्थान का सदस्यता फार्म प्रस्तुत का अनुरोध

दूसरी सूचना, कांस्टीट्यूशनल क्लब अपने यहां बना है और उसकी सदस्यता फार्म भरे जा रहे हैं। अभी भी बहुत कम सदस्यों ने एप्लाई किया है, तो सबको सूचित करते हुए जो भी उसके सदस्य बनना चाहें मैं समझता हूं अधिकांश लोग उसके सदस्य बनें, ऐसा आग्रह है कि आप सब सदस्यता फार्म शीघ्र भरकर अपने सचिव जी को दे दें।

तीसरा, एक आग्रह है कि इस ई.आर.सी.पी. की चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वाद-विवाद होगा। वाद-विवाद के लिये समय अपने यहां निर्धारित है। ठीक 4.00 बजे विपक्ष के नेता अपना भाषण शुरू करेंगे और ठीक 5.00 बजे मुख्य मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे। उस

(श्री अध्यक्ष)

दौरान सभी पक्षों से मेरा निवेदन है कि दोनों, जब विपक्ष के नेता बोलें तो इधर से कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलें और जब सदन के नेता बोलें तो इधर से भी कोई भी टिप्पणी न करें और कोई बीच में न बोलें। यह दोनों सदन में माननीय सदस्य हैं, दोनों बोलने वाले हैं। एक पक्ष बोलेगा, फिर दूसरा पक्ष बोलेगा तो सदन चल नहीं पायेगा। इसलिये मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात की अपन सब कठोरता से पालन करें और सभी सदस्यों के अपने-अपने सचेतक, अपने-अपने नेता उनको निर्धारित करें कि इस प्रकार से बीच में न बोलें।

अब ई.आर.सी.पी. पर जो कल मैंने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा होगी। निश्चित रूप से उस चर्चा में समय सीमा है, इसलिये बहुत कम सदस्यों को, जिन्होंने इसमें नाम दिये हैं, उसमें से भी जो आवश्यक हैं, उनको अनुमति होगी। सबसे पहले माननीय मंत्रीजी अपना वक्तव्य रखेंगे।

शासकीय वक्तव्य

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (ई आर सी पी) में हुई प्रगति

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल के सम्बन्ध में रहीम दास जी भी कह गये हैं -

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून।।"

अर्थात् पानी मनुष्य के जीवन का स्रोत है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में जल सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल है, जहां जल नाममात्र का है। साथ ही यहां वर्षा के कम होने से भीषण अकाल भी पड़ता रहा है, यह अपन सभी को विदित है। वर्षा को प्रभावित करने वाले पेड़ों की भी कमी है। इस कारण राजस्थान का जल संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भारत के समग्र विकास हेतु नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गयी थी। इस परियोजना के तहत भाजपा

(श्री सुरेश सिंह रावत)

की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 2017 में ई.आर.सी.पी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी गयी थी। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में, 2018 से 2023 तक इस योजना को लागू करने के लिये कोई भी सार्थक प्रयास एवं प्रगति नहीं की गयी थी, बल्कि एक कारपोरेशन बनाया गया था। उस निगम को सिर्फ 200 करोड़ रुपये दिये और 200 करोड़ रुपये देने के बाद उस निगम को कहा कि आप जमीनें बेचो, टापू बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 14 हजार करोड़ के टेण्डर लगाओ। कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। आपने टेण्डर लगा दिये और आप दावा कर रहे थे केन्द्र सरकार से कि या तो आप करो नहीं तो हम करेंगे। आपके पास पैसा तो था नहीं, कहां से करते?

इसके अलावा भी जब दिल्ली बैठक के लिये बुलाया 12.11.2021 को, तब न तो आपके मंत्री गये और न ही आपके सेक्रेटरी गये। 13.12.2022 को बुलाया, उसमें न तो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी नहीं गये और न मंत्रीजी गये। 27.09.2023 को बुलाया उसके अन्दर न तो आपके कोई सेक्रेटरी गये और न मंत्रीजी गये। 14.12.2023 को बुलाया तो आपके मंत्रीजी नहीं गये। इस तरह से सिर्फ कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोगों को दिखावा करने के लिये यह कार्य किया। धरातल पर इसको लागू करने के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किये।

राजस्थान में जल संसाधन की उपलब्धता में हालत काफी खराब है। राज्य में देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत एवं कुल भूजल का मात्र 1.72 प्रतिशत ही पाया जाता है। अत: हमें सतही जल के मुख्य स्रोत एवं वर्षा के जल का संग्रहण एवं संरक्षण तथा समुचित प्रबन्धन के साथ-साथ भूमिगत जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता है।

(समय: 12.59 बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के जल संकट के निवारण हेतु माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदीजी एवं मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के सार्थक प्रयास से जैसे हजारों वर्ष पहले ऋषि भगीरथ के तपोबल से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उसी तरह के प्रयास से राजस्थान के लिये संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल

(श्री सुरेश सिंह रावत)

परियोजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इस प्रकार एकीकृत ई आर सी पी जैसी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है।

(समय: 13.00 बजे)

वीर-वीरांगनाओं की पावन धरा राजस्थान को यह अति विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत दिसम्बर, 2023 से ही सरकारी स्तर पर एवं व्यक्तिगत रूप से भी परियोजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर लाने हेतु सकारात्मक रूप से प्रयास किये गये। माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से संशोधित पी के सी लिंक योजना को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्रियों की वार्ता दिनांक 28.01.2024 को आयोजित हुई। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच इस योजना की क्रियान्विति हेतु सकारात्मक बातचीत हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य बहुप्रतीक्षित एम ओ यू पर दिनांक 28.01.2024 को हस्ताक्षर किये। इस प्रकार यह एम ओ यू दोनों ही प्रदेशों के लिए स्वर्णिम युग का सूर्योदय होगा।

संशोधित पी के सी लिंक योजना के लिए हस्ताक्षरित किये गये एम ओ यू में ई आर सी पी योजना के सम्पूर्ण लाभों को तथा 13 जिलों के पेयजल के लिए यानी 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी, 26 बांधों में जल भरने के अतिरिक्त पानी की उपलब्धता एवं तकनीकी उपादेयता के अनुसार पूर्व में सम्मिलित बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले अन्य निर्मित बांधों को भी भरा जायेगा।

संशोधित पी के सी लिंक योजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्राथमिकता लिंक परियोजना हेतु सम्मिलित किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना में सम्मिलित होने के कारण इस परियोजना के लिए राष्ट्र की अन्य समकक्ष परियोजना के अनुरूप केन्द्र की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पहले की अपेक्षा काफी कम वित्तीय भार पड़ेगा। योजना राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना में आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाने से एक तरफ न केवल पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा, साथ ही क्षेत्र के किसानों

(श्री सुरेश सिंह रावत)

को पीने का पानी उपलब्ध होने के कारण किसानों की वार्षिक वित्तीय आय में आशातीत वृद्धि होगी। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वार खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना राजस्थान के विकास की गति को डबल इंजन की मजबूत सरकार के साथ डबल करने वाली है, किसान परिवारों को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने वाली है, जिससे किसानों का जीवन बदलेगा। साथ ही पर्यटन, उद्योग जगत की नई राहें खुलेंगी। भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा।

संशोधित पी के सी लिंक योजना के अंतर्गत ई आर सी पी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एकीकृत करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोनों राज्यों के गत लगभग 30 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा उपलब्ध पानी की गणना की जायेगी। यहां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 26 बांधों में जल भरने का प्रावधान रखा गया था। यह हमारी सरकार की संशोधित परियोजना में इन 26 बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बांधों को भी परियोजना में शामिल करने हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जा रहा है।

इस प्रकार पूर्व में तैयार परियोजना की तुलना में संशोधित पी के सी योजना के द्वारा कहीं अधिक लगभग 40 परसेंट राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाई जायेगी। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती इसलिए इसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सबको है, लेकिन यह पूर्वी राजस्थान के लिये जीवनदायिनी बन रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): ई आर सी पी पर धन्यवाद देने की बजाय...

श्री सभापति: आप विराजिये। विजन वही है। मंत्री जी ही बोल रहे हैं। मंत्री जी का ही विजन है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): स्टेटमेंट लिखा हुआ ही पढ़ा जाता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ पढ़ रहे हो। लिखा हुआ पढ़ रहे हो। मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सरकार का वक्तव्य है। नियमों के अनुसार लिखा हुआ ही आता है।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमों का अध्ययन करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बन रही इस ई आर सी पी पर धन्यवाद देने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी योजना के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है जो आपमें नहीं है।

(समय: 13.05 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

जो दृढ़ इच्छाशक्ति माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने दिखाई है, वह राजस्थान की जनता ने देखा है। इस निर्णय के माध्यम से देख लिया है। मेरे प्रतिपक्ष के सम्माननीय साथियों ने यह आरोप लगाया कि 28 जनवरी, 2024 को दोनों प्रदेशों के बीच हुए एम ओ यू में राजस्थान को दिये जाने वाले पानी को घटाकर आधा किया है, जबकि संशोधित पी के सी परियोजना बनाते हुए समय-समय पर किये गये विभिन्न आकलनों में जल की मात्रा में भिन्नता रही। एम ओ यू के अनुसार डीपीआर को अंतिम रूप दिया जायेगा, जिसमें जल की मात्रा की सही-सही गणना की जायेगी। योजना में सम्मिलित जिलों में से कुछ जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु समानान्तर रूप से योजनाएं विकसित की गयीं। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 13 जिलों में अगले 30 वर्षों की आबादी को मद्देनजर रखते हुए पेयजल आपूर्ति हेतु ई आर सी पी योजना में प्रस्तावित 1,730 एम सी एम के विरुद्ध 1,533 एम सी एम जल की मांग की गयी है।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक योजना में पूर्व में परिकल्पित योजना में सम्मिलित लगभग 2 लाख हैक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र, पूर्व में

(श्री सुरेश सिंह रावत)

सृजित 80 हजार हैक्टेयर को स्टेबलाइज करना, औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही 26 बांधों से अधिक बांधों में जल भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस योजना में गंभीरी, बाण गंगा, रूपारेल एवं साबी नदियां भी रिचार्ज होंगी। इससे राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। डोटासरा जी, 'साफ नीयत यही विकास, राजस्थान की पूरी हुई आस। ई आर सी पी से बुझेगी करोड़ों जन-जन की प्यास।' अग्रणी बनेगा राजस्थान। जन-जन का सपना हो साकार, यही चाहती है हमारी भजन लाल सरकार।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल मीना।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ई आर सी पी पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की गयी।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रदेश के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। पानी के हिसाब से भी जब सरफेस वाटर आप बता रहे थे कि 1.6 ही मिलता है। पूरे प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ, विभिन्न प्रकार की जल परियोजनाएं लागू कीं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर है, सरदार सरोवर है, माही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहा कि कोई ऐसी बड़ी योजना यहां आयी नहीं। पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त पानी की किल्लत पैदा हो गई। आप ही की सरकार ने जल के मामले में 2005 के अन्दर एक समझौता किया था। जिसमें जो पानी की मात्रा थी, 50 परसेंट निर्भरता पर समझौता हुआ था। उसी समझौते के तहत हमारी सरकार आयी। आपकी सरकार ने ही ई आर सी पी का प्रोजेक्ट बनाया था जब मैडम मुख्य मंत्री थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके तहत, वह जो ई आर सी पी का प्रोजेक्ट आपने बनाया था, 1,723.5 एम सी एम पानी सिंचाई के लिए यूज होना था, 286.4 एम सी एम पानी इंडस्ट्री के लिए यूज होना था। 1,500 एम सी एम पानी जिसमें आप बता रहे थे कि 2 लाख हैक्टेयर के आसपास सिंचाई होनी थी और 80 हजार हैक्टेयर, जो बचा हुआ पानी था, उसमें से पानी जो हमारे डैम थे, जो सूख गये थे, उनमें यूज होना था।

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम 26 डैमों को पानी से भरेंगे उस समझौते के बाद में। मध्य प्रदेश ने 2 बांधों का निर्माण

(श्री मुरारी लाल मीना)

कर लिया। करीब 2 लाख हैक्टेयर से ऊपर भूमि की सिंचाई भी कर रहे हैं। आपने डिपेंडेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं और आप यह कह रहे हैं कि 2 लाख 2 हजार हैक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। मैं समझता हूं कि इतना पानी आपको मिलेगा ही नहीं। आपने यह नहीं बताया कि आपकी सारी परियोजना में आपको कितना एम सी एफटी पानी मिलेगा। यह मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब पानी मिलेगा ही नहीं तो कहां से तो आप 26 बांधों को भरेंगे? कहां से आप 2 लाख हैक्टेयर में सिंचाई करेंगे? कहां से आप 80 हजार हेक्टेयर जो पहले सिंचाई होती थी वो करेंगे? पानी आपके पास है ही नहीं। आपने ई आर सी पी को चैंज करके, आपके जल शक्ति मंत्री महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था अख़बार में, वो कह रहे थे कि 13 जिलों के प्यासे कंठों का पाप लगा है इसलिए हमारी सरकार बदल गई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आप यह पी के सी बना रहे हो, यह उन 13 जिलों के लोगों का, हमने तो उनका कंठ ही सुखाया है, यह मैं मानता हूं कि हमारी लापरवाही रही, आप उनका कंठ काट रहे हो। पानी है ही नहीं आप कहां से देंगे? आप उनका कंठ काट रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने बजट प्रोविजन ही नहीं किया, हमने ई आर सी पी बनाई, बार-बार आपसे निवेदन किया, आपने जिद पकड़ ली कि हमको इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है, हमको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है। हमने हमारे स्तर पर बजट प्रोविजन किये, आज ईसरदा डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है जिससे दौसा को पानी मिलेगा, डूंगरी डैम पर हमने काफी पैसा खर्च किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन और है कि आपने स्वयं ने बोला हम 26 बांधों में पानी डालेंगे। जब ई आर सी पी योजना बनी थी, आपने बनाई थी, पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और आंदोलन यह हुआ था कि हमारे बचे हुए बांधों को इस योजना में और जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारी सरकार ने 53 बांधों को और जोड़ने का निर्णय लिया। उनका सर्वे हुआ और 79 बांधों को ई आर सी पी योजना के अंतर्गत जोड़ा था। आप बताइए, आपकी डिमांड थी? आप केवल यह कह रहे हो कि हम 26 बांधों को पानी से भरेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पी के सी की योजना बना रहे हो, इसमें पानी है ही नहीं। इसमें आपको 2 हजार एम सी एफटी से ज्यादा पानी मिलेगा ही नहीं, जबकि हमको 1,700 एम सी एफटी पानी तो

(श्री मुरारी लाल मीना)
केवल पीने के लिए चाहिए, इण्डस्ट्री के लिए चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बूंद सिंचाई पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में नहीं हो पाएगी। आप हमको भ्रमित कर रहे हो, आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। तीन रोज से खुशी मना रहे हो, कोई तो कह रहा है कि भगीरथ जी आ गए। आप मुख्य मंत्री महोदय को वहां माला पहना रहे हो, यहां पर माला पहना रहे हो। आपको खुद को पता ही नहीं है। आप तो यह बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। श्री रोहित बौहरा।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): आप तो हमको अनुमानित बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा? मध्य प्रदेश ने अपने यहां 2 डैम बना लिए, 7 डैम और वहां पर बनेंगे, 4 लाख 26 हजार हैक्टेयर की वहां पर सिंचाई होगी, हमारे यहां पर एक इंच सिंचाई होगी नहीं। हमारे केवल पीने का पानी, पीने का पानी ही बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि एक तो आप यह क्लियर-कट करो कि इतने बांधों को हम इस लिंक योजना से जोड़ देंगे, इतना पानी हमें इस लिंक योजना से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं और जितना पढ़ा है क्योंकि दो-तीन साल से पूर्वी राजस्थान में लगातार आंदोलन चलता रहा है। इससे आप एक बूंद भी सिंचाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कृपा करके इस एम ओ यू पर पुनर्विचार किया जाए। आप एक तो चलती विधान सभा में यह कर रहे हो, आप यहां पर पहले लाते, डिस्कस करते, जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों से बात करते, आपकी सरकार ने यह प्रोजेक्ट बनाया था उनसे बात करते, ताकि जनता का फायदा होता। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ में जितना बड़ा विश्वासघात इस भजन लाल सरकार ने किया है, कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले यह परियोजना 3,750 एम सी एफटी की थी। जो टोटल हमको पानी मिलना था, मध्य प्रदेश से वो 3,750 था। वसुन्धराजी की सरकार ने इसको 3,510 एम सी एफटी किया। डी पी आर बनाकर भेजी, वो डीपीआर और यह परियोजना यह कहकर बंद कर दी गई, माननीय मंत्रीजी, किरोड़ी लाल जी मीणा ने पूछा था जो मेरे पास यहां पर है,

(श्री रोहित बौहरा)

लिखा हुआ है, राज्य सभा में पूछा था। इन्होंने यह पूछा था कि यह परियोजना को क्यों नहीं आप नेशनल परियोजना घोषित कर रहे हो? आपके मंत्री ने, जोधपुर से आने वाले सांसद ने कहा कि डिपेंडेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 75 परसेंट पानी हमको नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) यह आपके मंत्री ने जवाब दिया किरोड़ी लाल जी को।

श्री अध्यक्ष: इधर सम्बोधित कीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी यह नेशनल परियोजना जो पांच साल आप कह रहे हो न कि कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, वो आपकी सरकार ने नहीं किया। मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि आपके पास 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी नहीं थी। आपने कहा, इसी प्रश्न में उत्तर है, चाहो तो मैं यह टेबल कर दूंगा। इसी क्वेश्चन में यह आंसर है, उसमें आपके जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अब हम ई आर सी पी को हटाते हैं, ई आर सी पी परियोजना ही नहीं है। अब क्या परियोजना हो गई? पी के सी परियोजना। क्या मजाक लगा रखा है। बड़े-बड़े होर्डिंगों में भजन लाल जी ने अपनी फोटो लगा रखी है। मोदीजी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्यों जनता की आंखों में मिट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं। यह सरकार, यह जनता आने वाले दिनों में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वह कभी असत्य बोलने वाली सरकार को माफ नहीं करेगी। आपने क्या कहा? आपने इसमें 902 एम सी एफटी, इस क्वेश्चन के आंसर में यह दे रखा है, जल शक्ति मंत्री ने, 902 एम सी एफटी पानी आपने एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को दे दिया तब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां पर आये, आपको खुश कर दिया, आपके मुख्य मंत्री से मिलकर। क्या हुआ? मध्य प्रदेश का सी एम आया, हमारे सी एम से मिला और हमने कर दिया। इसी ईगो में आप शांत हो गए। यह किसके लिए किया? आपने तो हमारे 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंक दी न? हमारे साथ इतना बड़ा कुठाराघात, विश्वासघात कोई नहीं कर सकता, जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। आपको टोटल वाटर मिलेगा कितना? 2,412 एम सी एफटी। यह आंसर है आपके मंत्री का। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका आंसर है, आपके मंत्री का। आपने क्यों नहीं बताया? मंत्री यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, मंत्री को यह नहीं पता कि कितने एम सी एफटी पानी मिलेगा। कह रहे हैं कि परियोजना की डी पी आर वापस

(श्री रोहित बौहरा)

बनेगी। It has already been decided. आपने इस सदन को असत्य बोला, आपने गुमराह किया है इस सदन को। मैं सबसे कहता हूं कि ऐसे मंत्री को ऐसा जवाब ही नहीं देना चाहिए था। क्यों किया आपने? क्या मजाक कर रहे हो आप? रावत साहब, पहली बार आप मंत्री बने हो, कम से कम सदन को तो गुमराह मत करो आप। यह तो आपके मंत्री का आंसर है, मेरा नहीं है। यहां तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें एक इंजन इधर चल रहा है और दूसरा उधर चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको पूरा बता दूंगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वासघात होगा तो स्माइल नहीं किया जाता है। आप पढे-लिखे हो, विश्वासघात कोई आपके साथ करेगा तो स्माइल कोई नहीं करेगा। आपने क्या किया? आप खुद कह रहे हो कि यह हो ही नहीं सकता। अभी क्या बताया कि 1,700-1,750 एम सी एफटी तो आपको ड्रिंकिंग वाटर देना है, 286 आपको यह देना है for your DMRC, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको पानी देना है। कहां से दोगे आप इर्रिगेशन के लिए? यानी ईस्टर्न राजस्थान के जो लोग हैं वे विदाउट इर्रिगेशन रहेंगे। यही आप लोग चाहते हो न? जो ईस्टर्न राजस्थान के लोग हैं, उनके लिए आप यही तो चाहते हो कि वो विदाउट इर्रिगेशन रहे। (व्यवधान)

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): आपने तो कुछ किया नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमने कुछ किया है कि नहीं किया है, मंत्री महोदय, एक तो आप अपनी जगह पर बैठो, फिर आप बोलो।

हमने कुछ किया है या नहीं किया है, आपने क्यों किया है उसका मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आप विराजो। पांच लोग बोलने वाले हैं। आधे घण्टे की चर्चा है, पांच-पांच मिनट बोलना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है क्योंकि आप भी अजमेर से आते हो। आप भी अजमेर से आते हो, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है। करने वाला हमारे साथ विश्वासघात कौन है? वो मंत्री जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। (व्यवधान) वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है।

श्री अध्यक्ष: सम-अप कीजिए। श्री सुभाष गर्ग।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): विश्वासघात करने वाला वो व्यक्ति है, जिसने हमारे साथ यह किया है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हो इस जनता को? क्यों मार रहे हो इस जनता को?

श्री अध्यक्ष: आपका वक्तव्य आ गया, जवाब दे देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जनता को मत मारो। (व्यवधान) आज इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पानी कम मिलेगा पहले से तो यह कह रहे हैं कि 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्या आप पेपर के जरिये हमें और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? सत्य तो बोलें। सत्य बोलने का धर्म तो निभाएं। आप एम एल ए बनकर आये हैं? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। अब अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: रिपीट हो रहा है। श्री सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो 28 जनवरी, 2024 को यह समझौता हुआ है, मैं समझता हूं वह समझौता राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो एम ओ यू हुआ है उसमें नया क्या है, सिवाय इसके कि हमने एक भीख मांगने का काम किया है। हमने राजस्थान के पानी के हितों को गिरवी रखकर, बेचकर, जहां 3,510, आपको ध्यान होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के दौरान जो एक एग्रीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान का 1999 में, जिसको एंडोर्स किया बी जे पी की सरकार ने, माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में, उसी के आधार पर परियोजना तैयार की गयी।

यह परियोजना वैपकॉस ने तैयार की। वैपकॉस, मैं समझता हूं कि इंडिया की सबसे बढ़िया सैंट्रल गवर्नमेंट की कम्पनी है। माननीय मंत्री जी, आप कौन-सी कम्पनी लाएंगे? पहले तो यह बता दें। क्या आपने एम ओ यू पढ़ा है? अध्यक्ष महोदय, पहले तो सदन में एम ओ यू ही नहीं रखा गया। सबसे पहले तो एम ओ यू सदन के पटल पर रखना चाहिये, उसे टेबल ही नहीं किया गया। चर्चा किस पर हो? अध्यक्ष जी, एक तो मैं आपके माध्यम से

(डॉ. सुभाष गर्ग)

कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी एम ओ यू की कापी सदन के पटल पर तो रखें। आप चर्चा करा रहे हैं। एक तो व्यवस्था का प्रश्न है, वह पटल पर ही नहीं रखा। उसका कारण यह हो सकता है कि एम ओ यू की कापी अभी तक माननीय मंत्री जी ने देखी ही नहीं हो।

मैं पूछना चाहता हूं, नया क्या है एम ओ यू में? (व्यवधान) 2 लाख हैक्टेयर? तो रख दीजिये सदन के पटल पर। यह तो डॉक्यूमेंट सदन का बन गया। आप रख नहीं रहे हैं। आपने कहा, 2 लाख हैक्टेयर सिंचाई, पहले भी इसी में है। डी पी आर जो बनी थी आपकी सरकार के दौरान, वह 2 लाख हैक्टेयर है। 80 हजार हैक्टेयर का जो पानी सिंचाई के लिए है, वह है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया, पहले कमांड एरिया था, फिर डी-कमांड हुआ, अब वे रीकमांड करेंगे और 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या है, बता दीजिये। आप गिना रहे हैं एम पी के जिले, 26 जिलों को मिलेगा। भाई, 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा। आपका ही एग्रीमेंट है। यह वैपकॉस ने बनाया है डॉक्यूमेंट।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 26 जिलों में से 13 राजस्थान के जिले हैं, 13 मध्य प्रदेश के हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, हम तो राजस्थान का पक्ष रख रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट केवल राजस्थान का है कि राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलना चाहिये। यह पुरानी डी पी आर का ही पार्ट है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपके नेता ने जिनके नाम दिये हैं, उन्हीं को पुकार रहा हूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कामर्स का स्टूडेंट रहा हूं। कोई भी एम ओ यू जब बनता है तो उसका पार्ट होता है कि कितने जल का आबंटन किया जायेगा। आपने जो एम ओ यू किया है, यह कह रहा है भविष्य में, अब यह भविष्य तय करेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान का आलरेडी 3,510 का एग्रीमेंट हो चुका है, आप कितने जल का आबंटन बढ़ाएंगे?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): एग्रीमेंट कब हुआ? कौन-सा एग्रीमेंट हुआ? बताइये आप।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, आप तो यह बता दें, क्या राजस्थान को इस एम ओ यू के होने के उपरान्त 3,510 एम सी एम से अधिक पानी मिलेगा? नम्बर वन। नम्बर टू, यह डी पी आर कब बनेगी? क्योंकि जब डी पी आर वैपकॉस की आलरेडी है, इसमें क्या नया करेंगे, क्या दायरा होगा? वह बता दें। तीसरा, बजट का आबंटन क्या है? आपने डी पी आर पहले भी बनायी थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो आलरेडी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस पर 14 हजार करोड़ का प्रोविजन किया था और आप कह रहे थे कुछ नहीं किया। आप दौसा में देखकर आइये ईसरदा बांध को, जाइये आप। करीब 1,000-1,100 करोड़ रुपये खर्चा हो चुका है। कारपोरेशन बनाया, कारपोरेशन बनते रहे हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 400 करोड़ वसुन्धरा सरकार ने भी दिये थे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): दिये तो अच्छा है, मैं कब मना कर रहा हूं? माननीय मंत्री जी, मना कौन कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मुझे खेद है इस बात के लिए कि सरकार ने राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है। केवल किसलिए? कि यह परियोजना घोषित हो जाये। और नाम, नाम क्या कर दिया? पार्वती-कालीसिन्ध-चम्बल लिंक परियोजना। नाम बदलने का कारण क्या है? हमारे जो माननीय केन्द्रीय मंत्री आते हैं, उन्हें वसुन्धरा जी से बड़ी चिढ़ है कि उन्हें श्रेय नहीं मिल जाये। भाई, नाम वाजपेयी जी के नाम पर रख देते, और कुछ रख देते, शेखावत जी के नाम पर रख देते, और कुछ कर देते, लेकिन केवल अपनी मूंछ बड़ी रखने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 28 जनवरी से पहले अपने स्तर पर क्या अधिकारियों के साथ इस एम ओ यू पर चर्चा की? यह बता दिया जाये। माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, यह राजस्थान प्रदेश की जनता आपको बद्दुआएं देगी। इन लोगों का गला काटकर गिरवी रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य, चर्चा करके मेरे द्वारा ही माननीय सी एम साहब को फाइल गयी थी।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा ई आर सी पी पर सदन में चल रही है और इसका नाम बदलकर 28 तारीख को जो एम ओ यू हुआ है, पी के सी, पार्वती-कालीसिन्ध चम्बल लिंक परियोजना कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि राजस्थान के इन 13 जिलों को पानी कैसे मिले। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भी सरकार रही थी, स्टेट में रही, दिल्ली में रही, आप कर लेते, आपको कौन मना कर रहा था? आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था? जो अभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बात कही थी, यह सही है कि ई आर सी पी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मामला राज्य सभा में डॉ. साहब उठाते थे, लेकिन लोक सभा में आपका तो कोई एम पी था नहीं, मैं ही उठाता था लोक सभा में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा गया, वह मैं पिनपाइंट करके आपको बता दूं। 24 मार्च, 2022 को लोक सभा में आपके जल शक्ति मंत्री ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि ई आर सी पी जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है। फिर चुनाव से पूर्व आपने वादा क्यों किया? क्यों लोगों को बरगलाया? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ई आर सी पी को लेकर जिस संशोधित डी पी आर के एम ओ यू पर साइन किये, उस संशोधित एवं पूर्व डी पी आर्स की यदि तुलना की जाये तो इस नयी डी पी आर में पानी के कितने हिस्से को कम किया गया? आप यह बताएं, क्योंकि हमने तो यही सुना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो यह कायदा होता है कि हम जिस एम ओ यू पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास उसकी कापी तो होनी चाहिये। हम चर्चा करें किस बात पर? यह तो भाषण देने वाली बात हो गयी। बड़ी चौपड़ पर हम भाषण दे रहे हैं या कहीं और खड़े होकर हम भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह बड़ी चौपड़ नहीं, सदन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसमें 1,700-1,800 एम सी एम के लगभग जो पानी है, वह तो खाली पीने का ही पानी है। जो परिकल्पना हमने 3,910 एम सी एम की की थी और 3,510 पर जो समझौता हुआ था, आप तो यह बताएं कि इस राजस्थान के 13 जिलों को इसके माध्यम से कैसे पानी पिलाएंगे?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 3,510 पर कभी भी समझौता नहीं हुआ। आप गलत बता रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पहले हुआ था डॉ साहब। पहले परिकल्पना की थी। 1999 में 3,910 की बात थी, फिर 2005 के बाद यह बात चालू हुई उस समय शायद हो सकता है कि आप लोक सभा में चले गये हों, पीछे हो गया होगा समझौता डॉ. साहब। मैं कह रहा हूं, 3,510 पर बात हुई, उसके बाद आप गये 1,700 पर। आपके जल शक्ति मंत्री यह कह रहे हैं। जब एम ओ यू जयपुर में किया तो दिल्ली मंगाकर पॉलिटिकल क्रेडिट जल शक्ति मंत्री क्यों ले रहे हैं? मुख्य मंत्री भजन लाल जी सक्षम हैं, वहां के मुख्य मंत्री सक्षम हैं। वित्त का क्या किया आपने? फाइनेंस का तो इसके अन्दर किया ही नहीं। वापस लेकर जाएंगे वहां?

लोक सभा चुनाव से पहले एक बार फिर बरगलाना कि हमने यह काम कर दिया। हम यह चाहते हैं साहब, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी जिन जिलों में आ रहा है, पीने के पानी को लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों जगह हरियाणा-पंजाब हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की सरकार रही, बी जे पी की रही। आपने किसानों पर गोलियां भी चलायीं। घड़साना-रावला आपको याद होगा अच्छे तरीके से। किस तरह किसानों ने शहादत दी? 2016 में आपने देखा होगा कि किसान के बेटे किस तरह से पानी के लिए शहीद हुए। हम चाहते हैं कि राजस्थान को पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले। खाली भ्रामक प्रचार मत करें। महिला आरक्षण बिल लेकर आ गये, परिसीमन के बाद 2047 में होगा। यह क्या बात कर रहे हैं साहब? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप अगर ई आर सी पी का नाम भी बदल रहे हैं तो कम से कम यह बता दें कि पानी कब तक आ जायेगा, कितनी फाइनेंस की व्यवस्था रखी है? सदन में वहां हमें जवाब कुछ दे रहे हैं, यहां बात कुछ कह रहे हैं। कौन-सा एम ओ यू हुआ? आनन-फानन में आधे घण्टे की चर्चा रख ली, जैसे कोई आज विधान सभा हो रही है तो चर्चा कराके समाप्त करें। आप क्रेडिट ले रहे हैं। इन्हें मौका मिला नहीं। इन्होंने विरोध किया और आपने चर्चा का समय दे दिया। यह तो मजाक बनकर रह गयी विधान सभा साहब। कुछ न कुछ ऐसा कीजिये कि राजस्थान की जनता को राहत मिले, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): हां, सर। पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। यहां बैठे हुए माननीय किरोड़ी लाल जी 2005 में मिनिस्टर थे और आज 2024 में भी मिनिस्टर हैं। इनके सानिध्य में सारा, चाहे डी पी आर बनी हो, ईस्टर्न कैनाल परियोजना के प्रतिभागी भी ये ही हैं और इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी आना है।

हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना बात किये ही यह परसों समझौता कर लिया। काश, इनको भी साथ ले जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनके नोटिस में सारी बातें रहतीं। सर, हम तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं। आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझौता टेबल हो जाता तो हम सदस्य भी पढ़ लेते और उस पर बोलते, लेकिन फिर भी जो समझौता हुआ है, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि क्वांटम आफ वाटर कितना है। यानी राजस्थान को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1999 में माननीय अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ समझौता हुआ। उस समझौते की कापी भी है। उसके बाद अगस्त, 2005 में वसुन्धरा राजे जी ने इसको सैकण्ड किया, यानी उन मिनट्स को अप्रूव किया, वह भी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जो प्रोजेक्ट बना, राजस्थान का हिस्सा था 3,915 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग में लेना था। जिसमें पेयजल के लिए 1,723, सिंचाई के लिए 1,500 और उद्योग के लिए 286 था। यह सही है कि अभी कल माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस पी के सी में, पार्वती-कालीसिंध-चम्बल में पानी मिलेगा 2,500 मिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात् हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उससे भी लगभग 1,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह

(श्री यूनुस खान)

जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है, उससे आप 2 लाख हैक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80 हजार हैक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे? जबकि आपका 1,400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जायेगा। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान में सिंचाई के सपने देखने बन्द कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने तो 1999 के बाद में अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। उसमें पार्वती पर पाटनपुर, नेवज पर मोहनपुरा और कालीसिंध पर कुंडलिया बनाया। उसमें 582 एम सी एम पानी और नेवज मोहनपुरा में उन्होंने 616 यानी कुल 1,200 एम सी एम पानी तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश अपने हिस्से का काम ले रहा है। राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। सरकारें आती हैं, जाती हैं, यह मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। वह सारे के सारे चाहे नवनेरा हो या चाहे ईसरदा हो, नवनेरा का 86 परसेंट काम पूरा हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आई है। मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक हो जायेगा। यह इसी योजना का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, अब ये किरोड़ी लाल जी जा रहे हैं, क्योंकि सोने के पिंजरे में बन्द कर दिया है, बोल नहीं सकते। एक शेर पहले दहाड़ता था, आजकल हमारे शेर ने दहाड़ना बन्द कर दिया। आज यह आदमी बोलता और इनसे राय ली जाती तो आज राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि ये भी इसमें हिस्सेदार थे।

मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं कि 83 मैम्बर्स ऐसे हैं हाउस में, जिनमें माननीय अध्यक्ष जी आप भी हैं और सब लोग हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं। यहां जो मुख्य मंत्री हैं, वे भी हैं। सबके क्षेत्र में पानी कम हो जायेगा तो यह पीढ़ी तो आपको बद्दुआ देगी ही देगी, आने वाले लोग भी कहेंगे कि इन 83 लोगों को हमने चुनकर भेजा था, बिना पढ़े इन्होंने राजस्थान के हितों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए यह समझौता नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। डॉ. किरोड़ी लाल मीना।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ही बोलूंगा। हमारा आग्रह है कि इसमें बार-बार कहा गया है कि टास्क फोर्स बनायेंगे। इनका अन-आफिशियल समझौता मेरे पास है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है। इसमें लिखा है कि टास्क फोर्स बना देंगे, टास्क फोर्स कब बनेगी? ये एन

(श्री यूनुस खान)

पी पी की बात कर रहे हैं। ये जिस पी के सी की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में पूरे हिन्दुस्तान में 16 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिनको चिन्हित किया गया था। आई एल आर, इंटर लिंकिंग रिवर के अन्दर चिन्हित किया गया था, उसमें से पी के सी एक थी। अब आप 2004 का हवाला देते हुए 2024 में समझौता कर रहे हो। अब तो जनसंख्या बढ़ गई है।

मैं मुख्य मंत्री जी की प्रेस कांफ्रेंस सुन रहा था। वे कह रहे थे कि 2 करोड़ 81 लाख 83 हजार जनसंख्या को पीने का पानी मिलेगा। माननीय, मैं अफसरों से कहता हूं कि कम से कम मुख्य मंत्री को आंकड़े तो सही दिया करें। आज इन 13 जिलों की जनसंख्या साढ़े चार करोड़ हो गई है और कह रहे हैं कि 2 करोड़ 81 लाख को पानी पिलायेंगे। इसलिए मेरी फिर से राय है, यह पहले पढ़ें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष: आपको 6 मिनट हो गये हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): आप इस पर इन 83 लोगों की एक कार्यशाला तो करवा दो, जिससे इनको पता तो चले कि हमारे साथ अहित हो रहा है या हित हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। डॉ. किरोड़ी लाल मीना। बैठे-बैठे नहीं बोलें। आपके छह लोग बोल चुके हैं, अब इनको बोलने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले किरोड़ी लाल जी से शपथ दिलवायें, जो बोलूंगा, सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: पहले आप ले लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो जैसा करता है, उसको वैसा ही याद आता है। किरोड़ी लाल जी ने सत्य बोला है, सत्य बोलेंगे पर आप हमेशा असत्य बोलते हैं, असत्य बोलेंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी माननीय सदस्यों के विचार सुने। माननीय मुरारी लाल जी ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा और बौहरा जी ने पूछा कि 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। श्री सुभाष जी ने पूछा कि एम ओ यू में क्या नया है और वैपकॉस से सर्वे करवायेंगे क्या। भविष्य में कैसे डी पी आर बनेगी। ई आर सी पी राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है।

जिस सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है और यूनुस खान जी कह रहे हैं कि कितना पानी मिलेगा, वे 2,500 एम सी एम पानी

(श्री किरोड़ी लाल)

बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एम पी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया। यह स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पर खड़ा हुआ था। तब गहलोत साहब यहां मुख्य मंत्री थे। इनको किसने मना किया था इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए? इन्होंने क्यों नहीं किया?

अब मैं बताता हूं राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है देखो प्रयास तो आपने भी किये हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। वसुन्धरा जी की सरकार में बहुत हुए। प्रयास 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के सोलह हजार पुत्र थे, उन्होंने भी गंगाजी को अपनी धरती पर लाने के प्रयास किये थे, लेकिन हमारे भगीरथ भजन लाल जी आ गये, इसलिए सम्पन्न हमारे समय में हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): इनको राष्ट्रीय परियाजना की जिद है। जैसे बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है, वैसे ही इनकी जिद है कि राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है, माननीय गहलोत साहब का, जो कमलनाथ जी को दिनांक 08.07.2019 को, नोट कर लेना और 27.01.2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत जी के पत्र को यह कहकर मना कर दिया कि आप 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाओ तब हम सहमति देंगे, नहीं तो हम सहमति नहीं देंगे। अब यह बीमारी कहां से आई? ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को आपका ही राज था, इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं। उस समय एक आफिस मेमोरेंडम जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि, the criteria of 75 per cent dependability may be continued for major irrigation projects. 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी, यदि किसी को मेजर प्रोजेक्ट सैंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50 परसेंट, सी डब्ल्यू सी की गाइडलाइन मानती है 75 परसेंट और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): ऐसे ही 21 सितम्बर, 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ जिसमें था कि, lower than 75 per cent would be permissible only for the project. इंटर स्टेट में तो 75 परसेंट ही चलेगा तो जो आप दो

(श्री किरोड़ी लाल)

बांध, मध्य प्रदेश ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये जो यूनुस खान जी ने उठाया, वह इन्ट्रास्टेट उनका मैटर था इसलिये उन्होंने अपने बांध बना लिये। अब यह कह रहे हैं कि आपने पी के सी कैसे जोड़ दिया? इनको पी के सी पर प्रॉब्लम है और पानी कितना मिलेगा यह एक बार मैं सबको संतुष्ट कर दूं क्योंकि यह मामला ही ज्यादा उठाया गया डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा। कोई 2,000 बता रहा है, कोई 2,400 बता रहा है, कोई 2,500 बता रहा है। पूरा आप नोट कर लेना। यह डिमांड के हिसाब से है और इसमें जो हमने समझौता किया है पता नहीं आपने 3,150 का आंकड़ा कहां से लिया है। 3,150, 3,600, 3,900 ये बोल रहे हैं, पर आप पूछ लेना, आप तो यह कह रहे हैं कि 3,510 पर समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। (व्यवधान) हां डी पी आर, मैं बता रहा हूं डी पी आर। अब आप डी पी आर सुन लो। अपना यह जो 'Drinking water requirement for Beesalpur and Isarda' नोट करते जाना। अलवर, जयपुर 128.03 एम सी एम चाहियेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो आपके एक एम एल ए साहब आफिसर्स गैलरी में बैठ गये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। सुनिये पहले।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): ईसरदा, दौसा, सवाईमाधोपुर को 97.46 एम सी एम चाहियेगा, जयपुर रूरल को 95.23 एम सी एम चाहियेगा। Total water required for Isarda inclusive of losses 30 per cent-यह होगा अध्यक्ष महोदय, 416.94, फिर बीसलपुर डैम - additional water demand for Beesalpur. जो अब डिमाण्ड आयी है वह है 476.48 एम सी एम, additional demand from Beesalpur including losses of 30 per cent वह है 619.42 प्रतिशत, water required to fulfil the deficit of Beesalpur, उसको चाहिये 442.92 प्रतिशत, total water required for Beesalpur including deficit, उसको चाहिये 1,062.34 एम सी एम। अब water required by PHED MCM to Kota and Bundi district is 54 MCM. Total water required to PHED, जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा जो प्रजेंट आंकड़ा है जो हमने पी एच ई डी से मांगा है वो चाहियेगा 1,533.28 एम सी एम।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): कब के आधार पर है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अब के आधार पर।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप यह कह रहे हैं कि 2051 की डिमाण्ड को पूरा करेंगे।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हां, बिलकुल करेंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): वह इन्क्लूड नहीं है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): वह 2051 तक के लिए है। अब आया water required for Industrial uses. अब यह है-gross water required including 30 per cent reserved losses, यह 130 एम सी एम। Water required for Irrigation. सुन लो आप। Water required for Irrigation is 565.82 MCM. अब वो कहां-कहां है वह देख लो। जो 26 डैम मुरारी लाल जी बोल रहे थे और बाकी जो लोग बोल रहे थे। (व्यवधान) सुन लो, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बोल कुछ रहे हैं और आपकी आत्मा कुछ कह रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी यह आदत बन्द करिये। पहले सुन लीजिये। आपके दल के लोगों की भी बात सुनी है इन्होंने, आप भी सुनिये। बैठिये। बीच में बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री रामकेश (गंगापुर): ...(व्यवधान) आप डी पी आर की बात करिये और डी पी आर वैपकॉस कंपनी ने बनायी है। आपने ही सबसे पहले दौसा के बांधों को भरने के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। फिर आपके बीच में भी बोलेगा कोई। बैठिये। मिस्टर रोहित, बैठिये। पूरा सुनिये एक बार।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अब मैं आपको बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं इनको चिन्ता है कि बाकी के डैम कहां गये तो 26 डैम को 402 एम सी एम पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमाण्ड की थी, आन्दोलन किये थे, आप सुन नहीं रहे थे तो आपने 53 डैम चिह्नित किये, क्यों मुरारी लाल जी? 53 डैम चिह्नित किये उनको मिलेगा 150 एम सी एम पानी। (व्यवधान) मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये। आपकी भी बातें सुनी हैं इन्होंने। आप भी सुनें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): जहां से पानी चलेगा जयपुर तक वह 53 और 26 डैम हो गये जो रूट में पड़ेंगे। ये रूट में पड़ने वालों को 150 एम सी एम, अजमेर के लिए 66.42 एम सी एम, टोरड़ी सागर के लिए 57 एम सी एम और इन्द्रगढ़ के लिए 25.195, अब यह हो गया 2,930.20 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। चर्चा आधे घंटे की है। इनका विषय आने दीजिये। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सुनिये। आपको भी सुना है, इनको भी सुनिये। रोहित जी, आपको भी सुना है, इनको भी सुनिये। आपकी बातें भी इन्होंने सुनी हैं, आप भी सुनिये। एक बार सुन लीजिये। एक बार सुनिये। आपका नम्बर नहीं है। आपकी बात हो गयी। आपको पांच मिनट दिये थे, आपने विषय रख दिया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बौहरा जी ने कहा, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, बिना अनुमति के न बोलें। श्री हरीश जी मीना। श्री हरीश जी, बिना अनुमति के नहीं बोलें। आपका नम्बर हो गया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): हरीश जी की आत्मा पहले बी जे पी में थी जो अब कांग्रेस में चली गयी तो यह तो बदलती रहती है आत्मा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बार पूरा कर लें, उसके बाद। बीच में न बोलें। एक बार पूरा कर लेने दो।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): 2,930 हुआ, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बार पूरा हो जाने दें, उसके बाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): फिर बीच में बोल रहे हैं बार-बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनसे क्या है कि बोला नहीं जा रहा है इसलिये हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बौहरा जी, 448 एम सी एम पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही। एक बार सुनिये उसके बाद बोलिये। रोहित जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): डॉ. साहब, एक चीज बता दो। आपके हिसाब से बिलकुल ठीक दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, आप ही के क्वेश्चन पर जब गजेन्द्र सिंह शेखावत यह बोलते हैं कि

(श्री रोहित बौहरा)

हम राजस्थान को 2,412 एम सी एफटी पानी दे रहे हैं तो या तो राज्य सभा में उन्होंने आपको गलत फिगर दिये। यह बोल दें आप कि गलत फिगर दिये हैं। इसमें 2,412 है, मैं टेबल कर सकता हूं, इसलिये बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब सुनिये। माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। आपको 2,412 का फिगर उन्होंने दिया और उन्होंने क्या बोला कि राजस्थान को, we can't give more than this. And we will not be giving irrigational facilities. We are only giving drinking water facility to Rajasthan. This is what my issue is.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात आप बोल चुके हैं। माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके हो माननीय सदस्य। यह बात आप बोल चुके हो। रिपीट मत करें।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूं जो अब प्रजेंट एम ओ यू में फाइनल होने जा रहा है। जिसकी डी पी आर बनेगी उसमें 448 एम सी एम पानी धौलपुर लिफ्ट को। इस प्रकार से हो गया 3,378 एम सी एम पानी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब बोलोगे तो आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): ...(व्यवधान) पानी आयेगा कहां से? पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं, पानी आयेगा कहां से?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बात आप बोल चुके हो। बैठिये। रिपीट मत करो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप तो यह बता दीजिये कि एम ओ यू में कितना एम सी एम पानी है? कितना मेन्शन है? यह बता दो बस।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर (व्यवधान) जो सत्य निकलकर आ रहा है उसको बार-बार व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनको पूरा बोल लेने दो।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): माननीय मुरारी लाल जी एवं सुभाष जी गर्ग, अगर पानी नहीं है तो आप ई आर सी पी घोषित करके कहां से पानी लाते? (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा): पानी पर कितनी डिपेंडेबिलिटी है, यह बता दो आप। (व्यवधान)

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय मंत्री जी, इसका जवाब मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप दे चुके, आपका भाषण हो गया। (व्यवधान) फिर औरों के कराने पड़ेंगे। मेरे को चर्चा समाप्त करनी है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार ई आर सी पी की मांग कर रही थी कि ई आर सी पी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाये। 2015-16 के बाद से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते तो 60 परसेंट देता केन्द्र और 40 परसेंट राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केन्द्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन-बेतवा की लाइन पर ई आर सी पी प्लस पी के सी को देने के बाद यह एन पी पी का प्रोजेक्ट हो गया। एन पी पी का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद 90 परसेंट मोदी जी देंगे और 10 परसेंट भजन लाल जी देंगे। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब को यह पूछ रहा हूं कि एन पी पी तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया। यह एन पी पी कौनसी है?

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि एन पी पी क्या होती है। नदियों को ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए, सुनिए आप।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अटल जी के समय एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिह्नित की थीं। उसमें मध्य प्रदेश की केन-बेतवा हुई थी, उसको भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। उसी तरह से पी के सी, पार्वती-कालीसिंध-चम्बल योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम किया है। अब यह कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, यह घर से तो आपने दिया नहीं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): तो मोदी जी क्या घर से दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे कोई नहीं बोलें। (व्यवधान) जेब से कोई नहीं लाता। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिए, सुनिए। जेब से कोई नहीं लाता। आप भी नहीं लाते, ये भी नहीं लाते।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह वसुन्धरा जी के समय भी लम्बी-पूरी राशि दी गई थी। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन के पैसे को डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया। (व्यवधान) वहां से पैसा दिया है। कहां का पैसा कहां...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसकी तो जांच कराओ .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी को बोलने दें। आप बीच में मत खड़े होइए। जो बीच में बोलें, उसका अंकित नहीं होगा।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): यह तो आपको जानकारी है कि पी के सी आइडेंटिफाई हुई थी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल इन्हीं का अंकित होगा, आप समय मत खराब कीजिए, आगे चलना है।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): बौहरा जी, यह तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्य मंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था। आपके मंत्री ने मना कर दिया और हमारे मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सहमति दे दी। आप सहमति ही नहीं ले पाये। डबल इंजन की सरकार ने जो यह काम किया है, इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सैंक्शन कैसे हो गया। इन्हें स्वीकृति पर आपत्ति है। इसमें भरपूर पानी मिलेगा। जो मैंने आंकड़े दिये, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, गांवों में सैलेनिटी खतम होगी, गांवों की 40 परसेंट आबादी को भरपूर पानी मिलेगा और 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ई आर सी पी पर बहस समाप्त। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू। (व्यवधान) हो गया। आधे घंटे की चर्चा थी, चर्चा हो गई। अब कुछ नहीं। (व्यवधान) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

प्रारम्भ। श्री अर्जुन लाल जीनगर। (व्यवधान) हो गया, उत्तर आ गया। (व्यवधान)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, ई आर सी पी पर समझौता हो गया, विपक्ष के पेट में गुठले पड़ रहे हैं, इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि राजस्थान का भला कैसे हो रहा है। डबल इंजन की सरकार अच्छे फैसले क्यों ले रही है? इनके पेट में गुठले पड़ रहे हैं, आपको मिर्ची लग रही है। क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अर्जुन लाल जीनगर, अपना भाषण जारी रखें। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको इतना मौका दिया, राज्य में भी कांग्रेस सरकार रही, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, आप यह एम ओ यू नहीं करा सके। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। यह एम ओ यू आपको पहले करा लेना था। आप यह एम ओ यू नहीं कर सके, इस कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है। भजन लाल सरकार ने, हमारी सरकार ने अच्छा फैसला किया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब-जब भी हमारी सरकार अच्छे फैसले लेती है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। आपको यह तकलीफ नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान) धोखा तो आपने 70 साल तक दिया है। आपने राजस्थान की जनता को इतने वर्षों तक धोखा दिया है। पूरे हिन्दुस्तान को डुबोने का काम आपने किया, पूरे राजस्थान को डुबोने का काम आपने किया। (व्यवधान) राजस्थान में कई बार आपकी सरकारें रहीं, लेकिन आपने राजस्थान का भला नहीं किया, अब आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, यह पेट में दर्द चलता रहेगा। आज भजन लाल सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच समझौता हुआ है, इस समझौते को आप पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाओ। (व्यवधान) राम मन्दिर बन गया तो

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आपको तकलीफ, यह एम ओ यू हो गया तो आपको तकलीफ, आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी। अब विपक्ष में बैठ गये हो, एक तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। आपने जो राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है, उसका राजस्थान की जनता ने आपको जवाब दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल द्वारा यहां अभिभाषण पढ़ा गया और पिछली सरकार की कमियों और उपलब्धियों के बारे में लेखा-जोखा रखा गया। उस लेखे-जोखे में यह सामने आया कि गत कांग्रेस की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही है। (व्यवधान) यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि पांच साल तक कांग्रेस की सरकार सिर्फ होटलों में रही और जनता के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इस सरकार में मुख्य मंत्री की कुर्सी के लिये मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री फाइव स्टार होटलों में रहे, जनता का भला नहीं किया। जनता का भला नहीं करने के कारण आपको विपक्ष में बैठना पड़ा। सारे जनहित के काम बंद हो गये। आपकी सरकार जनहित के कार्यों को करवाने में नाकाम रही। पिछले पांच साल की सरकार सिर्फ माफियाओं के हाथों में ही खेलती रही और राजस्थान में अराजकता पैदा करने का काम आपने किया। आपकी सरकार सुशासन नहीं दे सकी, राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने में फेल रही। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा और बेरोजगार, आम आदमी की परेशानी को सुनकर उसको दूर करने का काम करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके लोग भी बोलने वाले हैं, कृपया अपनी सीटों पर बैठिए।

(समय: 14.00 बजे)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार खुशहाल राजस्थान, विकसित राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून-व्यवस्था को पुख्ता करेगी, पिछली सरकार में कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गयी थी और 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' ऐसी कहावत चरितार्थ हो गयी थी। पिछली सरकार

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

में बहन-बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। थानों में, चिकित्सालयों में महिलाओं की आबरू को लूटा जाता रहा, रक्षक ही भक्षक बन गये। ऐसा लग रहा था कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे, पुजारी, संत-महात्मा भी सुरक्षित नहीं थे। दलितों पर अत्याचार किये जाते रहे और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान अपराध की भट्टी के अन्दर जलता रहा। राजस्थान को तुष्टिकरण के आधार पर यह सरकार चलाती रही। उदयपुर में दिन-दहाड़े कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है। जयपुर के अन्दर समाज विशेष के व्यक्ति की हत्या होती है, उसका 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और कन्हैया लाल की हत्या होती है तो उसका 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। भीलवाड़ा में ऐसे ही तापड़िया की हत्या होती है, चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है, जयपुर के अन्दर महिला शिक्षक को दिन-दहाड़े जिन्दा जलाकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से सरकार को पूरी तरह से तुष्टिकरण के आधार पर चलाने का काम आपने किया।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इधर नहीं आयेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंता कि पिछली सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंककर रख दिया। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पनपा। जमीनों में भ्रष्टाचार, जमीनों के आबंटन में भ्रष्टाचार, बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार, कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, नरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार। इंदिरा रसोई में भी आपने भ्रष्टाचार किया है। बीज खरीद में भ्रष्टाचार किया है, दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा, जिसको आपने भ्रष्टाचार की भट्टी में नहीं झोंका हो। राजस्थान के अन्दर 24-24 बार पेपर लीक करके युवाओं व बेरोजगार के साथ अन्याय करने का काम आपकी सरकार ने किया है। इस पूरे राजस्थान को आपने नाथी का बाड़ा बनाकर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। पेपर लीक करने का काम आपने किया। आर पी एस सी की परीक्षा की मैरिट में आने वाले बेरोजगार युवाओं का हक छीनकर आपने अपने रिश्तेदारों को आर ए एस बनाने के लिए उनका सहयोग करने का काम किया। बेटा-बेटी, बहू, सगे-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सम्बन्धी, सबको आपने आर ए एस बनाने का काम किया और शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगी और पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके उनको जेल भेजने का काम करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनावी वर्ष में आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया। यह सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही। कई जिले बना दिये, नगरपालिकाएं बना दीं, विद्यालय खोल दिये, तहसीलें बना दीं, कालेज खोल दिये, चिकित्सालय खोल दिये, उप चिकित्सालय खोल दिये पर पदों का कोई प्रावधान नहीं रखा। आपने किसी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं रखा। आपकी सरकार ने अविवेकपूर्ण नीतियों द्वारा अदूरदर्शी निर्णय करके, आर्थिक कुप्रबंधन करके पिछले पांच वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में झोंकने का काम किया। हमारे समय में राजस्थान विकसित राज्य बनने वाला था, लेकिन आपने इसको कर्ज में डुबोकर इसको वापस बीमारू प्रदेश बनाने का पाप किया है। यदि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को देखें तो 2018-19 के अन्दर 31 मार्च, 2019 को राज्य पर 3 लाख 11 हजार 74 करोड़ का भार देने का काम आपने किया। 40 हजार 300 रुपये प्रति व्यक्ति भार आपने डालने का काम किया। 2023-24 के अन्दर यह कर्जा बढ़कर 5 लाख 69 हजार 781 करोड होने का अनुमान है, प्रति व्यक्ति कर्जा 70 हजार 400 रुपये का होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार गरीब के कल्याण की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार, केन्द्र में मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के कार्यों को हाथ में लेकर सम्पूर्ण राजस्थान को ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री शान्ती धारीवाल। आप अपनी सीटों पर जायें, इसके बाद नम्बर नहीं आयेगा। आप सदस्यों को सुनें। श्री शान्ती धारीवाल। आप अपनी सीटों पर जाइये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हमारी सरकार गरीब परिवारों को निश्चित रूप से शौचालय देगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती धारीवाल। फिर मैं अगला नाम इधर से पुकार रहा हूं। अब आपका नम्बर गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): गरीब परिवारों को पक्का मकान देगी। मीठे जल का नल कनेक्शन देगी, हर हाथ को काम मिलेगा। हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, हर घर को जल का कनेक्शन मिलेगा। परिवारों का इलाज नि:शुल्क होगा ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी जगह पर जाएं, आपके सदस्य नहीं बोल पायेंगे, यदि सीटों पर नहीं जायेंगे। अगला नाम पुकार रहा हूं। श्री राम सहाय वर्मा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बीमा योजना का लाभ मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अपराध मुक्त राजस्थान बनेगा और हमारा राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): अध्यक्ष महोदय, सोलहवीं विधान सभा के लिए निर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई एवं अभिवादन के साथ महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव में जनता जनार्दन के मताधिकार ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करके हमें जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा परम ध्येय है। विगत पांच वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के आन्तरिक अंतर्विरोध और खींचतान, राज्य के विकासोन्मुखी नीति एवं निर्णय की अक्षमता के कारण ही आज आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारा संकल्प 'सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेगा। हमारा संकल्प पत्र ही हमारी कार्ययोजना है। इस कार्ययोजना पर मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही इस कार्ययोजना पर राज्य के विकास पर अपना फोकस केन्द्रित किया है। समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं में किस प्रकार लाभान्वित करके अंत्योदय उद्धार किया जाये, इस हेतु हमारी सरकार निरन्तर अग्रसर रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निवाई-पीपलू की जनता का, जिसने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से देवधाम जोधपुरिया, हरभावता आश्रम,

(श्री राम सहाय वर्मा) (रेगर)

नटवाणा में बद्री विशाल मन्दिर हैं। साथ ही, शिवाड़ का शिव मन्दिर जो भारत के द्वादश ज्योतिलिंगों में से एक है। इन स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निवाई में फूड पार्क बनाने के सम्बन्ध में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, जबकि निवाई में आज दिन तक कोई फूड पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निवाई में घोषित बस स्टैण्ड का निर्माण, रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण, ट्रोमा हास्पिटल का निर्माण, देव नारायण छात्रावास आदि का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे नेता, प्रतिपक्ष, थानागाजी में हुए रेप काण्ड को प्रशासन ने सात दिन तक दबाकर रखा, क्योंकि उस समय प्रशासन तत्कालीन सम्माननीय मंत्री टीकाराम जूली जी के प्रोटोकाल में व्यस्त रहा। इसमें निजी व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका है। पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के श्री डोटासरा जी, जैसे आलू से सोना निकालते हैं, उसी तरह से इन्होंने शिक्षा मंत्री बनकर आर पी एस सी में अपने चहेते, परिवार के चार सदस्यों का सलेक्शन करवाया। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तुष्टिकरण की राजनीति के सन्दर्भ में सम्माननीय सदस्य जुबेर खान जी को धन्यवाद देता हूं कि आजादी में मुसलमानों का महत्व तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम में तो जामताड़ा तक को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र में हिन्दुओं का पलायन हो रहा है तथा हिन्दू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही, मेवात में धर्मांतरण ही नहीं, अपितु संगठित अपराध भी चरम पर हैं। हिन्दुओं के पलायन में तो सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर हुई है। मेवात ब्रज मण्डल का वह क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाये जाते हैं। मेवात क्षेत्र में ठगों द्वारा अपने घरों में ए टी एम लगाये हुए हैं तथा बैंकों में फर्जी खाते खुलवाये हुए हैं जिसमें करीब 200 करोड़ की ठगी का अनुमान है। करौली हिंसा में पी एफ आई मामलों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गयी मदद सबके सामने आ चुकी है जिसमें 10 से अधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(श्री राम सहाय वर्मा) (रेगर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजनीतिक संरक्षण के कारण गोकशी, वाहन चोरी, लूट-डकैती से लेकर साइबर क्राइम का गढ़ बन चुका है। अलवर तथा भरतपुर जिले में तिजारा, किशनगढ़बास, कामां शहरों में मुस्लिम आबादी का अत्यधिक प्रभाव है। अत: मेवात में स्पेशल फोर्स भेजकर मेवात को अपराधमुक्त करवाया जाए। मैं रफीक खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना काल में समाज सेवी हाजी रफअत अली की अंतिम यात्रा में 15 हजार लोगों को जुटवाया। इस सम्बन्ध में रामगंज थाने में रफीक खान जी तथा 11 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि हाजी साहब की स्वयं की अपील रही। इनका जुलूस तक रोका गया। इस अंतिम यात्रा में पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 100 से ज्यादा पुलिस जवान, स्वयं डी सी पी अनिल देशमुख, आर पी एस सुमित शर्मा, रामगंज थानाधिकारी बी.एल. मीणा एवं सुभाष चौक थानाधिकारी भूरीसिंह मौके पर मौजूद रहकर इस यात्रा को देखते रहे। महोदय, विधायक रफीक खान जी ने जयसिंहपुराखोर तथा अन्य इलाकों में करीब 30 हजार मुस्लिम आबादी, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, के नाम विधान सभा की मतदाता सूचियों में जुड़वाये। इस मामले की जांच करवाना बहुत जरूरी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत पूर्ववर्ती सरकार के समय में मालपुरा में तुष्टिकरण की राजनीति के तहत पुरानी तहसील में गुर्जर मोहल्ले में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवकों को उलाहना देने के मामले में पत्थरबाजी हुई तथा देर रात तक शांति भंग होने के कारण 144 लगायी गयी, जिसमें दो पक्षों के बीच झड़प होना बताया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह और बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्यमंत्री ने केवल गहलोत साहब को खुश करने के लिए यह तक कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनकी जांच कराई जाए। इनकी पूरी जांच हो। आपने मुझको समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान। श्री रफीक खान। आप सबसे एक बार पुन: अपील कर रहा हूं अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। आपके सदस्य बोलने वाले हैं। किसी का भी नंबर नहीं आएगा। एक बार पुन: आपसे आग्रह कर रहा

(श्री अध्यक्ष)

हूं कि अपनी सीटों पर जाइए। आपका प्रोटेस्ट हो गया, आपकी बात आ गयी। अपनी सीटों पर जाइए आप। सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर लौटें, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा कार्यवाही में। आपसे पुन: निवेदन है।

श्री सुभाष गर्ग। डॉ. सुभाष गर्ग।

डा. ऋतु बनावत।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं लोहागढ़ की बहू और मेवाड़ की बेटी, जिसको आपने सदन में बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही बयाना की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूं जिसने दोनों पार्टियों को चित कर विकास की आवाज बनने का अवसर प्रदान किया।

आज समस्त भारतवासी सौभाग्य की दीवाली मना रहे हैं और हमारा बयाना परिवार तो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है कि जो राम मंदिर में पत्थर लगा है, वह हमारी धरती के गर्भ से निकला है। जैसा कहते भी हैं कि "जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई" हम सब रामजी की विशेष कृपा से यहां पहुंचे और माननीय भजन लाल जी सरकार पर विशेष कृपा हुई। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आज भरतपुर जिले को विशेष सौग़ातें आपके द्वारा दी जा रही हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पी.के.सी., ई.आर.सी.पी. पर बधाई। मोदी जी और आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी को भी बधाई।

अध्यक्ष महोदय, हमारा अन्नदाता आज परेशान है, रात में कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने को मजबूर है। बयाना विधान सभा क्षेत्र के तीन किसानों की रात में सिंचाई करते हुए अभी तक मौत हो चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आवारा पशुओं के कारण से 5 लोगों की मौत पिछले 6 महीने में बयाना विधान सभा में हो चुकी है। मैं आपसे अपील करती हूं कि इसके निदान हेतु नंदीशालाओं का पंचायत या उपखण्ड स्तर पर निर्माण करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर जिला औद्योगिक विकास में ठप पड़ा हुआ है। सिमको और डालमिया इंडिया जैसी कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारे यहां पर औद्योगिक इकाइयां एक-एक महीने बंद होती हैं, जबकि मथुरा दिल्ली के निकट होने पर भी एन.सी.आर. में नहीं आता। एन.सी.आर. का जो फायदा

(डा. ऋतु बनावत)

अलवर को हुआ है, उसका एक परसेंट भी भरतपुर जिले को नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें एनसी.आर. के हिसाब से विकास मिलना चाहिए। अगर विकास नहीं मिलता है तो हमें एन.सी.आर. से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर औद्योगिक विकास की ज्यादा स्थिति नहीं है। यहां पर कोई भी बड़ी कंपनियां नहीं हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस समस्या का निदान करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय मुख्य मंत्री जी भरतपुर से आते हैं। उनका विजन भी भरतपुर के विकास का रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमारा क्षेत्र कृषि और पशुपालन का क्षेत्र है। यहां पर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरिनरी यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। पूर्वी राजस्थान में बिजली का स्थायी संकट हमेशा रहता है और इस स्थायी संकट को दूर करने के लिए पूरे पूर्वी राजस्थान में पावर प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए। यद्यपि धौलपुर में गैस पर आधारित पावर प्लांट है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि बी जे पी जो है उसने लगातार पहले पूर्ववर्ती सरकार से यह अपील की थी कि वैट को घटाया जाए जिससे क्षेत्रवासियों को, सम्पूर्ण राजस्थानवासियों को राहत मिल सके। हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वह हरियाणा से सटा है, चाहे यू.पी. से सटा है, वहां पर हर लीटर पर लगभग 8 से 10 रुपये की कमी रहती है। एन.सी.आर. पी.बी.एम. को आबंटित राशि राजस्थान को एन.सी.आर. में ही हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहूंगी कि डीजल और पेट्रोल पर वैट कम होना चाहिए, ताकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें जो पेट्रोल पम्प हैं, उनको भी लाभ मिल सके और क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके। हमारी पहले से ही यह मांग रही है और बी जे पी ने पहले से ही इसके लिए आंदोलन किये हैं। इस मांग को पूरी करते हुए तुरंत वैट घटाया जाना चाहिए।

यातायात की सुगमता के लिए बयाना और रूपवास में बस स्टैंड का निर्माण करना, क्योंकि कनेक्टिविटी विकास का आधार है, मैं कहना चाहती हूं कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आप देखिए कि आजादी के इतने साल बाद भी बयाना और रूपवास में बस स्टैंड तक नहीं है। बयाना में जो बस स्टैंड है, वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है। सरकार से यह कहना चाहती हूं कि

(डा. ऋतु बनावत)

बयाना और रूपवास, दोनों जगह बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। जो रोडवेज की बसें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि रोडवेज की बसें पहले बयाना में दस चलती थीं, आज चार भी नहीं चल रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि रोडवेज की बसें, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी के साधन उपलब्ध करवाकर जनता की परेशानियों को दूर किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाईवे नंबर 8 को एन.एच.ए.आई. को दिया जाए। नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाए। बयाना में बाईपास निकालते हुए सवाई माधोपुर तक फोरलेन बनाया जाए और इसको आगे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पर कनेक्ट किया जाए, जिससे विकास को नये पंख लग सकें। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अभी वर्तमान सरकार है, उसको गुड गवर्नेंस देना है राजस्थान को और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वर्तमान में चिकित्सालयों में डाक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, स्कूलों में शिक्षक हों, पुलिस के पास स्टाफ हो, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सरकार में देखा कि जो पुलिस थी, वह केवल और केवल मंत्रियों की सुरक्षा में ही खड़ी रहती थी और जनता के दु:ख-दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं था। मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जो सरकार है, उसको यह प्रयास करना चाहिए, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी केवल मंत्री और सांसदों की सुरक्षा में न रहें, बल्कि जनता के दु:ख-दर्द को कम करने में अपना योगदान दे पाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ई आर सी पी के माध्यम से पांच वर्षों में पानी आएगा, लेकिन तब तक क्या किसान अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? मेरे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि गम्भीरी नदी में रेगुलर पानी छोड़ा जाए। पांचना बनने के बाद लगातार भरतपुर ज़िले के हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूं कि लगातार गम्भीरी नदी में पानी छोड़कर, ई आर सी पी की योजना में घना पक्षी विहार को जोड़कर भरतपुर ज़िले को अपने हक का पानी दिलाएं। इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें।

साथ ही, मैं यह कहूंगी कि राम मन्दिर के निर्माण में बयाना का पत्थर सर्वोपयोगी रहा है। 22 जनवरी को जब पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही थी, उस समय बंशी पहाड़पुर का जो पत्थर है, वह अवसाद की दशा में

(डा. ऋतु बनावत)

था। हमारा क्षेत्र इतना सौभाग्यशाली है कि राम मन्दिर के लिए पत्थर जा रहा है, परन्तु वहां का व्यक्ति, जो उस पत्थर को जमीन के गर्भ से निकालता है, वह आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार खनन नीति पर पुनः रिव्यू करे और ऐसी योजना बनाए कि वहां का स्थानीय ग्रामीण, एक-एक हैक्टेयर की लीज दी जाए, जिससे वहां के स्थानीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री लादू लाल पितलिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बयाना को आपका लगातार सहयोग बहुत जरूरी है।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): गोमाता की जय। खजुरिया श्याम की जय। जय-जय श्री राम। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बयाना की जनता ने मुझे यहां पहुंचाया है ...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस की गलत राजनीति से, सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र से मुझे पहली बार 62 हजार 800 वोट देकर, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नम्बर पर जिता कर सदन में भेजा, मैं उसके लिए अपनी पूरी सहाड़ा विधान सभा की जनता का तहेदिल से हार्दिक स्वागत व प्रणाम करता हूं। ये लोग बोल रहे हैं इनके सामने मैं इनकी असलियत बताता हूं, ये क्या हैं और कैसे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में आठ महीने पहले भगवान का प्रोग्राम चल रहा था। विशाल वैष्णव की भक्ति संध्या चल रही थी। आपने रात को 12 बजे पुलिस प्रशासन बुलाकर भक्तगण पर लाठीचार्ज करवाया, उसमें आज भी 29 लोगों पर केस चल रहा है। आप एक साथ खड़े होकर अपना कारनामा देखो। उस समय रात को आपने प्रशासन भेजकर, घरों से निकाल-निकालकर उन पर लाठियां बरसाईं, यह आपका असली चेहरा है। आप लोगों के विधायक द्वारा, सुबह शिवजी भगवान की मूर्ति स्थापना करवाते हैं और शाम के समय विशेष समुदाय की बात सुनकर भगवान की मूर्ति को वापस उठाकर, ले जाकर रख देते हो। यह आपका असली चेहरा है। भगवान के नाम पर आप लोग ऐसा करते हो।

(श्री लादू लाल पितलिया)

हमारे उधर सनातन धर्म का गढ़ था, आप लोगों ने क्या किया, बताता हूं। रायपुर जिला भीलवाड़ा में एक मेवात सियासत का पुराना गढ़ है, क्या यह गढ़ नजूल सम्पत्ति है? क्या यह गढ़ 1965 तक सार्वजनिक निर्माण के अधीन रहा है? इस गढ़ के अन्दर एक पुराना कुआं था। किसके आदेश से बनाया गया और पुराने कमरे को किसके आदेश से तोड़ा गया? बोलने से कुछ नहीं होता, सच्चाई सुनो। सच्चाई सुनने की सहनशक्ति रखो। 1970 से पहले इसमें हिन्दू देवी-देवता, शिवलिंग की मूर्तियां थीं। वे कहां गईं? जवाब दो। 2003 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश द्वारा यह सम्पत्ति देवस्थान विभाग को सौंपी गई थी। किस कारण से आपने उस समय उक्त आदेश की पालना नहीं की? वर्तमान में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के तहत अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद भी आपने क्यों नहीं हटाया? हमारे उधर तेजाजी भगवान की जयंती और प्रभु श्रीराम की जयंती में रैली निकालने के लिए आप लोग परमिशन नहीं देते हो। यह आपका असली चेहरा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आप लोगों के राज में, इतने साल हो गए, हमारी सहाड़ा विधान सभा में आप लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति की है। वहां पर आने-जाने की व्यवस्था नहीं है। रायपुर से भीलवाड़ा जाने में तीन घंटे लगते हैं। आप लोगों के विधायक द्वारा हमारी सरकारी बसें अभी तक नहीं लगी हैं, यह आपका चेहरा है। तालियां पीटने से कुछ नहीं होता है। चालीस साल हो गए, हमारी जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोगों के उधर बसें नहीं हैं आप लोगों के द्वारा एक-एक बसें चालू की गई है, वह भी हमारे पूर्व विधायक के भाई लोग हैं, उनकी बस चल रही हैं। रायपुर से भीलवाड़ा, रायपुर से सूरत, रायपुर से अहमदाबाद, रायपुर से मुम्बई, पूर्व विधायक द्वारा ये बसें चल रही हैं। आज भी प्राइवेट बसें, आप लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति है। आप लोगों का यह असली चेहरा हे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आप लोगों ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, तभी सहाड़ा में पहली बार जन सेवक लादू लाल पितलिया को जनता ने चुनकर भेजा है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप करिए।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): चम्बल का पानी, आज भी हमारे उधर 60 परसेंट पानी नहीं आ रहा है, यह आप लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही बीस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.28 बजे 14.48 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय 14:48 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के मेरे सभी साथियों से यह निवेदन है कि वे अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। आपसे यह पुन: निवेदन कर रहा हूं, आज आपका भी भाषण होना है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपका भी भाषण होना है और इधर से भी होना है। आप एक बार अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। आपका विरोध हो गया। आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं, यह मेरा निवेदन है। एक बार पुन: निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। तब तक आपको कह रहा हूं कि आप विचार कर लीजिए।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.48 बजे 15.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 15.08 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मुझे कुछ व्यवस्था देनी है, इसलिए आप अपनी-अपनी जगह पर पधारें। अपनी सीटों पर पधारें। सुनिए। चलिए अपनी-अपनी सीटों पर। अपनी-अपनी सीटों पर कृपया विराजें।

माननीय सदस्यगण, ई आर सी पी पर बहस के लिए आधा घंटे का प्रोविजन था। उसकी जगह लगभग 50 मिनट हमने चर्चा की। आज राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। उसमें विपक्ष के नेता भी पहली

(श्री अध्यक्ष)

बार बोलेंगे और सदन के नेता भी पहली बार बोलेंगे। उन दोनों के भाषण होने दें। ई आर सी पी का जो मुद्दा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में जरूर उसका उत्तर देंगे, आपकी बातों को रखेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता की भी पूरी बात सुनें और इधर से कोई नहीं बोलेंगे। जब सदन के नेता बोल रहे हों, इधर से भी कोई सदस्य उनको डिस्टर्ब नहीं करें। चाहे उनकी बात पसन्द आये या नहीं आये, शांतिपूर्वक सुनें। यह सदन की गरिमा है और हमारे दोनों नेताओं की भी गरिमा है। यह आपसे निवेदन है।

अब चूंकि अभी 3 बज कर 10 मिनट हो रहे हैं। अपने पास लगभग 50 मिनट बाकी हैं। 50 मिनट में अपने जो सदस्य रह गये थे, उनमें से कुछ के नाम मैं पुकार रहा हूं। वे अपनी बात संक्षेप में रखें। पहले जितना समय था, उतना तो नहीं दे पायेंगे, लेकिन ठीक 4 बजे बहस खतम करके नेता, प्रतिपक्ष अपना भाषण शुरू करेंगे और 5 बजे सदन के नेता बोलेंगे। तब तक हम सब शांतिपूर्वक सदन को चलायें। मेरी सभी से बातचीत भी हुई है। मैं समझता हूं कि अपनी-अपनी बात कहने का सबको अवसर है। आपने अपनी बात रख दी। रजिस्टर्ड हो गयी। अब सदन के नेता उस पर जो कुछ बोलेंगे, बतायेंगे, वह हमको सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हम सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं।

श्री शान्ती धारीवालजी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 23 जनवरी को सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित अभिव्यक्ति और जोड़ी जाये:-

''यह सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। साथ ही प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण भी कायम करेगी।''

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, राज्यपाल महोदय का जो भाषण है, वह

(श्री शान्ती धारीवाल)

मोटे तौर पर सरकार की भावी प्राथमिकतायें और भविष्य में जनहित में लागू होने वाली नीतियों के बाबत तथा सरकार की उपलब्धियां और वह सार्वजनिक महत्व की घटनाओं का एक दस्तावेज होता है। 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर भाषण पढ़ा, वह एक आटो रिक्शा की सरकार का संकल्प पत्र था। वह ऐसा लग रहा था जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक चुनावी भाषण हो। मैंने राज्यपाल महोदय का पूरा भाषण पढ़ा। बहुत ही नीरस और बिलकुल निर्जीव भाषण है। मतलब, उसको पढ़ने में भी मुझे इतना टाइम लगा और कई बार इतनी उबासियां आयीं कि जिसकी हद नहीं।

श्री अध्यक्ष: उम्र का असर होगा। (व्यवधान) विराजिये। हां, आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वह एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की डुप्लीकेट कापी थी। अगर आपमें से किसी के पास संकल्प की कापी हो तो आप मिलाकर देख लो। हूबहू वैसा का वैसा मिलेगा आपको। जनता को लोक सभा चुनाव तक किसी प्रकार से लटकाया जाए और ऐसे जुमले फेंके जाएं जिससे कि लोक सभा चुनाव सम्पन्न हो जाये और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाये। कुल मिलाकर बात यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से हमारी पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करवाना, एक तरह से निरर्थक और निन्दनीय है। मैं नहीं मानता इस बात के लिये, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को पढ़ने की उनकी सहमति होगी। निश्चित तौर पर उनकी सहमति नहीं हो सकती। जो आदमी पांच साल तक लगातार पूर्ववर्ती सरकार की तारीफें करता रहा और लगातार पूरी सरकार को धन्यवाद देता रहा, वह इस तरीके का भाषण कभी दे नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक मजबूरी थी इस वजह से उनको जो आपको कहलवाना था, वह कहा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में पिछड़े वर्गों का कल्याण, दलित और आदिवासी शब्द ढूंढ़ने से नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसका कल्याण करना चाहते हो? गरीब का कल्याण करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, गरीब के लिये क्या करना चाहते हो, दलित का उत्थान किस प्रकार से करना चाहते हो, आदिवासियों को किस प्रकार की मदद देना चाहते हो? किस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हो, इस बाबत कुछ नहीं कहा है। पूरे अभिभाषण में एक शब्द तक नहीं मिला इन तीनों के लिये।

(श्री शान्ती धारीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को बी जे पी की आटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली। आगे का पहिया मुख्य मंत्रीजी और पीछे दो पहिये दोनों उप मुख्य मंत्री और ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा हुआ है? हर स्टेट में, राजस्थान में ही नहीं, तीनों स्टेट में मोदीजी बैठे हुए हैं ड्राइवर की सीट पर। यह डबल इंजन, डबल इंजन कुछ नहीं है, उस इंजन के साथ में यह आटो रिक्शा बांध दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा-12 में आपने लिखा कि हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि हम पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बन्द नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? योजनाएं देखिये आप। मैं आपको इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम लिखा तो है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, वह आगे की बात है। लिखने से यह भी साबित हो गया कि आपने यह तो मान लिया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलायी जा रही थीं, वे निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी थीं। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, RGHS, OPS, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को दो हजार यूनिट फ्री, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई में रोटी में 50 ग्राम आटा क्या बढ़ा दिया, आपने उसका नाम ही बदल दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप कंटीन्यू रखिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): याद करिये जब आपके टाइम पर अन्नपूर्णा चालू की थी आपने, भरी धूप में क्यू लगती थी और खड़े-खड़े खाना पड़ता था। हमने बाकायदा एक रेस्टोरेंट होता है, उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर कूलर की हवा में बिठाकर खाना खिलाया है। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुख्य मंत्रीजी नहीं बोल पायेंगे, यह समझ लेना आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मत करिये। माननीय सदस्य, यह काम मेरा है। आप नहीं बोलने देंगे तो ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, फिर आपके इनको भी नहीं बोलने देंगे। ऐसा मत बोलो। (व्यवधान) आप बोलिये। माननीय सदस्य, विराजो। कुलदीप जी, बैठिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रशासन शहरों की ओर चलाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टाइम बहुत कम है, विराजो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह मेरा टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका तो टाइम पूरा हो रहा है। जल्दी बोल लीजिये। जो बोलना है, आप बोलिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): टाइम कहां खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहिये। (व्यवधान) आप बोलते रहिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): प्रशासन शहरों की ओर और गांवों की ओर चलाकर हमने 501 रुपये में पट्टा दिया। पौने 10 लाख पट्टे शहरों में बंटे हैं। 10 लाख से भी ज्यादा पट्टे गांवों में बंटे हैं। उस योजना को बन्द कर दिया। आज भी एक लाख पट्टे विभिन्न नगरपालिकाओं के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वे बंटवाये नहीं जा रहे हैं। महिलाओं को स्कूटी दी, 500 रुपये का सिलेण्डर, और भी बहुत सारी योजनाएं थीं। न्यूनतम आय गारंटी योजना कानून बनाया, 150 दिन का रोजगार, राइट टू हेल्थ बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, नि:शुल्क दवा योजना, अस्पतालों में फ्री इलाज। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, यह हाल हो गया। मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, गर्ग साहब मुख्य मंत्रीजी आयें तो उनको याद दिलाना कि इस बात का जवाब कम से कम अपनी स्पीच में देवें कि किन-किन जन-कल्याणकारी योजनाओं को वे बन्द करना चाहते हैं। अगर चलाना चाहते हैं तो बदलकर किस तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि नाम बदलने में तो आप जैसे नीतीश कुमार कुर्सी बदलने में मास्टर है, वैसे ही नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। पैरा 13 से लेकर 15 तक आपने जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट। अब दसवां मिनट होने जा रहा है। सम-अप करिये। आप सम-अप करिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कर्जा लेकर अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमपी. को ले लें, यू.पी. को ले लो, गुजरात को ले लो, इनको भी छोड़ो, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लो। आजादी के बाद कुल मिलाकर के 65 सालों में कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन आपने 10 साल के अन्दर-अन्दर 2014 से लेकर के आज तक 155 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लिया। कुल मिलाकर भारत की जनता पर 205 लाख करोड़ रुपये का कर्जा लाद दिया। आज हर व्यक्ति एक लाख रुपये

(श्री शान्ती धारीवाल)

के कर्जे के नीचे है। न किसी को रोजगार मिला, न मैन्युफैक्चरिंग से कोई उत्पादन बढ़ पाया। औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा है। एम एस एम ई बर्बाद हो गये। सारे के सारे चरमरा गये। जॉब क्रिएशन बंद हो गया।

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत सरकार को यह चेतावनी दी है कि आपकी जी डी पी कर्जे के बराबर हो गयी है और अब अगर कर्जा लिया तो पाकिस्तान और लंका के जैसी हालत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री छोटूसिंह। विराजें। आप बहुत पुराने हैं। टाइम के पंक्चुअल हैं। विराजें। हो गया, 12 मिनट हो गये। 3.10 पर आपने शुरू किया था, 3.22 हो रहे हैं। मुझे सभी सदस्यों को बुलवाना है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो मैंने चालू किया है। अभी तो चालू किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय छोटूसिंह।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तो चालू किया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। 10 मिनट दिये थे।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): यह क्या बवाल है?

श्री अध्यक्ष: 10 के 12 मिनट हो गये माननीय सदस्य।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में माननीय सदस्यों ने अपना-अपना मत व्यक्त किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलो। इनका अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में देश की जनता से कई वायदे किये।

श्री अध्यक्ष: माननीय छोटूसिंह जी का अंकित होगा। इनका अंकित नहीं होगा। आपका समय 5 मिनट है।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): ये वादे वर्तमान हालात में क्या हैं, यह माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से पता होगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आपका हो गया। आप बैठिये। आपका अंकित नहीं होगा। आप बैठिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, यह डबल इंजन की सरकार है। सुशासन देकर राजस्थान का निर्माण करेगी ...(व्यवधान) विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी ...(व्यवधान)

हमारी सरकार का मूल मंत्र है "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।' राज्य की स्वाभिमानी जनता ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर दी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विगत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण राजस्थान सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों की श्रेणी में आ गया है। पूर्व में, माननीय, मैं भी यहां एम एल ए था, उस समय राज्य का कर्जा केवल 40,300 करोड़ था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें। मैं नाम काट दूंगा। आगे से बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको कभी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा, इस तरह से करोगे तो। आप बैठो। चुप रहिये। शांति रखिये। नाम शांति है और अशांति कर रहे हो।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आप कर्जे के बारे में ऐसी बातें करते हो। आदरणीय, यह कर्जा कैसे हुआ? विगत 5 वर्षों में राजस्थान के विद्युत विभाग की लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण आम जन झेलने को मजबूर हुआ है।

पूर्ववर्ती बी जे पी सरकार के समय डिस्कॉम को जो आर्थिक सम्बल देने की योजना, 62,400 करोड़ का ऋण माफ किया था। पूर्ववर्ती सरकार के जो विराजमान सदस्य हैं, उनके कुप्रबंध के कारण आज वह फिर से बढ़कर 88,700 करोड़ हुआ है। यह सोचने का विषय है कि यह इतना कैसे हो गया।

साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में आपसी मतभेदों से अलग-अलग सत्ता के केन्द्र थे। यहां तक कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल में आपकी मीटिंग होती थी। आपके मतभेद से आपने सबसे सीमांत का जिला देखा, जहां किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा और कांग्रेस के सभी विधायक वहां चर्चा करेंगे। जनता के बारे में नहीं सोचा। यदि जनता के बारे में सोचते तो आज आपको नारा लगाने की जरूरत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, फिर इधर से भी बोलेंगे तो कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आज बहुत सोच का विषय है कि डिस्कॉम में जो डिमांड भरवाये गये, परंतु कौनसी सुपर इलेक्ट्रिक लाये हो जिससे सीधा कनेक्शन होता है? एक आपने स्पेशल, चलो चल रही थी, वह लाये, सामान्य लाये। आपने 2022 तक दुनिया भर के कनेक्शन कर दिये। यह मेरे जैसलमेर की स्थिति की बात कर रहा हूं। उन कनेक्शनों में आपने यह नहीं सोचा कि बिजली किधर से लायेंगे।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): जी एस एस तैयार नहीं हैं और केवल 2022 के सभी कनेक्शन कर दिये। यह पूरे प्रदेश के जिलों के लोगों को पता है। यदि आप वोट मांगने गये होंगे तो आपके सामने यह समस्या रखी होगी। वह आप सुनो, किसी का यदि ट्रांसफार्मर खराब होता है तो कंपनी से बात करता है, सरकार से बात करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के इन तीन तरीके की विफलताओं को आप देखें और जल्दी से जी एस एस का निर्माण करायें और आम किसान को राहत दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: सम-अप करें। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। सम-अप करिये, टाइम हो गया। श्री राजकुमार रोत।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): टाइम इतना जल्दी खतम हो गया?

श्री अध्यक्ष: सबका कम कर रहा हूं। सबका कम कर रहा हूं।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक मिनट दो। सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूं। एक मिनट यह जो बिजली पैदा होती है, यह पूरे राजस्थान में जैसलमेर में पैदा होती है। यदि सबसे ज्यादा पीड़ित किसान हैं तो जैसलमेर का किसान है। कारण है कि जो हमारी जमीनें थीं, जो पूर्वजों ने रखवा रखी थीं, उन सभी जमीनों को पूर्ववर्ती सरकार ने नोटिफिकेशन कराकर कम्पनियों को दे दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। हो गया ...(व्यवधान)

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): कम्पनियों ने खेजड़ी काट ली, सेवण घास काट ली।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आज मेरी जो पार्टी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। अंकित नहीं हो। यह मेरा काम है। आप बैठें। आप बैठें। सदन को तमाशा बनाओगे? हां बोलिये, आप शुरू करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप शुरू करिये। आप शुरू कर दो। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): राजस्थान की जनता देख रही है कि सदन में क्या हो रहा है, पक्ष क्या बात रख रहा है, विपक्ष क्या बात रख रहा है। यह जो स्थिति बन रही है, यह जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे अभिभाषण पर एक ही बात बोले हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया। पिछली सरकार ने क्या किया, इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया है। आप यह बात करो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए। हम क्या करेंगे दलित के लिए, आदिवासी के लिए। राजस्थान के उस कोने, दक्षिणी राजस्थान के कोने में, जंगलों में जो बैठा हुआ है आदमी है वह आज भी बिजली से, पानी से वंचित है, उसके लिए क्या करेंगे। इस पर आपको बात करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बात बतायी थी कि यह जो अभिभाषण की कापी है, उसमें मैंने भी पढ़ा है कि राजस्थान के अन्दर 13 प्रतिशत आदिवासी रहता है, लेकिन इस कापी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। इससे यह साबित होता है कि यह डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का युवा दर-दर भटक रहा है। इस अभिभाषण में मैंने देखा कि युवाओं के लिए क्या है, देश के अन्दर जो हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है। देश के अन्दर युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीब है उसको दो टाइम की रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, लेकिन आज

(श्री राजकुमार रोत)

धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। वह देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दु:खद बात है। हम सब जो सदन में हैं, जो लोक सभा में लोग हैं, वे सब जिम्मेदार रहेंगे अगर देश आने वाले समय में गर्त में जाता है तो।

आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मन्दिर का घंटा समझ रखा है। यह सरकार आती है तो यह बजाती है। युवा आंदोलन करता है। अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। आज रीट की भर्ती में लेवल-वन की नियुक्ति बाकी है। नर्सिंग भर्ती की नियुक्ति बाकी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको नियुक्ति दे।

आज बुजुर्गों को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य पर, हास्पिटल में तरस रहे हैं लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक केस आया मेरे पास, 22 जनवरी 2024 को हास्पिटल में जाता है व्यक्ति, सोनोग्राफी के लिए डाक्टर लिखता है, सोनोग्राफी वाले उसको लिखकर देते हैं कि आपका 23 फरवरी, 2024 को सोनोग्राफी का नम्बर आएगा। एक महीने बाद नम्बर आने की बात हो रही है सोनोग्राफी के लिए, तब तक आदमी मर भी जाएगा और उसका क्रिया-कर्म भी हो जाएगा। यह स्थिति बनी हुई है हमारे देश की पर उस पर बात नहीं होती है। आज जो स्थिति बन रही है, तीन साल हो गए हैं बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में चार-चार क्लास के बच्चे एक-एक रूम में बैठ रहे हैं। वहां पर सीनियर स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन एक व्याख्याता भी नहीं है। यह स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से मैंने इस सदन में देखा, मोदीजी पर भाषण, राम मन्दिर पर भाषण, उधर राहुलजी पर भाषण, यह सदन मोदीजी, राहुलजी और राम मन्दिर के लिए नहीं है, यह सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है। आज जो यहां स्थिति बना रखी है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि राम मन्दिर का उद्घाटन हुआ वो अच्छी बात है पर उसके आयोजक कौन थे? इसके आयोजक मोदीजी थे या वहां के शंकराचार्य थे? देश के अन्दर जो स्थिति बनी है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को हटा दिया गया। आज हमारे इलाके में एक माहौल बना दिया गया है, आप राजस्थान का इतिहास उठा कर देख लो, आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो आदिवासी समाज ने दिया है। 1913 के

(श्री राजकुमार रोत)

अन्दर मानगढ़ में 1,500 आदिवासी मारे गए। माही डैम बना, कडाणा डैम बना, आदिवासी विस्थापित हुआ। वहां जो टापू हैं उन सारे टापुओं का रामायण के पात्रों पर नामकरण किया जाएगा, यह काम कर रही है सरकार। वहां शहीद हुए उनके नाम नहीं ले रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। आज बिजली की बात कर रहे हैं कि हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। कहां से कराएंगे? हसदेव अभयारण्य को बर्बाद करके, एक तरफ कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, एक तरफ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, यह गम्भीर बात है। मैं राजस्थान विधान सभा से हूं लेकिन जो राजस्थान में बिजली ला रहे हैं वो हसदेव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ से लोगों को हटाकर और हजारों हैक्टेयर भूमि को बर्बाद करके, कहीं न कहीं आदिवासियों को बर्बाद करके जनता को अगर ए सी में सुलाने का काम किया जा रहा है तो यह गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। यहां पर आप अपना स्रोत तैयार करें, चाहे वो सोलर से करो या अन्य किसी से करो, यहां उत्पादन करो और जनता को दो तो हमें अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका समय खतम हो गया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह देश संविधान से चलता है। यह दुखद बात है कि राजस्थान में 26 जनवरी पर कई जगह देखने को मिला कि भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को वहां स्कूल से हटा दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चिखली-सीमाड़ा ब्लाक के अन्दर भीमराव अम्बेडकरजी की तस्वीर लगी हुई है, अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि उस तस्वीर को अन्दर रखवा दिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय हो गया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि युवाओं को रोजगार मिले, देश के युवाओं का भविष्य सुधारना है तो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत। जय भीम।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल (अनुपस्थित), सुश्री नौक्षम। आप पहली बार हैं, आप बोलिए।

सुश्री नौक्षम (कामां):

"ए वक्त जरा अदब से पेश आ,

ए वक्त जरा अदब से पेश आ,

वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में।

वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए,

वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद पेश करना चाहती हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। आपका पुन: शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मेवात की एक बेटी को यहां पर पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कामां विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। अपनी अवाम का, अपनी जनता का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने इस मेवात की बेटी पर अपना भरोसा जताया और राजस्थान की इस सर्वोच्च पंचायत में मुझे अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से तरह-तरह का वाद-विवाद सुन रहे हैं। एक बात हर बार सुनने में आती है कि इस अभिभाषण से हमारे विपक्ष के यहां मौजूद साथीगण संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पांच साल दिए गए अवाम की और जनता की सेवा करने के लिए, जिनको आपने बेमिसाल पांच साल के नाम से इश्तिहार छाप दिए और एक-एक वर्ग के साथ धोखा अफजाई कर दी। कोई वर्ग राजस्थान का ऐसा नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी न की हो। काश्तकार हो, युवा साथी हो, दलित हो, महिलाएं हों, ऐसा कोई एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी न की हो। आप असंतुष्ट रहे, मुतमइन रहे, किसी को कोई नहीं है, जो करारा जवाब देना था वो तीन दिसम्बर को आपको मिल चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और सुनने में आती है, इनको एक शब्द और पसन्द नहीं है 'डबल इंजन की सरकार', आपका तो तालमेल नहीं बन पाया पांच साल, आप तो एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हमें और पूरे देश को तो यह नहीं समझ आ रहा था कि आपका तालमेल बनेगा तो जनता

(सुश्री नौक्षम)

का कुछ भला होगा। आप तो अपनी सरकार का तालमेल स्थापित नहीं कर पाए तो आप डबल इंजन सरकार को क्या समझेंगे। जो केन्द्र ने जन-कल्याण योजनाएं शुरू की थीं, आपके मुख्य मंत्रीजी ने उनको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए नहीं पहुंचने दिया गया कि अगर पहुंचने देते तो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उस तरीके से राजस्थान प्रदेश भी आगे बढ़ जाता। पर नहीं, आप लोगों ने यह सोचा कि भ्रष्टाचार करेंगे, बड़ी चर्चा में रही आपकी सरकार, किसलिए? भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेवात क्षेत्र से आती हूं। ब्रजकामां क्षेत्र ऐसा है जिसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसकी एक तहजीब है, अपना उसका एक ऐसा कल्चर है जो सब जगह से, सब रूपों से मिलकर बनता है। जहां पर राजा सूरजमल की गौरव गाथाएं हैं, शहीद हसन खां मेवाती की शहीदी को सलामी देती हूं, श्रीकृष्ण की लीला स्थल को, ब्रज स्थल को नमन करती हूं जहां गलियों में राधे-राधे के जयकारे हैं, जहां पर गिरिराज धाम की गूंज उठती है। ऐसे एक पाक, ऐसे एक पवित्र, एक ऐसे जिले और एक ऐसी धरती से आती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से जो वहां पर तालीम मंत्री थीं, कांग्रेस के यहां से शिक्षा मंत्रालय देख रही थीं, उन्होंने शिक्षा का स्तर मेवात के उस इलाके में इस तरीके से खतम कर दिया कि जहां पर अध्यापकों को पहली बार सुना था, कहते हैं कि तबादले के लिए पैसे लेते थे, कामां में तो तबादला रुकवाने के लिए पैसे लिए जाते थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समय की सीमा है। चार बजे तक यह पूरा खतम करना है। अभी बोलने वाले बहुत हैं। आप ज्यादा बोलेंगी तो दूसरे का नाम कट जाएगा।

सुश्री नौक्षम (कामां): यह ब्रज मेवात का वो क्षेत्र है जहां पर आपने संगीन गुनाह जैसे कि गोकशी, सेक्सटॉर्शन, गो तस्करी, साइबर क्राइम जैसे इतने संगीन क्राइम्स को आपने बढ़ावा दे दिया। आपकी सरकार में भरतपुर संभाग से छह मंत्री थे और छह के छह भ्रष्टाचार में डूब गए थे। यह एक ऐसा जिला बनाया है हमने जो कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस मुक्त उस सम्भाग से हम लोग आते हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

सुश्री नौक्षम (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग यहां पर बात करेंगे राम मन्दिर की, हमारे कण-कण में राम है। हर मजहब और धर्म में राम का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। आपने जिस तरीके से श्रीराम मंदिर का न्योता अस्वीकार कर दिया, आप अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा उसी तरीके से नाकबूल करते हैं, इसी सदन में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। अगली बार आपको ज्यादा टाइम देंगे, विराजें। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वक्त पर शेर कहने वाले वक्त का ही उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिए। पांच मिनट में समाप्त करें, सात-आठ लोग और हैं। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पूरे 83 पैरों में 50 पैरों के अन्दर सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। कोई रोडमैप नहीं है कि क्या राजस्थान में करना चाहते हैं, क्या राजस्थान के लिए आगे मंशा रखते हैं, किस तरीके से डवलपमेंट करेंगे। जनता ने आपकी सरकार बना दी, आपको चुन लिया, आपकी सरकार बन गयी। अच्छा होता कि आप राजस्थान के लिए रोडमैप बनाते, आप समाज के हर वर्ग की बात करते, लेकिन आपने सिवाय हम पर अंगुली उठाने के कोई काम नहीं किया। अभी मुझसे पहले जो विधायक बोल रही थीं, उन्होंने एक शेर कहा, एक शेर मैं भी कह देता हूं,

''उंगलियां यूं न हम पर उठाया करो,
उंगलियां यूं न हम पर उठाया करो,
कुछ कहने से पहले कुछ करके दिखाया करो।।''

मेरे साथियों, कुछ करा तो करो, फिर अंगुलियां उठाया करो। राजस्थान का रोडमैप बनाते, राजस्थान को दिशा देते। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूं तो यह पाता हूं कि आपने इसमें सम्पूर्ण समावेश लिया ही नहीं। इसमें गरीब का, दलित का, आदिवासी का, ओ बी सी का नाम नहीं है। माइनोरिटी के नाम से तो आप इतनी नफरत करने लगे हैं कि अभी

(श्री रफीक खान)

आपकी माननीय सदस्या ने जैसे ही हसन खां मेवाती का नाम लिया, कोई ताली नहीं बजी और बाकी पर ताली बजा रहे हैं।

आपका डायलॉग है, "सबका साथ, सबका विकास", मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि युवाओं के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। क्या दिशा देंगे? राजस्थान में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पूर्व सरकार और पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं को बाहर एजुकेशन देने का सपना दिखाया। हर साल राजस्थान के 500 स्टूडेंट्स विदेश गये, चाहे फीस 30 लाख सालाना हो, चाहे फीस 40 लाख सालाना हो, चाहे 50 लाख सालाना हो। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स की फीस देंगे, जिनके पास योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन पैसा नहीं है, हम उनके पैसे देंगे। आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की। आज युवा भटक रहा है, वह पूछ रहा है, यह राजीव गांधी स्कालरशिप चलेगी या नहीं, आगे बनेगी या नहीं बनेगी। नाम परिवर्तन में मास्टर लोगों, इसकी हिम्मत मत कर देना, नाम भले ही परिवर्तित कर देना, पर स्कीम को चालू रखना, ताकि राजस्थान का युवा, राजस्थान की अवाम, जो गरीब आदमी आज अपनी प्रतिभा के दम पर नामी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है, उसकी फीस राजस्थान सरकार दे दे और उसका भविष्य बनाने का काम करे।

जब मैं इस अभिभाषण को देखता हूं, एक भी जगह आप इसमें अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं। पूरे 53 पैराज लिख देते हैं और बात करते हैं "सबका साथ, सबका विकास" की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजस्थान में इलेक्शंस होते हैं, आप कोई शेयर नहीं देते। माइनोरिटी के आदमी को एक जगह नहीं देते हैं। एक आदमी था आपके पास, बहुत नायाब हीरे की तरह। आपने सिर्फ उसका टिकट इसलिए काट दिया कि वह जाति से मुसलमान है। यहां सामने दलित बैठे हैं, किरोड़ी लाल जी यहां बैठे हैं। आप यह सोचें कि उनका टिकट मीणा होने के नाम पर और इनका टिकट दलित होने के नाम पर कट जाये तो आपको कैसा लगेगा। इन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला कि आप लोगों ने टिकट दिया, इन्हें टिकट इसलिए मिला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन की नींव रखी, अदरवाइज आपका बस चलता तो इन्हें भी सदन से बाहर कर देते। ऐसी प्रतिभा को आपने बाहर रखा। आज कैसे दहाड़ रहे थे ईस्टर्न कैनाल के नाम पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समय हो गया है माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तो शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट का समय था, पांच मिनट हो गये हैं। मुझे अभी तीन सदस्यों को भी बुलवाना है 4 बजे से पहले।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बात के लिए तो मैं आपकी पर्ची सरकार को धन्यवाद दूंगा। पर्ची खुली जयपुर के विधायक की। जयपुर का विधायक मुख्य मंत्री बना तो मैंने सोचा कि जयपुर से ही दो-दो उप-मुख्य मंत्री होंगे तो शायद कोटा से ही सबक ले लें, शायद शान्ती धारीवाल से ही सबक ले लें। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी, मैं भी, रोहित जी भी राजेन्द्र राठौड़ जी से बात करते थे, ज्ञान लेते थे। इतिहास रहा है, अशोक गहलोत जी से ज्ञान लेते थे। आप भी ज्ञान लें और अपने मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्रियों से बोलें कि कोटा से सीखें और जयपुर को कोटा की तर्ज पर डवलप करने की कोशिश करें। जब बात शायरी की हो रही है तो मैं दो लाइन मुख्य मंत्री जी के लिए कह देता हूं,

"तेरी यह दीवानगी तक चाहने वाले तेरे ये सबब तेरे नहीं,
ऐ मेरे शहर के तेरे लोग तेरे नहीं,
मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है,
मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है,
ये जो सब तेरे नजर आते हैं, तेरे नहीं।।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपको शायरी करनी थी, शायरी हो गयी। मुझे अभी 4 बजे से पहले तीन लोगों को बुलवाना है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राज्यपाल के अभिभाषण में प्रधान मंत्री जी का जिक्र, बार-बार प्रधान मंत्री का उल्लेख। उल्लेख ज्यादा होने से इतना फर्क पड़ा कि इनके उप-मुख्य मंत्री और इनके कुछ विधायक नरेन्द्र मोदी जी को राजस्थान का मुख्य मंत्री बता गये। राजस्थान की विधान सभा में इतना जिक्र करेंगे तो इसी तरह की गलतियां होंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) पैट्रोल-डीजल पर पांच साल आप बहुत चिल्लाये। क्यों नहीं इस अभिभाषण में जिक्र कर देते, कह देते कि हम जो टैक्स राजस्थान में ले रहे हैं, वह नहीं लेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज मीना। पांच मिनट में।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सपोटरा की देवतुल्य जनता का, जिसने अपनी आवाज रखने के लिए राजस्थान की इस सबसे बड़ी महापंचायत में मुझे भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा होने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। यह कितनी बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक पल को हम सभी ने जीया है, सभी ने साक्षात घटित होते देखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर यह डबल इंजन की सरकार बनायी। सत्र के विगत दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत चर्चाएं हुईं। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने डबल इंजन की बड़ी हास्यास्पद व्याख्याएं कीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब विकास की डबल स्पीड, डबल लाभ, डबल प्रयास और डबल परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिद्ध होता है माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 24 से।

गत चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए इस प्रदेश के मतदाताओं से जिस तरह के लोक-लुभावन वादे किये, इस प्रदेश के अन्नदाताओं से जिस तरह से सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा किया, लेकिन पांच साल गुजर जाने के बाद भी किसान कर्जमाफी के लिए तरसते रहे। मैं हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगुना किया और अब प्रदेश के किसान भाइयों को 6 नहीं, बल्कि 12 हजार रुपये आने वाले समय में मिलेंगे। यह है डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का डबल प्रयास, यह अभिभाषण के बिन्दु संख्या 29 और 30 से सिद्ध होता है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने ई आर सी पी की डी पी आर तैयार की थी, लेकिन गत कांग्रेस सरकार ने इस योजना के नाम पर

(श्री हंसराज मीना)

लोगों को गुमराह करने और वोटों की फसल काटने का काम किया। हमारी सरकार ई आर सी पी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इसे मूर्त रूप देने के लिए कल ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने एम ओ यू साइन किया है। इस प्रोजेक्ट का सारा रास्ता साफ हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश और देश के लोग माननीय मोदी जी के लिए बोलते हैं,

"सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं।
तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं।।"

और यह प्रमाण सिद्ध होता है ई आर सी पी की योजना को जमीनी रूप देने के रूप में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गत सरकार सत्ता में आई और इस प्रदेश के युवाओं से वादा किया उसमें प्रदेश के युवा दिन-रात मेहनत करके और मेहनत करने के बाद, एक कठिन तैयारी के बाद जब परीक्षा देने के लिए जाता था और परीक्षा देकर वापस लौटता था तो उसे विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि जिस परीक्षा को देकर वह आया है, उसका पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और पेपर लीक मामलों की कड़ी जांच हेतु एस आई टी का गठन किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) साथ ही, भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव एवं डी जी पी लेवल के अधिकारियों से करवाने का फैसला लिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 42 के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अभिभाषण में कहा कि एस सी और एस टी के सभी आरक्षित सरकारी पदों को प्राथमिकता के साथ भरेगी और हम प्रदेश के सभी एस सी, एस टी के भाइयों को विश्वास दिलाते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हुई। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सपोटरा के अन्दर भारतीय जनता

(श्री हंसराज मीना)

पार्टी की प्रधान को पद पर कार्य न करने का आरोप लगाकर निलम्बित किया जाता है और निलम्बित करने के दो दिन बाद 27 मार्च, 2023 को बड़ी संख्या में नरेगा के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। वित्तीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के दो दिवस बाद ही दिनांक 30 मार्च, 2023 को सभी कार्यों को सामग्री मद के बिना कार्य कराये, तत्कालीन बी डी ओ द्वारा अपनी आई डी से 06 करोड़ रुपये के बिल फीड करवाना संदिग्ध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। डॉ. सुभाष गर्ग। आपका हो गया।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महादेय, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस तरह से वहां कार्य किया गया और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: ये लास्ट हैं। इसके बाद एक और है। मुझे 8 मिनट में चार-चार को अवसर देना है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, बहुत तालियां इस पक्ष से बजाई गईं और बार-बार कहा गया कि डबल इंजन की सरकार डबल प्रगति के साथ आपणो अग्रणी राजस्थान बनाने का काम करेगी। इस पूरे अभिभाषण को देखने पर, यदि विभिन्न पैरामीटर्स की बात करें, इकोनामिक पैरामीटर्स की बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, डबल डिजिट में ग्रोथ रेट डवलप करने के लिए अगर कोई पालिसी पर्सपेक्टिव इसमें होना चाहिए, वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कोई विजन नहीं है।

केवल संकल्प पत्र को लिया, उसको री-टाइप करके प्रस्तुत कर दिया गया। इसमें एक ही काम किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया। भाई, पूर्ववर्ती सरकार ने किया तभी तो इधर आ गये। अब बार-बार इस पूर्ववर्ती सरकार को कब तक कोसोगे? आप अपना विजन रखिये कि आप क्या करना चाहते हैं।

(डॉ. सुभाष गर्ग)

आपने कहा पैरा नम्बर 5 में, राजस्थान को हम अग्रणी राजस्थान बनायेंगे, नया राजस्थान और एक नये राष्ट्र का निर्माण करेंगे। नये राजस्थान का निर्माण कैसे होगा? पूरे अभिभाषण में कहीं पर भी रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, जो रूरल इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, डेयरी इंडस्ट्री है, पशुपालन है, एग्रीकल्चर रिफार्म्स हैं, एग्रीकल्चर कंसेशनल्स हैं, क्रोपिंग पैटर्न है, इसके ऊपर कहीं कोई पालिसी प्लान ही नहीं है।

अभिभाषण होता है, सरकार की पांच साल की रूपरेखा होती है कि उन पांच सालों में हम क्या-क्या करेंगे। उन चीजों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रिमण्डल ने भी इसको पास किया है, मंत्रिमंडल के किसी भी माननीय मंत्री जी ने, मैंने कहीं अख़बार में नहीं पढ़ा कि अपना ये पक्ष रखा हो कि इस अभिभाषण में यह भी जोड़ा जाना चाहिए।

मुझे अफसोस होता है, फिर बात करते हैं, इन्होंने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प एक शब्द का यूज़ किया है, पैरा नम्बर 7 में। 'परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन-आक्रोश यात्रा, नहीं सहेगा राजस्थान, बिलकुल नहीं सहेगा।' अभी 28 तारीख को ई आर सी पी का समझौता हुआ, उसे राजस्थान कभी नहीं सहेगा। मेरे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि ई आर सी पी 100 दिन की कार्ययोजना में ऐसी सौगात दी है। यह सौगात नहीं दी, राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट हैं। ये भरतपुर की जनता, धौलपुर की जनता, करौली की जनता, सवाई माधोपुर की जनता, दौसा की जनता, अलवर की जनता और माननीय अध्यक्ष महोदय आपका भी जिला है, अजमेर, टोंक, जयपुर, बारां, झालावाड़, कोटा- इस पर आप बहस करवाइये। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप इस पर पूरा एक दिन विधान सभा में डिस्क्शन करवायें। मैं कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है। यह तो पहले ही हो चुका होता यदि 2,400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेना था, तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? पांच साल इसको रोकने की जरूरत क्या थी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ई आर सी पी का जो समझौता किया गया है। राजस्थान के हितों के साथ, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल समाप्त कर रहा हूं।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बड़ा नाम लेते हैं। मैं भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी का नाम ले रहा हूं। स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा चार सम्भागीय जिले लिये गये थे और तीन छोड़ दिये गये थे, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। जब हमारी सरकार थी, इन तीनों को स्टेट की स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी। आपके इस प्लान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि उन स्मार्ट सिटीज को डवलप किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। इसमें भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर भी आता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आप चिरंजीवी योजना के बारे में बात कर रहे थे। जिस चिरंजीवी योजना को देश और दुनिया ने सराहा, आज उस चिरंजीवी योजना के लिए लोग भटक रहे हैं। डाक्टर्स और हास्पिटल्स बिलकुल शांत बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चिरंजीवी योजना का दायरा और बढ़ाया जाये। इसके तहत जो रुकावट आई है, इसी तरह से विकास कार्य के साथ रुकावट, एक ही कर दिया है कि नये कार्य शुरू नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान की ग्रोथ रेट रुक गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंह शेखावत।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने बिना कोई रोड मैप लिये हुए अभिभाषण को प्रस्तुत किया है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंह शेखावत।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विधान सभा में प्रथम बार चुनकर आया हूं और मुझे हमारे सभी विद्वान साथियों का दर्शन करने का मौका मिला और सहयोग भी मिलेगा। इस अवसर पर मैं सभी साथियों का अभिवादन भी करता हूं।

मैं सबसे ज्यादा बानसूर विधान सभा क्षेत्र की 36 कौम, जिन्होंने मुझमें विश्वास रखा कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के हितों को सबसे आगे रखकर इस राजस्थान की पंचायत में रखूंगा, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में बानसूर आता है और पूरे

(श्री देवी सिंह शेखावत)

पूर्वी राजस्थान के लिए आज सोने का सूर्य उगने जैसा दिवस है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार द्वारा लटकाई गई ई आर सी पी योजना, उसका मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मिलकर हमारे राजस्थान के भागीरथ भजन लाल जी, मुख्य मंत्री और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रयास से इस लटकाई हुई योजना को मूर्त रूप दिया गया।

राजस्थान की 40 प्रतिशत आबादी, 13 जिले और 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि को जल मिलेगा, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा लोग रहते हैं। खेती और पशुपालन पर उनका जीवन चलता है और यह बगैर इसके सम्भव नहीं था। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने इसमें गतिरोध पैदा किया, जो हमारी क्षमता थी, जो कानून में हमें अधिकार थे, जितना जल हमको मिल सकता है, उससे ज्यादा मांगकर इस योजना को इस तरह से लटका दिया गया कि या तो उनको करना नहीं पड़े, क्योंकि वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण उनके पास इस योजना में देने के लिए पैसा नहीं था। एक ऐसी योजना बना दी गई, जिसमें 15 हजार करोड़ में केवल 500 मिलियन क्यूबिक पानी राजस्थान को मिलता। आज हमारे भजन लाल जी, केन्द्रीय जल शक्ति

(समय: 16.00 बजे)

मंत्री और एम पी के हमारे मोहन जी यादव के संयुक्त प्रयास से मोदी जी के नेतृत्व में 2,500 एम सी एम वाटर पूरे पूर्वी राजस्थान को मिलेगा। इसमें हमारे राजस्थान पर वित्तीय भार केवल दो हजार करोड़ आयेगा तो यह बहुत अच्छी बात है। जो पहले इन्होंने योजना बनायी वह बहुत गलत थी और कांग्रेस की कभी भी, जिस तरह से राम मन्दिर को लटकाया, जिस तरह से 370 को लटकाया, एक देश में दो विधान करके इस पूरे भारत की भूमि को हमेशा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकारमय बना दिया, लेकिन 370 आज हट गयी और एक देश एक विधान हो गया। कांग्रेस को लगता था वहां खून की नदियां बहेंगी पर एक मच्छर भी वहां नहीं मरा। मन्दिर का निर्माण हो गया जिसके लिए कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिये और अभी जो हमारे वेल में जो साथी थे, मुझे तो यह लग रहा था कि इनका अपराध बोध इनको वेल पर खींच कर लाया है क्योंकि इन्होंने इस दिशा में कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आते ही, अब यह

(श्री देवी सिंह शेखावत)

बार-बार कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हां पक्ष की लॉबी के द्वारा केवल कांग्रेस को कोसने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह इसलिये जरूरी है कि थानागाजी में अनुसूचित बालिका के साथ बलात्कार हुआ, मूक-बधिर बालिका के साथ अलवर में बलात्कार हुआ उसकी लीपापोती की गयी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के भूपसेड़ा में एक महिला का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गयी। मेणपुर में एक बालक का नरकंकाल मिला। सारे मामलों में लीपापोती हुई। अवैध हथियारों का चलन बढ़ गया। भ्रष्टाचार इस क़दर बढ़ा कि तबादला एक उद्योग हो गया और ऐसे सभी मामलों में लीपापोती की गयी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आदरणीय टीकाराम जी जूली बैठे हैं और हसन खां मेवाती पैनोरमा हमने अपने कार्यकाल में 2013 से 2018 में बनाया। मैं वहां यू आई टी का चेयरमैन था। भारतीय जनता पार्टी के समय हसन खां मेवाती पैनोरमा हमने बनाया, भर्तृहरि महाराज का बनाया, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया और आपने एक की भी सार-सम्भाल नहीं की और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार में जब आये तो एक अयोग्य उत्तराधिकारी की तरह रहे, इसका आपको पश्चाताप करना चाहिये। जिस तरह आज आप वेल में आये हैं मुझे तो यह लगता है कि आप सही चीजों का भी इस तरह से विरोध करते हैं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपका विपक्ष का भी तमगा छिन गया, बिहार में छिन गया, ऐसा नहीं हो कि इस राजस्थान की विधान सभा में आपको विपक्ष में बैठने का भी मौका नहीं मिले क्योंकि हमारे ग्रन्थों में कहा है...

श्री अध्यक्ष: सम-अप करिये।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): हमारी रामायण में लिखा है, 'जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही।' आपकी बुद्धि भ्रमित है और आप सारे उलटे काम करने में प्रवृत्त हैं। आपको और हम सबको मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ग्रामीणों की बहुत सी समस्याएं हैं, उनको आगे रखना है। ग्रामीण जीवन सुधारे बगैर हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा। महिलाओं के लिए मोदी जी ने 33 प्रतिशत आरक्षण जो देश की हमारी लोक सभा और विधान सभा में किया है, किसी भी देश का विकास तब होगा जब प्राइवेट सेक्टर में जाना सरकारी सेक्टर से ज्यादा लोग पसन्द करेंगे और जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा जनसहभागिता में दिखेगी तभी भारत विकास करेगा।

(श्री देवी सिंह शेखावत)

मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, टीकाराम जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हे राम। मैं आज की शुरुआत उस महान पुरुष से करना चाहूंगा जिनकी तस्वीर आपके पीछे लगी है। 'सत्यमेव जयते' उसके ऊपर लिखा है और आज ही के दिन 5 बज कर 27 मिनट पर उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी जब जमीन पर गिरे तब उनके मुख से अन्तिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी ने अपने जीवन में यह कहा था कि मैं राम का सच्चा उपासक हूं तो जिस दिन मेरी मृत्यु हो, उस दिन मेरे मुख से अन्तिम समय राम शब्द निकले तो मान लेना कि मैं राम को मानने वाला हूं, राम मेरे हृदय के अन्दर हैं। आज की स्थिति नहीं है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। यह स्थिति गांधी जी के अन्दर नहीं थी।

आज मुझे विपक्ष के नेता के रूप में बोलना है और आज मेरा एक-एक शब्द पूज्य बापू को समर्पित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ऐसी विचाराधारा के लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, लेकिन विचारधारा को नहीं मार सके। आज भी चौबीस घंटे उनके दिमाग में यह रहता है कि गांधी जी की विचाराधारा को कैसे मारा जाये और मुझे बड़ा दु:ख है कि वो लोग, आज भी कुछ लोग उनको पूजते हैं जो गांधी जी के हत्यारे थे। एक तरफ हम गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलायी, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल साहब को विदेश जाने का बड़ा शौक है। विदेश जब जाते हैं तो दस लाख का सूट काम नहीं आता, वो एक लंगोटी वाला गांधी काम आता है, गांधी के नाम से उसकी पहचान है विदेश के अन्दर। सत्तर के दशक में अजहर हाशमी ने एक गीत लिखा था कि मुझको राम वाला हिन्दुस्तान चाहिये, मुझको गांधी वाला हिन्दुस्तान चाहिये, परन्तु आज छल-कपट आ गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्रीराम को निष्कपट लोग ही पसन्द हैं, लेकिन आज रामचरित मानस में कहा गया था कि 'निर्मल मन जो सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा' अर्थात् जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है और जो कपटी लोग हैं वो मुझे नहीं सुहाते हैं। यह भगवान राम ने कहा है इस बात का भी ध्यान रखना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहना चाहूंगा मेरा सवाल और चिन्ता है कि आज जो लोग सत्ता के अन्दर बैठे हैं, वो लोग जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं। साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ। येन केन प्रकारेण ई वी एम के कारण सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान श्रीराम को वो कभी नहीं पा सकते, यह मैं कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे यहां चुन कर भेजा। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को कि जिनके बनाये हुए मजबूत संविधान की वजह से टीकाराम जूली आज इस सदन में नेता, प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित है और हमारी पार्टी ...(व्यवधान)

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): डॉ. अम्बेडकर को पण्डित नेहरू जी ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है। डॉ. साहब आप ही क्या, पूरी बी जे पी को बाबा साहब के नाम से चिढ़ है। जहां कहीं भी...

श्री अध्यक्ष: दोनों की दोस्ती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, हमारी तो है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप सदन में नहीं थीं, यह तय हुआ है कि आप नहीं बोलेंगे न इधर के लोग बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तो दोस्ती है क्योंकि दलित आदिवासी हम तो भाई-भाई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इस सदन में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठाया। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब महामहिम से यहां असत्य वाचन करवाया गया। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, यानी मुझे पता है धर्म क्या है और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो अधर्म के साथ है। इसलिए राज्यपाल महोदय सब जानते हैं कि उनसे असत्य पढ़वाया जा रहा है, क्योंकि 6 माह पहले राज्यपाल महोदय ने इसी सरकार की, इसी जगह पर तारीफ की थी,

(श्री टीकाराम जूली)

लेकिन जिस प्रकार से अभिभाषण तैयार हुआ, यहां विभागों से पहले अभिभाषण मांगा जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल उसको तैयार करके भेजता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्ची दिल्ली से आई थी, ऐसे ही दिल्ली से ही अभिभाषण आ गया और हम लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर पास कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि 100 दिन की कार्ययोजना हम बना रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है और वह भी इस अभिभाषण के लिये। 100 दिन में आप राजस्थान की जनता को क्या देंगे, यह भी जरा आप देख लेना।

अभिभाषण के पैरा नंबर (3) में प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया है, भारी मतदान की बात कही गई है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जनता का जो जनादेश आया, क्या उसका हम लोगों ने पालन किया? मुझे पता चला कि विधायकों से रायशुमारी करने के लिये दिल्ली से पर्यवेक्षक यहां आये थे, पर रायशुमारी न करके एक पर्ची पकड़ा दी। हमारे बहुत सीनियर-सीनियर सदस्य यहां पर मौजूद हैं ....(व्यवधान) आपको कोई एतराज है तो बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए। यह काम मेरा है, आपका नहीं है। अपना वादा हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे और न इधर के बोलेंगे। आप चुप रहिए, आपके नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमारे यहां बाकायदा मीटिंग हुई है, प्रस्ताव लिया गया है, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है। चाहे आप इनसे पूछ लो, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है और आपके तो जिनको पर्ची दी गई, वह यह सोच रहे थे कि इसमें मेरा ही नाम है, लेकिन जब पर्ची खुली, उसके बाद की स्थिति मैं बताता हूं।

"सुना है, सुना है जलजला आपका खूब है,
देखा है, देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है,
देखा है, देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है।
सुना है, सुना है सोच-समझकर पर्ची से ही आपको चुना है।
एम पी, हरियाणा, गुजरात में भी यही खेल सुना है।
सुना है, सुना है यह किरदार उसके लिये बुना है,
जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है।"

(श्री टीकाराम जूली)

...(व्यवधान) अभिभाषण पर आऊं? (व्यवधान) जमेगा। पहले तो मैं हमारे पूरे सदन की तरफ से माननीय उप मुख्य मंत्री जी को जन्म दिन की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा-

"अगर हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन,
इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन
यहां मजलूमों को सताया जाता है, सत्ता के लालच में,
बेकसुरों के घरों को जलाया जाता है।"

यह तो आपको जमा होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जीत की खुशी भी होती है और लोग खुशी मनाते भी हैं लेकिन कुछ लोगों को जीत की ख़ुमारी हो जाती है। यहां हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य जैसे ही चुनाव जीते, बाजारों में गदा लेकर चल पड़े। ऐसे चल दिये जैसे रामलीला में कोई रोल करना हो। फिर अगले दिन आपके यहां से कोई घुड़की लगी, माफी मांग लेते हैं। आपके सहाड़ा से आने वाले विधायक हास्पिटल में जाते हैं और हास्पिटल में पहुंचकर डाक्टर को धमकाते हैं। कहते हैं कि भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली-लंगड़ी औलाद पैदा होगी। भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाये, हद है। आप बाबा जी बन गये क्या जो श्राप देने लग गये। आपका चुनाव जनता ने उनकी बात को इस सदन में उठाने के लिये किया है। यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले बी जे पी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी को किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं। यह आपका चरित्र है? एक नई महिला अफसर को आप जनता के बीच जलील करना चाहते हैं, यह आपकी मानसिकता दर्शाती है। यही नहीं, आपके शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे-पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों, ऐसा कौनसा परमिट आपने ले लिया? आपके मांडल से आने वाले माननीय सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करो। यह आपकी कानून व्यवस्था है? आपके मंत्री, यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और वहां अपने चेम्बर में गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। शर्म आती है ऐसी सोच पर। (व्यवधान) प्रतिमा जो दफ्तर में लगी हुई है, वह। यही नहीं, मैं कहना चाहूंगा

(श्री टीकाराम जूली)

कि यह तो जो आपके सदस्य जीत कर आये हैं, उनकी बता रहा हूं और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जितने लोग बैठे हैं, यह जिनको निपटा कर आये हैं, उन्होंने भी खेल शुरू कर दिया है, वे भी अपने आपको विधायक ही मान रहे हैं। उन पर भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वे सारा आपका नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है।

यही नहीं, आपकी कानून व्यवस्था में आपका लगातार एक्शन मोड चल रहा है। सरकार एक्शन मोड में, 10 हजार गिरफ्तारियां। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बताया होगा कि 10 हजार गिरफ्तारियां हमने कर लीं। आपको यह नहीं बताया होगा कि 10 हजार में से 7,718 लोगों को शांति भंग की धारा 151 में पकड़कर उसी दिन छोड़ दिया था। ये वे लोग हैं जो कहीं चौराहे पर बैठे थे, कहीं गांव में ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं। उन लोगों को लाकर आपने ठोक दिया और बता दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हो गई न कानून व्यवस्था दुरुस्त? यही नहीं, तीन दिन में सिर्फ 116 नये मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो भूमाफिया, शराब माफिया, अपराध, पता नहीं कितने-कितने केस आप बता रहे थे, उनमें मात्र 259 लोग आपने गिरफ्तार किये हैं। यह आपकी कानून व्यवस्था है? यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

यही नहीं, आपने तो राजस्थान को रेपिस्तान बता दिया था। बताया था न, सही बताया था न। अब आप सुनिये, चलती बस में युवती से गैंगरेप, जयपुर। आठवीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, दौसा। जोधपुर में गहनों के लिए मां-बेटी और भतीजी की गला रेत कर हत्या। सिकन्दरा में दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, दौसा। राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस के महिला यात्री से दरिन्दगी, यह कहां की खबर है? भरतपुर। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की तो कानून व्यवस्था जब ठीक करेंगे, पहले भरतपुर की तो हो जाये। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या की, चित्तौड़। पाली, बाड़मेर और यही नहीं महिला अपराध में आप जो बार-बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर है, जहां आपकी सरकार है। महाराष्ट्र नम्बर दो पर है, वहां पर भी आपकी सरकार है। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। बीच में न बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग

(श्री टीकाराम जूली)

उतना ही बोलेंगे, जितनी इनके अन्दर इस सदन की गरिमा रखने की शिद्दत है।

श्री अध्यक्ष: मैं दोनों पक्षों को कह रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दोनों सही हैं। हमारे वाले कोई नहीं बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का रवैया इन माननीयों का है, इनको पहले ट्रेनिंग दे दें, यह राजस्थान की विधान सभा कोई चौपड़ नहीं है, जिस प्रकार से जो मर्जी हो वह बोलता है। आप बैठ जाओ, अब आपके बोलने का काम नहीं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनने का माद्दा रखिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आपके खुद के सदस्य खड़े हो रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसके लिए आप नहीं हैं। इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठिये। मेरा काम आप मुझे करने दीजिये। आप बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इन सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनको यह बात भी बतानी पड़ेगी कि कोई माननीय मंत्री ऐसा करे तो यह और भी गलत बात है। यह तो और भी गलत बात है। आप ज्यादा मत बोलिये। सात दिन पहले अलवर में भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया है। यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा। आप सुन लीजिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ...(व्यवधान) आपने मूक बधिर बच्ची के रेप के मामले में एफ आर लगाने का काम किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े मत हो। यहां एक खड़ा हो रहा है, आप पांच खड़े हो रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बैठिये, आपके नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: उसके लिए मैं हूं। आप नहीं हैं। उनको बैठाने की मेरी ड्यूटी है, आपकी नहीं है। आप शान्त रहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे प्रदेश और देश की जनता यू-ट्यूब के माध्यम से आप लोगों का आचरण देख रही है। आप सबका आचरण देख रही है कि किस प्रकार का आपका बर्ताव सदन के अन्दर है। यह आप मेरे साथ ही नहीं कर रहे हैं। आप पिछले तीन दिनों से, क्योंकि आपकी परिपाटी पुरानी रही है। पहले जब आप कहीं पर फंस जाते थे तो भारत माता की जय लगाते थे। अब विधान सभा में जब जवाब देने में फंसते हो तो जय श्रीराम का नारा लगाते हो, इससे काम नहीं चलेगा। भाई, जय श्रीराम तो हम भी मानने वाले हैं। मेरे तो नाम में ही राम है। बी जे पी पैदा कब हुई है? बी जे पी से पहले श्रीराम हैं। आप तो ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि आप लेकर आये हैं। अलवर शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने मूक बधिर बच्ची की बात की। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों में ताकत है और सही मायने में अगर इस देश के संविधान को मानते हो और सही मायने में आपने जो जनता से वादे किये हैं तो उस मामले की आप जांच कराकर दिखा देना। उस मामले की आप जांच करा देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे, सक्षम हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां नम्बर बनाने का चक्कर है। मुख्य मंत्री जी सब जानते हैं। मुख्य मंत्री जी, आप तो ओ.टी.एस. में रहते हैं, मैं सिविल लाइंस में रहता हूं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन आदमी रात को सिविल लाइंस में जा रहा है। ये आपको भी निपटाने के चक्कर में हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को इनका एक-एक का सब पता है कि कौन रात को कहां जा रहा है। ये यहां आपके सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ कहते हैं, मेरे को सब पता है, क्योंकि मैं रात को टहलता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी आप जिस थाने का निरीक्षण करने गये तो आपके प्रोटोकाल में कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और थाने के निरीक्षण में आप हाजिरी भर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान की जनता ने आपको ताकत दी है कि आप इन लोगों से हाजिरी

(श्री टीकाराम जूली)

भरवाओ। ये बैठे हैं, ये हाजिरी भरेंगे। आपको भरने की कहां जरूरत है? हम और आप ही हाजिरी भरने लग गये और थानेदार की कुर्सी बैठ गये। लोग कह रहे थे कि साहब हमने मुख्य मंत्री बनाया कि थानेदार, पता ही नहीं चल रहा। आपके ही पक्ष के लोग नहीं चाहते कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति, सरल, सौम्य, हमेशा हंसते रहने वाला मुख्य मंत्री ज्यादा समय चले। ये ज्यादातर नहीं चाहते। आपकी जो फ्रंट-रॉ, दो रॉ छोड़ दो, बाकी पीछे यही मामला है।

श्री अध्यक्ष: यही सभी ओर है, आपकी ओर भी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही लोग लगातार इस सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस सरकार की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरी सरकार के अन्दर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। पहले तो बहुत दिन तक सी एम का कन्फ्यूजन रहा, फिर मंत्रियों का रहा, फिर मंत्रियों के डिपार्टमेंट का रहा और इसी में लगभग एक-डेढ़ महीना निकल गया। उसके बाद किराये पर तो सी एस हैं, किराये पर डी जी हैं, डबल ए जी के लिए इनके रोज हाईकोर्ट डांट लगा रहा है। आई.ए.एस. की सूची सुबह आती है, शाम को उसमें संशोधन आ जाता है। 22 तारीख को ओ पी एस के आर्डर जारी होते हैं, 24 तारीख को फिर एन पी एस के आर्डर आ जाते हैं। यहां पर जो हमारे मंत्री हैं, वे एस ए का इन्तजार कर रहे हैं। इनके पी एस लगे, इनका स्टाफ लगे, इसका इन्तजार कर रहे हैं। ज्यादातर अधिकारियों को ए पी ओ कर रखा है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक अख़बार ने छापा, 50 से अधिक आई.ए.एस. आफिसर हैं, उनके पास एडिशनल चार्ज है। यह असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? जो 100 दिन की कार्ययोजना बनी है, उसको आप कब पूरा करेंगे? यह मेरा आप लोगों से आग्रह है।

आपने कांग्रेस की जमकर आलोचना की, हमने सुनी। अब मैं जो कह रहा हूं, वह आप सुनें। राजस्थान ने पूरे देश के अन्दर जो रैंकिंग हासिल की है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में पूरे देश के अन्दर राजस्थान नम्बर वन, 25 लाख इंश्योरेंस देने में पूरे देश में नम्बर वन, सबसे ज्यादा सब-सेंटर खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे अधिक पी एच सी खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे अधिक सी एच सी खोलने में राजस्थान नम्बर वन, सबसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कालेज खोलने में राजस्थान नम्बर वन। आप जो इसमें कह

(श्री टीकाराम जूली)

रहे हैं कि हम सब जगह मेडिकल कालेज खोलेंगे तो अब आप 50 की बात करना। 33 में तो पहले ही खुल चुके हैं। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आई पी डी टॉवर राजस्थान में, सबसे अधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में। सबसे अधिक नये कालेज खोलने में राजस्थान नम्बर वन, नये सिविल सर्विसेज अधिकारी देने में राजस्थान नम्बर वन, सरकारी नौकरी देने में राजस्थान नम्बर वन, ओ पी एस स्कीम देने में राजस्थान नम्बर वन। शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने में राजस्थान नंबर वन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में राजस्थान नंबर वन। देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अन्दर। दूध उत्पादन में नंबर वन। फोन उत्पादन में नंबर वन, रिन्युएल एनर्जी में नंबर वन, अनाज, तिलहन, दलहन और चना उत्पादन में नंबर वन, बाजरा और सरसों उत्पादन में नंबर वन, मनरेगा के अन्दर काम देने में नंबर वन, 125 दिन की मनरेगा देने में नंबर वन, शहरों के अन्दर मनरेगा शुरू करने में नंबर वन, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर वन, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग में नंबर वन, इंस्पायर अवार्ड योजना में नंबर वन, जन समस्या निराकरण में नंबर वन और आर्थिक विकास दर में पूरे देश में सैकण्ड नंबर पर राजस्थान रहा है, यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। (व्यवधान) सुन लीजिए, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। आप बैठिए पहले। मिस्टर बौहरा, मैं तीन-चार दिन से देख रहा हूं। (व्यवधान) शांति से सुनिए। मंत्री जी, बैठिए। कठूमर के माननीय विधायक जी, बैठिए आप। आप कंटीन्यू रखिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसी और को नंबर बनाने हैं तो खड़े हो जाइए भाई। मैं देख रहा हूं अलवर वालों के ही ज्यादा स्प्रिंग लग रही है।

श्री अध्यक्ष: सक्षम हैं, वे ही उत्तर दे देंगे। माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे यह बता रहे हैं कि खींची जी डेपुटेशन पर गये हैं। खींची जी यहां से ही गये हैं कुछ समय के लिए, वापस आ जायेंगे। कई लोग ऐसे हैं, इधर नहीं हैं। इधर वालों ने उधर जाकर बनायी है। ज्यादातर इधर के ही हैं।

आपने कल ई.आर.सी.पी. पर बड़ी बधाइयां ले लीं। बड़ा स्वागत हुआ है, सुना है एयरपोर्ट के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, माननीय नेता सदन, जब आप जवाब दें तब आप एक चीज का जवाब दे देना कि जो पुराना

(श्री टीकाराम जूली)

एम.ओ.यू. है, पुराना जो समझौता है, उसके अन्दर जो राजस्थान को पानी मिल रहा था, उतना पानी अब राजस्थान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यह आप मेरा जवाब दे देना। आप यह भी बता देना जो नये बांध जुड़ने हैं, वे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? ऐसी क्या जल्दी आ गयी, क्या नौबत आ गयी कि आपने एम.ओ.यू. को बिना पढ़े ही साइन कर दिया? हमारे मंत्री जी तक को भी नहीं पता और एम.ओ.यू. साइन हो गया।

मैं एक बात प्रदेश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। ई.आर.सी.पी. जो प्रोजेक्ट है, 13 जिलों की लाइफ लाइन है। हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। आपने भी लड़ाई लड़ी। हम तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे सरकार ने एक शुरुआत की थी। आपके 25 सांसद यहां से दो बार जीतकर गये और पिछली बार तो हमारे यहां के जल शक्ति मंत्री थे ...(व्यवधान) हैं, और उसके बावजूद आप भी अपने गिरेबां में झांकना कि 15-20 दिन बचे हैं, भारत सरकार को नोटिफिकेशन, आचार संहिता लगने वाली है और उसके पहले आप कह रहे हैं कि ई.आर.सी.पी. कर दी। प्रदेश की जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं। दस साल से कहां थे आप लोग? दस साल से जो किसान मरा है, उसका जवाब कौन देगा? हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कितना संघर्ष इसके लिए किया है, उसका जवाब कौन देगा? आज आप जवाब दे रहे थे, इनका लहजा, इनकी टोन वह नहीं थी जो पहले बोलते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर है, कोई मजबूरी है जो पढ़कर इनसे बुलवाया जा रहा है। वह इनकी मजबूरी थी। ई.आर.सी.पी. को आप क्लियर करें कि दस साल क्यों रोकी? राजस्थान का पानी कम हुआ या नहीं हुआ और इसका एम.ओ.यू. पढ़ा या नहीं पढ़ा? सदन में तो रखा नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह आपकी व्यवस्था है, लेकिन किसी विषय पर सदन के अन्दर चर्चा हो और वह डाक्यूमेंट सदन में उपलब्ध नहीं हो। यह तो हमारे सीधे सदस्य हैं, बिना डाक्यूमेंट के बोल लिए क्योंकि ई.आर.सी.पी. महत्वपूर्ण है। नहीं तो पहले वह डाक्यूमेंट सदन की मेज पर रखा जाता, फिर उसको हम देखते, तब हम बोलते, तब उसका कोई जवाब आता। माननीय मुख्य मंत्री जी, एक उस एम.ओ.यू. की कापी माननीय सभी सदस्यों को, हमारे भी और आपके भी, 83 सदस्य तो ई.आर.सी.पी. के अन्दर आते हैं, उनको भी उपलब्ध करा देना। मुख्य मंत्री जी के पास भी है या नहीं है, यह तो ये ही बता पाएंगे। बोलेंगे तब बता देंगे।

(श्री टीकाराम जूली)

आपने अभिभाषण के पैरा 13 व 14 में राजस्थान को बीमारू राज्य कहा। अपने स्टेट का इस प्रकार से आपके द्वारा ही यह कथन, वैसे तो हमने गांवों में सुना है कि अपनी मां को डाकन कोई न बतावे। हम अपने स्टेट को किन शब्दों के अन्दर यहां सदन में रख रहे हैं, ऐसे शब्द का मैं घोर प्रतिवाद करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस राजस्थान को आप बीमारू राज्य बता रहे हैं, उसमें 2008 से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने 1.29 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पर छोड़ा था। जिसे 2013 से 2018 के बीच में जब आपकी सरकार आयी तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 3.11 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग ढाई गुना कर्जा आपने राजस्थान पर छोड़ा। पुन: जब हमारी सरकार आयी तब हमने जो कर्जा छोड़ा है वह 5.80 लाख करोड़ हमने छोड़ा है, यानी कि आपका ढाई गुना, हमारा डेढ़ गुना। आप मैथ में कमजोर हैं। हमारा डेढ़ गुना है, आपका ढाई गुना है। ये आप थोड़ा-सा, माननीय संसदीय मंत्री महोदय, आप इसको देखना, जबकि हालत ये थी कि दो साल इस प्रदेश के अन्दर, प्रदेश तो क्या, देश और दुनिया के अन्दर कोरोना रहा। कोरोना की महामारी के दौरान भी हमने कोई कमी इस प्रदेश के अन्दर नहीं छोड़ी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब राज्य में कुल निर्यात 46 लाख 47 हजार 692 करोड़ का हुआ था। जब 2022-23 में हमारी कांग्रेस सरकार आयी, तब वह बढ़कर 77 करोड़ 77 हजार 137 करोड़ रुपये पहुंच गया। आपसे ज्यादा निर्यात हमने राजस्थान से किया है। यह बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि 31 हजार करोड़ रुपये हमारे समय में बढ़े हैं। आपने देखा होगा कि हमने कितने औद्योगिक क्षेत्र नये खोले। आपके इधर से आने वाले सदस्यों की भी खूब डिमांड थी, उनके आधार पर भी हमने खोले। मैं यह और कहना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2014 को जब दिल्ली के अन्दर हमारी सरकार थी तो भारत सरकार ने जो कर्जा छोड़ा था, वह 55 लाख 87 हजार करोड़ रुपये का था। आजादी से लेकर 2014 तक का कर्जा था 55 लाख 87 हजार करोड़ रुपये। अभी आपकी वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार का कर्ज 31 मार्च को बढ़कर 152 लाख 61 हजार करोड़, यानी कि तीन गुना कर्ज बढ़ गया। 65 साल का जो कर्जा था, उससे तिगुना कर्जा आपने दस साल के अन्दर भारत सरकार पर चढ़ा दिया। यही नहीं, जो युद्ध या ऐसी कोई विपदा के समय रिजर्व बैंक का पैसा रखा था, वह भी आप लोगों ने निकाल लिया। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल महोदय ने पिछली सरकार पर आरोप लगाए, आप तो बहुत मोदी-मोदी कर रहे थे, मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्हीं मोदी जी ने, कोरोना के अन्दर जो काम हुआ, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री की कोरोना प्रबंधन के लिए तारीफ की थी, यह मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं।

जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जिस पवित्र गंगा माता की आप बात कर रहे थे, उसी पवित्र गंगा के अन्दर कोरोना में जो लोग मरे, उनकी लाशों को बहा दिया गया। आपकी बी जे पी की यू पी में सरकार है, यह उसका प्रबंधन था। कोई भूखा नहीं सोयेगा का नारा दिया और प्रदेश के अन्दर सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए राजस्थान रोडवेज ने स्पेशल बसें लगाकर उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। आपने क्या किया, पता है? मोदी सरकार ने रोक लगा दी कि हमारे यहां से कोई भी बसें मज़दूरों को वहां नहीं ले जाएगी। आपने उन बसों का किराया देने के लिए मना कर दिया। राजस्थान रोडवेज़ की बसों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरे देश में कहीं का भी मजदूर यहां फंसा हुआ था, उसको वहां छोड़ने का काम किया। हर व्यक्ति को, 33 लाख परिवारों को 5,500-5,500 रुपये हमारी सरकार ने उस समय उनके खाते में डाले। भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले, देश में सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन लगाया था। आप हमारी सोच को पा भी नहीं सकते, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए अग्निवीर एक योजना चलाई है, 17 में भर्ती और 21 में रिटायर, यानी चार साल में ही। आप में से कह दो न चार साल में रिटायर हो जाएंगे, यहां मैं देख रहा हूं 80-90 साल के भी इस सदन के अन्दर दुबारा जीतकर आना चाहते हैं। उन युवाओं ने क्या बिगाड़ दिया कि आप उनको चार साल में ही रिटायर करना चाहते हैं? खुद की नहीं देखते है। उन युवाओं के बारे में देखते हैं। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जो सेना में भर्ती होता था जज़्बे के साथ, अगर देश के लिए उसको जान भी देनी पड़ती थी तो जान दे देता था। अभी पिछलों दिनों एक अग्निवीर सैनिक की पंजाब में मृत्यु हो गई। घर वाले देख रहे थे कि उसको सलामी दी जाएगी, उसको तिरंगा नसीब होगा, उसके बच्चों को, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, लेकिन जब

(श्री टीकाराम जूली)

कोई नहीं आया तो यह बात चली कि क्या हुआ तो पता चला कि यह तो अग्निवीर था। मुझे बड़ा दुःख हुआ। आप उसकी तालियां बजाते हैं। राजस्थान सरकार वह पैटर्न राजस्थान में लागू कर रही है। कर रही है न? आपने अग्निवीर की जगह राजस्थान में मंत्रीवीर योजना शुरू कर दी। मंत्रीवीर ही शुरू कर दी। आचार संहिता में ऐसा मंत्री बनाया जिसने न तो चार्ज लिया, न कमरा देखा, न तनख्वाह मिली, न पेंशन मिली और अग्निवीर बनाकर आपने भेज दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वास्तव में यह तो बहुत ही बुरा हुआ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लोग कहते हैं सीटी बज गई, मोरियो बोलग्यो, पता नहीं क्या-क्या। इस प्रकार के निर्णय आप लोग भी लेना माननीय मुख्य मंत्री जी, तो कम से लोगों से सलाह करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, इनको ऐसा भला आदमी पसंद नहीं है जो इस सीट पर बैठे। ये लोग आपको निपटाने में लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य, सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य बैठे हैं, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो बच्चियां तिलक निकालती हैं, ढोल वाले आते हैं, उनको हम 50-100 रुपये देते हुए भी डरते हैं कि कहीं आचार संहिता में नहीं फंस जाएं कि यहां 100 रुपये दे दिए। आपने तो मंत्री ही बना दिया, आचार संहिता का पूरा उल्लंघन। न खाता न बही, जो वह कह दे वही सही। ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान रखो, संविधान का ध्यान रखो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस पवित्र सदन में पहुंचे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के अन्दर हम ऐसा मैसेज दें कि सरकार सही काम कर रही है, सही निर्णय ले रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा, सदन की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी के सामने पहले ही दिन यह कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे तो हम मेज़ थपथपाएंगे, लेकिन गलत निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो प्रदेश की जनता के खिलाफ है तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन राजीव गांधी युवा मित्रों का क्या दोष है? पांच हजार युवा मित्र, उनके परिवार, पांच हजार परिवार, पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठण्ड में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, बड़ा दिल रखिए। आपको राजीव गांधी नाम पसंद

(श्री टीकाराम जूली)

नहीं है, मैं प्रस्ताव करता हूं, हमारे साथी प्रस्ताव करेंगे, आप तो उनको अटल युवा मित्र बना दो, हम तैयार है, पर आप उनका रोजगार मत छीनो, उन गरीबों के पेट पर लात मत मारो। भगवान राम भी यही कहते थे कि मैं उसको चाहता हूं जो गरीब को चाहता है तो आप उनका ध्यान रखिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग के बच्चे लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। बच्चियों की हालत खराब हो रही है। भर्ती पूरी हो चुकी है, सिर्फ उनको नियुक्ति देनी है, लेकिन हम उनको नियुक्ति नहीं दे रहे। आगे आचार संहिता फिर लग जाएगी, वे 6-8 महीने फिर लेट हो जाएंगे। आप उनको नियुक्ति दीजिए, आप बड़े बनेंगे। सरकारें बदलती रहती हैं। वह व्यक्ति जिसने सारे पेपर पास कर लिए, आज यहां तक पहुंच गए वे परेशान हैं, वे बच्चे परेशान हैं, उनके परिवार परेशान हैं। हम खुद पर यह बात सोचकर देखें। मैं फिर बार-बार इनका नाम ले रहा हूं, माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कालीचरण जी तो शहीद वाली में आ गए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये वे मंत्रीवीर बन गए जो मंत्री बिना बनाए हो गए। यह तीसरी कैटेगरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने ऐसे लोगों के लिए खूब संघर्ष किया है और अब आर ए एस की भर्ती की तारीख भी आपने आगे सरकवाई है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन बच्चों पर अपना हाथ रखें, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, इनको नौकरी दीजिए। वे ठण्ड में मर रहे हैं, लाइट काट दी जाती है, पानी के टैंकर रोक लिए जाते हैं, टॉयलेट्स हटा दिए जाते हैं। किन परिस्थितियों के अन्दर वे लोग रह रहे हैं? ठेकाकर्मी, संविदाकर्मी, पशु मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, ये सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संविधान ने हमें वह ताकत दी है और संविधान ने उन्हें प्रदर्शन करने की ताकत दी है। आज उनकी बात पर हमें गहराई से विचार करते हुए, उनके जीवन में जो बदलाव आ सकता है, वह लाने का हमें काम करना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह

(श्री टीकाराम जूली)

निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) चिंता मत करो मैं 5 बजकर 4 मिनट पर छोड़ दूंगा, 4 बजकर 4 मिनट पर बुलवाया था।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यसूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रही है सबसे पहले इसका इंदिरा गांधी पेंशन योजना नाम था। हमारी सरकार आई, गहलोत साहब आए तो उन्होंने इसको पिछली बार 500 रुपये किया और इसका क्राइटेरिया था वह बढ़ाया, ताकि इसके अन्दर ज्यादा लोगों को पेंशन मिल सके। हमने उसके बाद इसको 750 किया, उसके बाद 1,000 रुपये किया। अबकी बार हमने यह कानून बनाया कि हर साल यह पेंशन 15 परसेंट बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पिछली बार 50 लाख पेंशनधारी थे, इन पांच सालों के अन्दर 50 लाख से 94 लाख लोगों को पेंशन देने का हमने काम किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं यह बताना चाहता हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिलिकोसिस के लिए 1,500 रुपये की पेंशन राजस्थान में हमने दी। सिलिकोसिस नीति, आज सुबह क्वेश्चन लगा था, माननीय मंत्रीजी उसका जवाब दे रहे थे। सिलिकोसिस की नीति हमने बनाई पहली बार आजादी के बाद में और मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति के अन्दर हमें यह प्रयास करने चाहिए कि यह जो

(श्री टीकाराम जूली)

बीमारी है यह आगे नहीं फैले। यह एक ऐसी बीमारी है, कैंसर में भी आदमी बच सकता है लेकिन सिलिकोसिस से व्यक्ति बच नहीं सकता, उसके सामने रहता है कि मेरी मौत आयेगी। इसमें हमने पहली बार इसके लिए नीति बनाई।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, पालनहार योजना में हमने लगभग 7 लाख बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया। हमने 56 हजार लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया और पहली बार पूरे देश के अन्दर राजस्थान एक ऐसा राज्य बना जिसने कोविड के अन्दर जिनके माता-पिता चले गये, जो अनाथ हो गये उनको नौकरी देने का काम किया, वह भी हमारी सरकार ने ही किया था। यह एक बहुत बड़ा निर्णय पूरे देश के अन्दर था।

यहां एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए एस.सी., एस.टी. उद्यमी प्रोत्साहन योजना हम लेकर आये, ताकि दलितों का उद्धार हो सके। वे लोग इस योजना के अन्दर भाग लें, क्योंकि आज भी चाहे कोई कितना ही कह लें, लेकिन आज भी आप इंडस्ट्री के अन्दर अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको एस.सी., एस.टी. के लोग इंडस्ट्री के अन्दर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। उनकी संख्या मात्र पाइंट जीरो-जीरो में होगी, तो इसको बढ़ाने का काम हमने किया था, यह आप बढ़ाएंगे।

हमने 12 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी दी थी। मैं यह चाहूंगा कि आप इस योजना को और आगे जारी रखें। हमने पहली बार दिव्यांगजनों के लिए दो यूनिवर्सिटी जयपुर के अन्दर और जोधपुर के अन्दर खोलीं जो कि 75 वर्ष के इतिहास में राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है।

मैं यही कहना चाहूंगा कि आज केन्द्र की जो सरकार है, वह कई बार यह चर्चा करती है कि हम एस.सी., एस.टी. के लोगों को आगे लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी यू.जी.सी. के अन्दर जो आपके केन्द्रीय विद्यालयों की भर्ती होनी है 7 हजार पदों पर, आरक्षित पदों में से 3 हजार पद जो रिक्त हैं, उनमें से सिर्फ 7.1 परसेंट दलित, 1.6 परसेंट आदिवासी और 4.5 परसेंट पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं और अब भारत सरकार यह चाहती है कि यह जो वेकेंसी है, यह जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की है, इनको जनरल से भर दिया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि यह आपका चेहरा है। जो आपकी केन्द्र सरकार है, वह देश के अन्दर नया ड्राफ्ट लेकर आना चाह रही है।

(श्री टीकाराम जूली)

आपने महिलाओं की बड़ी-बड़ी बात की है तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि उड़ान योजना हमने शुरू की। पहली बार हमारी महिलाओं को, बच्चियों को सेनेटरी पैड इस सरकार ने दिये। हमने पी.जी. तक की जो शिक्षा है, वह हमने फ्री की सभी सरकारी संस्थानों में। कालीबाई भील योजना के तहत 30 हजार बच्चियों को हमने स्कूटी दी। महिलाओं को रोडवेज में 50 परसेंट छूट और पास बनवाने पर 90 परसेंट की छूट दी। हमने एकल नारी पेंशन योजना में 40 लाख महिलाओं को एक हजार रुपये दिये। आपने यह कहा है कि राजस्थान में क्या हुआ पांच साल में, तो मैं यह बता रहा हूं कि एक गरीब का काम किस प्रकार से चले, यह व्यवस्था हमने दी। हमने एक हजार करोड़ रुपये का महिलाओं के लिए महिला इंदिरा शक्ति फंड बनाया और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें भी कम्पल्सरी एफ.आई.आर. दर्ज हो, यह नियम भी राजस्थान के अन्दर हमने बनाया।

मैं किसान की बात करना चाहूंगा, क्योंकि किसान की बात आपने भी की थी। किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात आप लोगों ने की थी, लेकिन दुगुनी की तो बात छोड़िये, आधी भी आप लोगों ने उसकी आमदनी नहीं छोड़ी है। हमने बजट दुगुना करके किसान का अलग से कृषि बजट पेश किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अन्दर दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी हम लोगों ने दी। 51 एग्रीकल्चर कालेज पिछले पांच साल के अन्दर हमने किसानों को दिये। किसान को हर महीने दो हजार यूनिट बिजली हमने फ्री दी। 21 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमने माफ किया। हमने कर्ज राहत आयोग बनाया जिससे कि किसान की जमीन नीलाम नहीं हो।

सरस डेयरी के अन्दर 5 रुपये की किसान को सब्सिडी हमने दी। बुजुर्ग किसानों को हजार रुपये पेंशन दी और 18 जिलों के जो किसान हैं, उनको दिन के अन्दर बिजली देने की व्यवस्था कर दी और बाकी 32 जिलों के अन्दर भी दिन के अन्दर बिजली दी जाये, इसका कार्य जारी था, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। पांच वर्षों में साढ़े चार लाख कृषि कनेक्शन हमने किसानों के लिए जारी किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, विदेश में पढ़ने के लिए 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाने की व्यवस्था इस हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी कि गरीब का बच्चा

(श्री टीकाराम जूली)

भी विदेश जाकर पढ़े, यह व्यवस्था सिर्फ राजस्थान सरकार ने की थी। तीन लाख नौकरी हमने युवाओं को दी। एम.बी.सी. का आरक्षण एक परसेंट से बढ़ाकर पांच परसेंट हमने किया। ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण में अचल सम्पत्ति की शर्त को हटाया। राजस्थान पहला प्रदेश बना जहां ई.डब्ल्यू.एस. के अन्दर सवर्ण वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत हम लोगों ने दी। प्रत्येक जिले के अन्दर 75 करोड़ रुपये की लागत से 100 आवासीय क्षमता वाले विवेकानंद हॉस्टल हम लोगों ने बनाये। सरकारी भर्तियों के अन्दर सामान्य वर्ग से 600 और आरक्षित वर्ग से 400, एक बार रजिस्ट्रेशन, बार-बार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो। यह बात सही है कि युवा परेशान होते थे, बार-बार रसीदें कटती थीं तो एक बार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हमने शुरू की।

हमने 3,715 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। एक से आठवीं तक के बच्चों को नि:शुल्क ड्रेस और बाल गोपाल योजना के अन्दर बच्चों को दूध, राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक, ग्रामीण ओलम्पिक हम लोगों ने शुरू किया और खिलाड़ियों को पहली बार दो परसेंट आरक्षण दिया तथा डीवाई.एस.पी. स्तर तक की भर्ती हमने की। 400 से अधिक खिलाड़ी आउट आफ टर्न इसके अन्दर शामिल हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा मोदीजी की गारंटी की जो आजकल आप बड़ी बात कर रहे हैं, मोदीजी की गारंटी, मैं उस पर बात करना चाहूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पक्की गारंटी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, पक्की गारंटी है, मैं कह रहा हूं। आपने सबको खाने की बात कही है न, कही है न? आप देखिये कि मोदी सरकार जब से आयी है, एक भी नया नाम फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर नहीं जुड़ा है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली गारंटी। बात सुनिये, आपको कड़वी लगेगी यह बात कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अन्दर, जी.एच.आई. में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है 2023 के अन्दर जबकि पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 नम्बर पर है। यह तो आपकी गारंटी है।

यही नहीं, यह जो मीडिया के साथी और बैठे हैं पीछे, मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है, उसमें इंडिया का स्थान 79वें नम्बर पर पहुंच गया है, 79वें नम्बर पर और आज तक मोदीजी ने कोई प्रेस

(श्री टीकाराम जूली)

कांफ्रेंस नहीं की है, यह भी मैं और बता देना चाहूंगा आप लोगों को। मोदीजी की गारंटी ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अगली बार 400 पार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनो। मैं जो कहूं न ईमानदारी से हां या ना में जवाब देना। 100 दिन में काला धन लेकर आऊंगा, नहीं लेकर आऊं तो किसी भी चौराहे पर टांग देना, यह किसके वाक्य थे? अब काला धन बढ़ चुका है। 15 लाख रुपये सबके खाते में आएंगे, दो करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दूंगा, महंगाई को कम करूंगा, भ्रष्टाचार को कम करूंगा, आतंकवाद को खतम करूंगा, डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे तो हो गया डॉलर-रुपया बराबर? ऐसा लग रहा है कि जैसे 88 रुपये के आस-पास पहुंच गया हो, आप 90 रुपये पहुंचा कर ही मानोगे, हमने तो 60 रुपये के आस-पास ही दिया था आप लोगों को। किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे तो किसान की दुगुनी आमदनी का तो पता नहीं पर यूरिया का रेट भी बढ़ा दिया और पहले जो कट्टा 45 किलो का आता था वह अब सुना है कि पहले 40 किलो का किया, अब 35 किलो का ही कर दिया है तो यह आप लोग कर रहे हैं। सबको पक्का मकान दूंगा, मिल गया पक्का मकान?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काफी लोगों को मिल गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मिल गया? मैं तो इस अभिभाषण में यह देख रहा था कि नौ लाख लोग तो आज भी पक्के मकान की तलाश में खड़े हैं। जो आप खुद मान रहे हैं कि उनका नाम सिर्फ भारत सरकार ने एड नहीं होने दिया। नौ लाख लोग हमारे राजस्थान के आज बिना छत के रह गये, उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया, यह मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

(समय: 17.00 बजे)

हर महिला को सुरक्षा। मिल गयी सुरक्षा? मैंने बता ही दिया अभी। भारत को विश्व गुरु बनायेंगे। बना दिया? डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस 55 रुपये में हमने दिया था, 100 पर पहुंचा दिया डीजल। पेट्रोल 60 रुपये में दिया था, वह भी 100 पर पहुंचा दिया। साढे तीन सौ का सिलेण्डर बारह सौ पर पहुंचा दिया। भला हो राजस्थान की सरकार का जिसने पांच सौ रुपये में सिलेण्डर दिया। अभी आपने कहा कि इस महीने से साढ़े चार सौ रुपये में देंगे पचास रुपये का ही अन्तर है, सबको दे दो। सबको दे दो, पूरे राजस्थान के लोगों को साढ़े चार सौ रुपये में सिलेण्डर। जनता धन्यवाद देगी कि भजन लालजी जैसे हमें मुख्य मंत्री मिले।

(श्री टीकाराम जूली)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह और कहना चाहूंगा कि एलआई.सी. बेच दी, बेच दी न एल.आई.सी.? इण्डियन ऑयल, बी पी सी एल, एच पी सी एल बेच दी, बैंक बेच दिये, एयरपोर्ट बेच दिया। अडानी का बोर्ड लग रहा है। जयपुर का ही देख लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर का एयरपोर्ट देख लेना, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनको पता है। दिलावरजी बता रहे हैं आपको। सही कह रहे हैं। जा आओ आप। कोई बात नहीं। भेल इण्डिया, एचएएल इण्डिया आपने बेच दिया, रेलवे आपने बेच दिया, हाईवे आपने बेच दिया। मैं एक बात सुन रहा था, किसी ने चर्चा की। लोग पूछ रहे थे कि शंकराचार्यजी ने उद्घाटन नहीं करने दिया राम मन्दिर का। (व्यवधान) मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा। मेरी इन्होंने पांच मिनट खराब की हैं। लोग चर्चा कर रहे थे। शंकराचार्यजी ने इसलिए मना किया कि जो मन्दिर है वह भगवान का घर होता है और जो मूर्ति है वह उसकी आत्मा होती है और उसका जो शिखर है, वह उसका सिर है। शंकराचार्यजी ने यह कहकर मना किया कि अभी मन्दिर पूरा नहीं है इसलिए हम नहीं जायेंगे, इसलिए गलत हो रहा है। आपने शंकराचार्यजी की वाट लगा दी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, गौर करना, लोग यह कह रहे थे कि मोदीजी रेल मंत्री को एक रेल की झण्डी नहीं दिखाने नहीं देते। रोड मंत्री को एक सड़क का उद्घाटन नहीं करने देते। विदेश मंत्री को एक भी विदेशी दौरे में साथ लेकर नहीं जाते तो मन्दिर में शंकराचार्यों को कैसे बुला लेते? यह तो साहब की आदत है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता जब बोलें तब जबाव दे देना। गोमांस का आप विरोध करते हैं, गोहत्या की बात करते हैं। आप बता देना कि मोदी सरकार आने के बाद में देश के अन्दर गोमांस का निर्यात बढ़ा है या कम हुआ है? देश के अन्दर काला धन बढ़ा है या कम हुआ है? यह जवाब मुझे दो, मैं चाहूंगा।

अन्त में, मैंने महात्मा गांधीजी से ही शुरू किया था और महात्मा गांधीजी पर ही खतम करना चाहूंगा। गांधीजी से प्रेरित होकर, उनके अहिंसक आन्दोलन से प्रेरित होकर अमेरिका के महान नेता मार्टिन लूथर का प्रसिद्ध भाषण याद आता है जो उन्होंने 28 अगस्त, 1963 में दिया था कि, 'I have a dream for America' and, we have a dream for our Rajasthan and for our India. यह बात मैं कहना चाहूंगा और गांधीजी का यह विचार

(श्री टीकाराम जूली)

था और रहेगा। नेल्सन मण्डेला ने, मार्टिन लूथर ने उसको अपनाया और इसकी वजह से मण्डेलाजी को जेल दी गयी। मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गयी और राहुल गांधीजी, जो सड़कों पर चल रहे हैं, उन पर भी इसी प्रकार का काम किया जा रहा है।

मैं दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा

'कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी,

कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी।

राहुल गांधी जैसा चिराग सब आंधियों पर भारी,

सब आंधियों पर भारी।'

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बार और सुनाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिए।

'कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी,

कि दुआ करो सलामत रहे यह रोशनी हमारी।

राहुल गांधी जैसा चिराग सब आंधियों पर भारी,

सब आंधियों पर भारी।' (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलिए मत।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। अन्त में दो लाइनें गोस्वामी तुलसीदासजी की और कहना चाहूंगा, 'कि राम गरीब नवाज हैं, दीनबन्धु हैं।' उन्होंने विनय पत्रिका के 278वें पद के अन्दर लिखा है कि 'कृपा गरीब नवाज की, देखत गरीब को साब आ गयी।' यानी कि भगवान राम ने गरीब को देखा तो उसकी बांह पकड़ ली और वही गरीब को अगर किसी ने सताने का प्रयास किया तो उसके लिए भी तुलसीदासजी ने कहा है कि-'तुलसी हाय गरीब की, कभी न निष्फल जाय। मरे बैल की चाम से, लौह भस्म हो जाय।' जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किरोड़ीजी ताली नहीं बजा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैंने आपको कहा था कि बीच में टोका-टोकी नहीं। अब कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो ठीक नहीं रहेगा। नेता सदन हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से इस सदन के समक्ष हमारी सरकार का रोड मैप रखा है। उसके बाद मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के इस मन्दिर को सारगर्भित किया है।

मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी सरकार को बहुमत देकर हमें सेवा का अवसर दिया है। मैं मेरी सांगानेर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 58.44 परसेंट वोट देकर इस सदन में एक जन-प्रतिनिधि के रूप में भेजा है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो सदन का संचालन प्रभावी रूप से आप कर रहे हैं।

माननीय, मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज उनकी पुण्य तिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राम बापू के पूज्य थे, उनकी सभाओं में रामजी का भजन 'रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।' इसके अलावा उनका एक और प्रिय है, 'मैंने तो पाया, राम रतन धन पाया' यह भी उनको बहुत पसन्द था। रामराज्य तो गांधीजी का सपना था। रामराज्य की अवधारणा, जहां हमारी आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था। वहीं यह रामराज्य राष्ट्र निर्माण के मिशन का मूल आधार था।

माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों का मैंने भाषण सुना है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, निश्चित रूप से उनका अधिकार है, लेकिन बात रखने से पहले थोड़ा-सा हमें विचार भी करना चाहिये और विचार इसलिये करना चाहिये कि राजस्थान की जनता ने हम सभी को इस पवित्र मन्दिर में भेजा है, इसका एक-एक मिनट का समय बहुत कीमती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं हमारे यशस्वी माननीय प्रधान मंत्रीजी भी कहते हैं कि विकसित भारत की संकल्पना देश से देश तथा राम से राष्ट्र तक के चिंतन का विस्तार है। यही नहीं, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान की मूल प्रति के भाग (3) में, अगर आप देखोगे तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मणजी का भी उस चैप्टर (3) में बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको बताना चाहता हूं और माननीय प्रधान

(श्री भजन लाल शर्मा)

मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने 500 साल की सनातन की प्रतीक्षा को पूरा किया। किसी राष्ट्र के इतिहास में कभी-कभी ऐसे दुर्लभ क्षण भी आते हैं जब सदियों का इतिहास सैकण्डों में सिमट जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को ऐसा ही क्षण आया जब 500 वर्ष का इतिहास 84 सैकण्डों में सिमटकर रह गया। देश ही नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया। सदियों के संघर्ष एवं रामभक्तों के बलिदान के पश्चात् यह सपना साकार हुआ है। नव्य, भव्य और दिव्य मन्दिर में कमलासन पर विराजे श्याम सलोने रामलला के दिव्य दर्शन कर जन-जन धन्य हुआ है।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे जन-जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम के मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा को भी विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण और हमारी दृष्टि को हमें देखना होगा। इनको यह पता होना चाहिये कि जिन्होंने राम और रामसेतु को काल्पनिक बताकर नकार दिया था, उनको जनता ने भी नकार दिया है। यही नहीं, अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि राम मन्दिर केवल आस्था नहीं, अपितु देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है।

इस अवसर पर रामराज्य पर तुलसीदासजी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूं-

'दैहिक दैविक भौतिक तापा
रामराज काहू नहीं व्यापा।।'

इसका अर्थ सीधा-सीधा है कि रामराज्य में किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक परेशानी नहीं होती थी, सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे।

माननीय अध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्षजी, यह राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है, यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपना सिर कटवाने वाली मां अमृतादेवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिये जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिन्ताजनक आंकड़ों की वजह से शर्मसार होना पड़ा था। शर्मसार ही नहीं, आप आंकड़े उठा लीजिये, देश के अन्दर महिला अत्याचार के नम्बर

(श्री भजन लाल शर्मा)

पर राजस्थान पहले नम्बर पर था। जहां एक ओर हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण, माता-बहनों का मान-सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं, एन.सी.आर.बी. के आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी, दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार-तार होती थी।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बारबार बात आती है अभिभाषण में, मैं आपको कहना चाहता हूं आप अपने आपको देखिये। यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मन्दिर है। हम ही नहीं, इस राजस्थान की आठ करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उस आठ करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं। राजनीति में कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि राजनीति कैसे करते हैं। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है। राजनीति के लिये तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूं और उसकी पालना नहीं करूं, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है।

माननीय अध्यक्षजी, दु:ख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और शर्मसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले असत्य होते हैं। इससे अपराधियों के हौंसले बुलन्द करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जमवारामगढ़ में महिला का अधजला शव मिलने की घटना हो या धरियावद में विवाहिता को निर्वस्त्र करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटड़ी में बच्ची से गैंगरेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो। इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप हो। एसिड अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो। इस कानून-व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

जब-जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आयी तब-तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं अनुसूचित

(श्री भजन लाल शर्मा)

जाति की महिला भंवरी देवी का, वह भी कांग्रेस के समय में हुआ था। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। उसने ऐसा कौनसा गुनाह किया इस सदन में बात उठाने का? कोई भी अपनी बात उठा सकता है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया। यह क्या है? यह सदन की परम्परा है क्या?

यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे और वे भी सीनियर मंत्री, वे भी यह कहते हैं कि मैं मुख्य मंत्री से थोड़ा ही कम हूं। हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइये, लेकिन उनकी भाषा देखिये कि 'राजस्थान मर्दों का प्रदेश है'। इसमें शर्म आनी चाहिए। जन-प्रतिनिधि की इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में और मुखिया, जिसने थोड़ी-सी सही बात कही तो उसको हटा दिया। मुखिया को यह बातें सुनाई नहीं दीं? यह शर्म की बात है।

हमारी प्राथमिकता मातृ शक्ति के आत्म सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान-सम्मान बनाये रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता-बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनायेंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूं कि कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूं। संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौली की वह घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन-प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ, उलटा पीड़ितों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हाल किया? पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगाने का काम किया। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले मैं आपको गिनाऊं? तुष्टिकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है।

(श्री भजन लाल शर्मा)

कहने वाले कहते हैं कि संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं कि झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर सहित राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं पर किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं था। कोई बात नहीं, आप करते या नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख-पुकार करके वे लोग गये। कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है? ऐसे वोट का क्या डर है कि उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। यह एकतरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुष्टिकरण से नहीं चलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि इस शांति प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य प्रारम्भ किया है।

आपको जानकारी भी होगी कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून-व्यवस्था के लचर हालात और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण यहां गैंगस्टर पनपे हैं। उन्होंने व्यापारियों को धमका कर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। आये दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। उन्हीं के साथ खनन-माफिया, भू-माफिया की हिम्मत सातवें आसमान पर पहुंच गयी। इन गैंगस्टर्स के हौंसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अन्दर से ही अपनी सिंडीकेट का संचालन प्रारम्भ कर दिया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आये दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर्स आते थे। राजस्थान के किसी भी जिले में किसी न किसी को फायर करके चले जाते थे, किसी को मारकर चले जाते थे, किसी को धमका करके चले जाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की कानून-व्यवस्था इतनी लचर हो गयी थी, जैसा मैंने बताया पड़ौसी राज्यों के गैंगस्टर्स भी यहां आने लग गये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करके आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुन: स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु 16 दिसम्बर को, 15 दिसम्बर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16

(श्री भजन लाल शर्मा)

दिसम्बर का है, एक विशेष कार्य दल, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स गठित करने का काम किया है। उन्होंने अपना काम भी प्रारम्भ कर दिया है।

अपराध शाखा, राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अच्छा होता वह धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10 हजार लोगों को पकड़ा। पकड़ा, चलो इतना तो आपने माना। आपने कितने पकड़े, यह तो बताते। यह नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10 हजार लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी, लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े? कहां चले जाते थे? किस नेता से सांठ-गांठ होती थी? यह नहीं बताया। यह भी बताते। हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह अच्छी बात है कि आपने मुझे भला कहा, भोला कहा, लेकिन इतना भोला भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं थे। आपने 10 हजार पकड़े 7,700 छोड़ दिये, यह मैं बता रहा था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): गत राज्य सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाले राजस्व की हानि भी हमें हुई। खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे। आपने देखा होगा कि आये दिन पुलिस पिटती थी, पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा कि अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इसने मिलकर के काम किया है तो इसको तुरंत सस्पैंड करना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय में थानेदार पिटते थे। पुलिस बार-बार पिटकर के आती थी। पुलिस मजबूर थी, क्योंकि वहां के भू-माफिया के साथ सांठ-गांठ थी। सांठ-गांठ सरकार की थी। उस सरकार के माध्यम से सांठ-गांठ चलती थी इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया।

राज्य में अवैध खनन भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है।

(श्री भजन लाल शर्मा)

आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी। मुझे पता है, मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि सांठ-गांठ, दोस्ती आपकी है।

मैं आपको बता रहा हूं कि क्या किया है। राज्य में सर्तकता दल द्वारा 29 जनवरी तक अवैध खनन के 490, अवैध भंडारण के 1,224, अन्य 373, इस प्रकार कुल 1,283 मामले पकड़े गए हैं। कार्यवाही के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2 लाख 17 हजार टन मात्रा जब्त की है। 15 दिन में ये कौन थे? आदत क्या लग रही थी? कौनसी आदत उनको लग रही थी? उनको पता था लेकिन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है और हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके सिफारिशी को भी पूछा जाएगा, जो उसकी सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारिशी, जो सिफारिश करने वाला है, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जो सिफारिश करता है उसको भी आप पकड़ लो। बजरी माफिया को पकड़ो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) सदन की व्यवस्था बनाए रखें। आप बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची, खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रीपेड सेवा प्रारम्भ हो गई थी। प्रीपेड सेवा, मोबाइल में तो हमने देखी है लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई, इतने रुपये डला दो, इतने दिन में काम। इतना किया है तो इतने दिन काम हो जाएगा। बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था। यह खर्ची की सरकार थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। एक-एक गांव, एक-एक ढाणी में आप पहुंच जाइए आप एक-एक देखिए। कई बार एस पी के बात होती थी, वो थानेदार उनके पास ही नहीं जाता था, थानेदार एस पी के पास नहीं जाता था, एस पी को सैल्यूट नहीं करता था, वो जाकर अपने एम एल ए के पास सैल्यूट करता था। वो कहता था मैं तो इसके लगवाने से आया हूं। मैं एस पी के पास क्यों जाऊंगा? सारी पुलिस का क्या हाल किया, यह आप सभी को पता है।

(श्री भजन लाल शर्मा)

माननीय अध्यक्षजी, इस गरिमापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ माननीय सदस्य 'पर्ची की सरकार' का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि यह सरकार न पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि यह सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है। एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को, माननीय नेता, प्रतिपक्षजी से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुतों का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वो नाम, तीन हैं या चार हैं। ऐसा क्यों? इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है तो कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो।

माननीय अध्यक्षजी, बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा, मैं तो कह रहा था कि वीडियो बनाकर आज ही तुरंत राहुलजी को भेज देना चाहिए। अच्छा लगेगा, आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहां है, कौनसी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्य मंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है इसीलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमें तो अच्छा लगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप सुनिए। आप पूरा सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, दरअसल प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। (व्यवधान) हां, मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं। आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षजी, दरअसल प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है। आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए आप बार-बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ई डी का भी बता दो।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को कि यह पर्ची का डर कौनसी तारीख का है? आपको कौनसी तारीख की पर्ची का डर है? यह 25 सितम्बर, 2022 आपको ध्यान होगा? कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का, बहिष्कार के बाद से जेहन में बना हुआ है। किसी शायर ने सही कहा है,

"औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,
औरों के खयालात की लेते हैं तलाशी,
और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता।"

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय किरोड़ीजी को नींद आ गई है।

श्री अध्यक्ष: वो जगे हुए हैं। आप बैठिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय केन्द्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है, वो लज्जित होकर चले जाते हैं। यह हमारी परम्परा है?

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी है, एक भी, एक भी मुख्य मंत्री बनने से पहले या मुख्य मंत्री बनने के बाद में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का अगर एक वक्तव्य सुना हो तो वो बता दीजिए। यह होता है लोकतंत्र, यह होता है लोकतंत्र और इसे कहते हैं लोकतंत्र क्योंकि हम लोकतंत्र के अन्दर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): आपकी पर्ची खुली तो वसुन्धराजी को देखा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपको भी जवाब दूंगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): गंगापुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा, आपका भी लिखा हुआ है मेरे पास जवाब, चिंता मत कीजिए, आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? तसल्ली कीजिए, आपको भी जवाब मिलेगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रसाद मिलेगा, प्रसाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों को संरक्षण देने के लिए हमारे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्षजी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था, जरा बताइए न? यदि आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह निर्णय हमने वापस ले लिया है, यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे कई प्रकरणों में अनुसंधान में विलम्ब व अपराध के साक्ष्य नष्ट होने की आंशका बनी रहती थी, इसलिए आपने उसकी सहमति नहीं दी। हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया है और यह हमारा मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे। सी बी आई को हमने फिर से अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की पूर्व सरकार ने प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अन्दर भी संस्थाओं को कलंकित करने का काम किया है। हमारी जो पवित्र संस्था है आर पी एस सी, उसको भी तार-तार कर दिया, दागदार कर दिया। हम जब पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन तब हम देखते थे कि राजस्थान की आर पी एस सी की साख पूरे देश भर में पहले नम्बर पर थी। क्या हो गया? ऐसी क्या मजबूरी थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं पर यदि अंगुली उठे तो प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है।

जिस प्रदेश का युवा दुनियाभर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने ही घर में पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पडा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे पांच साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असन्तोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। युवाओं के साथ यह धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आर पी एस सी, जो कि प्रदेश की एक संवैधानिक संस्था है, उसे लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मैम्बर पेपर चोरी करते पकड़े गये। आपको शर्म आनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि क्या हो रहा है।

क्या आपने अपनी आत्मा में देखा नहीं उन युवाओं पर कुठाराघात? आपने यही नहीं, उन पिता-पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। चूंकि हम गांव से आते हैं, गांवों में हमने देखा है। मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मन्दिर में बैठे हैं, इन

(श्री भजन लाल शर्मा)

बातों पर हमें विचार करना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वह पुत्र पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वह पैसा लेकर आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है और बेटा भी उसे विश्वास दिलाता है कि पिता जी, अबकी बार मुझे पढ़ा दीजिये, मैं निश्चित रूप से पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिता जी से कहता है और पिता जी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटे ने मुझसे गुहार लगायी है, पढ़ने के लिए कहा है। मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसे मुझे पढ़ाना है, वह पढ़ाने के लिए पैसे लाकर देता है। कोचिंग करता है, कमरा लेता है। दिन-रात मेहनत करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वह खून के आंसू रोता है और वह कहता है कि मैंने दिन-रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का, परिश्रम का कोई फल नहीं मिला। आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को आत्मदाह तक करने को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धरकर देखिये कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है।

घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, वह बजट जब दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिन्ता सोने नहीं देती है। वह दिन-रात उस चिन्ता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते। मैं कहना चाहता हूं, कई सदस्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिता जी और उनके पूर्वजों की खा रहे हैं और वे ऐसे बोलते हैं कि हमने कमाकर दिया है क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं। कई ऐसे लोग हैं ...(व्यवधान) यहां ही नहीं, कहीं भी हों। (व्यवधान) छोड़िये, लेकिन बात ऐसी करते हैं। आप करके देखिये, मालूम पड़ जायेगा। एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उन्हें, मैं उन्हें देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर, उन पर भी आने वाला हूं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही परिवार के, देखिये क्या हो रहा है? भाई, मुझे यह तो बता दें, वे कौन-सी चक्की का आटा खाते थे? कौन-सा पानी पीते थे? हम भी डाक्टर साहब से कह देते, वह पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। आर ए एस में एक ही परिवार के तीन-तीन, चार-चार सदस्य आ रहे हैं। यही नहीं दादा, आगे और देखिये, आगे और देखिये, नम्बर भी एक ही आ रहे हैं, भाई, 80 नहीं 79 आ जाएं किसी के।

(श्री भजन लाल शर्मा)

ज्यादा दिक्कत है तो 81 कर दो, लेकिन जो उसे कहा, वही तो करेगा वह। जो कहा है, वही तो करेगा, इसीलिए वही करके इन्होंने दिखाया। यह राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, यह शर्म आती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, हमने वादा किया था, सरकार बनने के बाद तुरन्त निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एस आई टी का हमने गठन किया है। भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप यह चौथी बार खड़े हुए हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव व डी जी पी लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक की चर्चा मैं सुन रहा था। वे कह रहे थे कि केवल एक एल डी सी के पेपर पर जांच लम्बित है, जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से सम्बन्धित है। बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच एस आई टी से करवाएंगे, यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कान्स्टेबल भर्ती परीक्षा, 2021; सी एच ओ भर्ती परीक्षा, 2020; वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2022; रीट परीक्षा, 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच एस आई टी द्वारा की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पेपर लीक के मामलों की जांच एस आई टी नहीं, सी बी आई से करवाने के लिए कहा था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने कहा था।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं, उधर से भी कहा था। (व्यवधान) उधर से भी आयी है, मेरे पास है। उधर से भी आयी है, साहब। अगर जरूरत हुई तो हम सी बी आई से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे, लेकिन युवाओं और उनके साथ-साथ उनके जो पिताजी का दर्द है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। 15 दिसम्बर को हमारी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। पूरा हो जाने के बाद बात करना। (व्यवधान) अभी बैठिये। आसन पांवों पर है। बैठिये। (व्यवधान) हां, वे दे देंगे जवाब। ये भी सक्षम थे, आप भी सक्षम हैं। आप बैठिये। (व्यवधान) कोई व्यवधान नहीं। बोलिये, मुख्य मंत्री जी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमारी मुस्तैदी का परिणाम है कि 07 जनवरी, 2024 और 21 जनवरी, 2024 को दो बड़ी परीक्षाएं सुचारु रूप से सम्पन्न करवा दी गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी तो कई बार आएंगे भाषण के लिए। (व्यवधान) अगली बार आपको मौका देंगे। बहुत दे दिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इसी के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त 25 वांछित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विपक्ष ने तालियां बजाई हैं। आप बोलने दें। आपने मेज थपथपा दी, उसके लिए आपका भी धन्यवाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इस अव्यवस्था, अविश्वास और अत्याचार से निजात दिलाने के लिए जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया कि कैसे राजस्थान पिछले पांच साल में आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, प्रदेश का विकास अवरुद्ध कैसे हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी वर्ष में अनेक अविवेकपूर्ण निर्णय लिये। अत्यधिक कर्ज लेकर करोड़ रुपये व्यर्थ में खर्च किये। इस वित्तीय कुप्रबन्धन से राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमारू राज्य बन गया।

अध्यक्ष जी, यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रदेश का कर्ज जी एस डी पी अनुपात पंजाब के बाद सर्वाधिक, मतलब हमारा प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। मैं सुन रहा था, नम्बर वन। मैंने कहा, यह तो नीचे से दूसरे नम्बर पर आ रहा है। यह वित्तीय प्रबन्धन किस तरह से रहा है?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान राज्य पर लगभग, यह तो सही बताया इन्होंने, 5 लाख 80 हजार करोड़ बताया है। 5 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का ऋण होना अनुमानित है, जबकि 2018-19 के अन्त में राज्य पर कुल भार 3 लाख 11 हजार करोड़ का था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आ रहा हूं। मैं आपके पास भी धीरे-धीरे पहुंच रहा हूं चिन्ता मत करिये। मुझे पता है, आप धौलपुर के नजदीक के हैं। मैं आ रहा हूं, साहब। नहीं-नहीं धमका नहीं रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आपकी यह आदत ठीक नहीं है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपने तो मुझसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। इन्होंने ई आर सी पी पर पूछा है, उसका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपके सुझाव पर विचार करेंगे। आप जारी रखें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना किया है, थोड़ा-सा कम, दुगुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए, अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए अंधाधुंध सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला है। आप देखते थे, दिया-लिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गये।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टिकरण के आधार से लेकर अब तक, और गरीब कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने भी दे दी, गरीबी हटाओ। राजीव जी ने दे दी, गरीबी हटाओ। उनके बीच में और आ गये, उन्होंने भी कह दिया, गरीबी हटाओ। फिर, उनके आ गये, उन्होंने भी कहा, गरीबी हटाओ। फिर मनमोहन सिंह जी आ गये, गरीबी हटाओ और माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी के प्रिय चिराग आ गये, वे भी गरीबी हटाओ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में गये थे, आपने वादा किया था, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपने कहा था, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन उनको खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया।

यही नहीं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए कितने उपाय किये, लेकिन जनता जानती है और जनता आज भी देख रही है, उसने बता दिया कि किस तरह की योजनाएं। अगर आपको करनी ही थी, हमने तो 15 दिन नहीं हुए 01 जनवरी से ही प्रारम्भ

(श्री भजन लाल शर्मा)

कर दी। हमने घोषणा 26 दिसम्बर को की और प्रारम्भ कर दी, लगातार कर रहे हैं। हम किसी चुनाव का या लास्ट का इन्तजार थोड़े ही कर रहे हैं? आपने घोषणा की है, आपको करना चाहिए था, लेकिन चुनाव से दो महीने पहले, तीन महीने पहले। राजस्थान की जनता ने सोचा यह तो बिलकुल ऐसा समझ रहे हैं कि हमने इनको सदन में बैठा दिया तो बाकी राजस्थान की जनता तो कुछ समझती ही नहीं है। उसका जवाब आपको उस जनता ने दिया है।

2023-24 के अन्त में राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 70 हजार 800 रुपये का ऋण भार हो जायेगा, जबकि 2018-19 में यह 40 हजार रुपये था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्याज भुगतान में भी अधिक राशि व्यय होने से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि में कमी हो जाती है।

आप कर्जा ले रहे हैं, हमें कर्जा लेने के लिए चार बार सोचना पड़ता है। आप घर को किस तरह से चलाते हैं। अगर आपके बस की नहीं है, आपके तीन बेटे हैं, एक बेटे ने कह दिया मेरे को मोटर साइकिल चाहिए, दूसरे ने कह दिया मुझे कार चाहिए, कार भी बढ़िया वाली चाहिए। उसने कह दिया, क्या आप लाकर दे देते हैं?

मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कर्तव्य बनता है जनता के उन प्रश्नों के जवाब देने का। हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता ने जिस तिजोरी की चाबी का हमको मालिक बनाया है, जनता की बात पर खरा उतरने का। ऐसा थोड़े ही होता है कि हमने बना दिया तो हमको वोट की खातिर देखना है। मैं आज की तो नहीं, पहले की कहता हूं आपको। इनकी केन्द्र में सरकार थी, केन्द्र में मनमोहन जी की सरकार थी। आपको इसलिए ध्यान दिलाता हूं, हम क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। केन्द्र में मनमोहन जी की सरकार थी। सिलेंडर पर पैसे कम किये थे। उस आर्डर में एक बात लिखी हुई थी, सिलेंडर के पैसे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहीं किये जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी एक-एक स्कीम, हां, मैं बता रहा हूं, गुजरात में कम नहीं हुए थे। गुजरात में हमारी सरकार थी, आपके यहां आपकी सरकार थी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ऐसा आर्डर भारत सरकार का नहीं था। वह हमारे मुख्य मंत्रियों ने अपनी तरफ से कम किये थे। ये सही है कि गुजरात ने कम नहीं किये और आज भारत सरकार ने भी कम नहीं किये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यह मुख्य मंत्रियों ने कम नहीं किया, यह केन्द्र सरकार ने कम किया था। हमें पता है। हमने उसमें जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारी अटल जी की सरकार थी तो हमने यह कहा था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के अन्दर कहा था कि जो दो हजार की आबादी वाला गांव होगा, वह सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ेगा। एक हजार की आबादी वाला गांव सैकंड फेज में जुड़ेगा और पांच सौ की आबादी वाला होगा वह तीसरे फेज में जुड़ेगा। जब हमने कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने न कोई गांव देखा, न कोई ढाणी देखी, न कोई सरकार देखी, उन्होंने देशहित में यह काम पूरे देश के लिए किया है। मैं आज अगर

(समय: 18.00 बजे)

इस बात को करता हूं तो क्या ठीक बात है? आज कोई भी व्यक्ति होता है, आप जिस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आये हैं, आप उस विधान सभा क्षेत्र के विधायक हैं, आप किसी के साथ पक्षपात करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि आप पूरे विधान सभा क्षेत्र के जाने जाते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप नहीं करेंगे, हमें भी उम्मीद है, साहब, आपसे।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आगे-आगे देखते जाना क्या है। पिछली सरकार ने न धन का प्रबन्धन किया और न ही सदुपयोग। वित्तीय कुप्रबन्धन की पराकाष्ठा से केन्द्र से, मुझे ताज्जुब हो रहा है, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे। केन्द्र से जल जीवन मिशन के धन का पचास प्रतिशत उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पायी। मैंने अभी-अभी उदयपुर और बीकानेर सम्भाग की बैठक ली। मैंने पूछा, जल जीवन मिशन में कितना पैसा आया है, उदयपुर वाले बोले, 2,250 करोड़ रुपये तो मैंने पूछा कि लगा कितना है, बोले 400 करोड़ रुपये। इसकी सीमा कब समाप्त हो रही है, बोले 31 मार्च, 2024 को। कब लगाने वाले हैं, कोई पता नहीं। अगली बार फिर मैंने बीकानेर सम्भाग की बैठक ली। मेरे साथ हमारे माननीय विधायक उदयपुर भी थे और यहां भी हैं। मैंने उनसे पूछा आपके यहां कितना है, बोले हमारे यहां 2,230 करोड़ रुपये हैं। खर्चा कितना हुआ है, 300 करोड़ रुपये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से आया हुआ पैसा, उसको भी आपने उपयोग में नहीं लिया और उपयोग में लिया तो कहां लिया? जिसकी जांचें चल रही हैं, ईडी घूम रही है। देख रहे हैं, किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी क्या है। आप

(श्री भजन लाल शर्मा)

यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार, राजस्थान के अन्दर जिस तरह का भ्रष्टाचार था, किसी भी प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और पिछले समय से लेकर अब तक यह भ्रष्टाचार की कहानी इस आपके कार्यकाल की लिखी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमें विरासत में मिली चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार वित्तीय प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देकर राज्य की जी एस डी पी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर राज्य को अगले पांच वर्ष में, पांच वर्ष में, दुबारा भी कहना है मुझे क्योंकि कई हैं बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले ही कि साहब, हुआ नहीं आपने तो कहा था। मैं कह रहा हूं वह सुन लीजिये। 350 बिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जो वर्तमान में 170 बिलियन डालर की है। हम एक विश्वास आपको दिलाते हैं कि हर समस्या को सुलझाने के लिए, हर समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारा एक-एक सदस्य पूरी तरह से तैयार है। आप लिख लीजिये, हम जो आपसे वादा कर रहे हैं। इसी सदन में आज मैं कह रहा हूं आपसे जितने वादे आपके बीच में होंगे, सदन में बैठ कर आपसे कहेंगे उनको समय पर पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की व्यवस्था, मेरे पास कह रहे हैं, मैंने कहा अभी एक महीना हुआ है कोशिश कर रहे हैं। अभी आर.के. सिंह जी से एक हजार मेगावाट बिजली के लिए कहा है। उन्होंने 350 की हमसे हां की है और उन्होंने कहा कि मैं दस-दस दिन के उसमें दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गत कांग्रेस सरकार ने राज्य की बिजली कम्पनियों को भी दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबन्धन के कारण समय पर ऋण चुकता न करने के कारण यह बाद का है, यह कौन सा है वह पहले बड़ा बताता हूं आपको मैं बड़ा, यह छोटा है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा उदय योजना के अन्तर्गत 62 हजार 422 करोड़ रुपये आये थे। आपका बिजली का लगभग बराबर हो गया था जब हम आपको देकर के गये थे। लगभग शून्य कर दिया था, लेकिन कांग्रेस राज के कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार के कारण यह ऋण पुन: 88 हजार 700 करोड़ हो गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो पिछला मैंने उधर छोड़ा था वह विषय और इंटरेस्टिंग होगा। देखिये आप पैसा लेकर के आते हैं किसी से, कई लोग होते हैं कि 31 तारीख से पहले दे देंगे तो आपका ब्याज इतना होगा, 31 के

(श्री भजन लाल शर्मा)

बाद देंगे तो ब्याज यह होगा और बैंकों का काम है, साहूकार का भी काम है तो वह करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन लेकर के उस किश्त को चुकाना है। यह लोन आप दस दिन बाद लेंगे तो दस दिन पहले ही ले लो। पांच दिन बाद लेंगे तो पांच दिन पहले ही ले लो। यह इसका है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबन्धन के कारण समय पर ऋण चुकता न करने के कारण 300 करोड़ रुपये की तो पेनल्टी है। पेनल्टी है यह बिजली विभाग की 300 करोड़ रुपये की। हम घर में भी देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? घर में भी देखते हैं कि पैसा हमें कब चुकाना है। अगर ज्यादा लगता है तो चिन्ता होती है, पड़ोसी से मांग करके लाते हैं और उसको देते हैं। किसी से लाते हैं, किसी को देते हैं। आपको तो बैंक से लोन लेना था तो उस लोन को लेने की चिन्ता पहले क्यों नहीं की आपने? तीन सौ करोड़ रुपये का जो भार है यह सिर्फ पेनल्टी है। यह लापरवाही देखिये। आप कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, कहां ले जाओगे? इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है।

अध्यक्ष महोदय, विगत पांच वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश में बिजली का संकट रहा है। पिछली भाजपा सरकार, जैसा मैंने बताया आपको, पिछली सरकार ने आमजन के बीच में गफलत की स्थिति पैदा कर दी। कभी सौ यूनिट मुफ्त देंगे, कभी दो सौ यूनिट मुफ्त देंगे और एक और गफलत सबसे बड़ी हो रही है वह गफलत यह हो रही है कि जिनके सौ यूनिट वाले हैं उनके घर में बिजली नहीं जा रही है। उत्पादन वाला कह रहा है कि मैंने तो इतनी उत्पादन कर दी। अब उनमें होड़ वहां लग गयी। होड़ इसलिये लग गयी कि वहां से बिजली के उत्पादन का कितना भार हो रहा है। आपने कंज्यूमर को कितनी बिजली दी, अब जिसको सौ यूनिट देनी थी वह तो फ्री है, उसका घर तो बन्द है ताला लग रहा है, लेकिन उसका भी बिल देख लेना। आप मंगा लेना, आप वहां रहते हो, सौ की सौ यूनिट का बिल जा रहा है। 90 का, 95 का पूरा बिल जा रहा है। वह किसान को दो हजार का जा रहा है। किसान का कभी तो कम होता होगा या ज्यादा निकलता होगा, लेकिन उस पर भी लगाते हुए उस बिल में भी, ऐसा क्यों? उत्पादन वाला बढ़ा रहा है जिससे उसका पैसा उसको मिल जाये, उसमें से आधा मेरा भी कहीं न कहीं काम चल जाये। यह स्थिति बिजली के अन्दर पैदा हो रही है।

(श्री भजन लाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सारी चीजें बताना चाहता हूं। ग्रामीण, शहरी, आमजन, गांव में हमारे किसान भाई विद्युत कटौती का दंश झेलने को मजबूर हैं। गत सरकार के समय राजकीय उत्पादन के पावर प्लांट में कोयले की कमी थी। इतनी बड़ी बात आयी है। हमसे तो आप नाराज हो रहे हैं, हमारा पड़ोसी अगर हमारा है तो हम तो उसका फायदा लेंगे चाहे वह कोई भी हो, आपका पड़ोसी भी तो था। छत्तीसगढ़ में आपका ही भाई था, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां देखिये आप, छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, अब हमने तीन दिन में कोयला चालू करा दिया न? हमारा विष्णु भाई आया तो हमने कह दिया, विष्णु भाई कोयला दो तो तुरन्त तीन बार फोन आया, रात को साढ़े ग्यारह बजे फोन आया, भाई जी, मैंने आपका काम कर दिया और काम चालू है। यह होता है। आप उसका भी लाभ नहीं ले सके। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको लाना था, लेकिन हुआ क्या? उसमें सौदा हुआ। सौदा यह हुआ कि साइट कोयले की कोई थी और साइट कोई दूसरी बता दी। साइट को दूसरी बता करके उसका ट्रांसपोर्ट का काम उसको दे दिया। उस कोयले में मिट्टी आ रही है, कोयले में पत्थर आ रहा है। अब वह पत्थर और मिट्टी आयेगी तो वह बिजली उत्पादन करेगा क्या?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्लांट हैं वे 56, 54, 53 परसेंट बिजली उत्पादन कर रहे हैं और जो प्राइवेट हैं वो कितना कर रहे हैं। 75, 74, 76, यह अन्तर बीस का क्यों है? यह आपको देखना चाहिये यह अन्तर क्यों है। हमने तो अभी भी देखा है। हमने कहा है उनसे कि अगर इससे कम होगी तो हम नहीं मानेंगे। प्राइवेट जितना करे उससे थोड़ा बहुत एक-दो परसेंट कम हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है छीजत होती है, लेकिन यह पूरा होना चाहिये। यह ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई देखने वाला नहीं था, क्या कोई समझने वाला नहीं था? प्लांट वही है, लेकिन उस प्लांट में 50, 53, 55 परसेंट पैदा हो रही है, प्राइवेट वाले में 75 परसेंट, 74 परसेंट पैदा हो रही है। यह कौनसा अंतर है? यह कौनसा घोटाला है? यह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई, इसमें भी घोटाला है। हमने छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार से बात कर केन्द्र सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुचारु की है। आप कहोगे कि जो छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है, उससे सस्ती रेट में आ रहा है। अगर हमें कोयला नहीं मिलता है तो कोल इंडिया से लेना पड़ता है 40

(श्री भजन लाल शर्मा)

परसेंट महंगा। 40 परसेंट महंगा आता है, बिजली वालों से पूछ लो। वह कोयला कोल इंडिया से 40 परसेंट महंगा कोयला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आपको को-आपरेट नहीं कर रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप तो सुनते चलो साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो आपको कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? (व्यवधान) हमारी सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करते हुए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनायेगी। आम नागरिक, उद्योगों व किसान भाइयों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

फिर वही विषय आ रहा है, पेटेंट तो हमारे मन में नहीं, रोम-रोम में है। राम हमारे रोम-रोम में है, हमारे आराध्य हैं। आपको खुशी नहीं होती, आप नहीं जायेंगे। श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर केन्द्र सरकार ने महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की घोषणा की है। प्रदेश में हम भी हर घर पर सोलर सिस्टम लगाकर सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये काम करेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य के शिक्षित युवाओं को सूर्य मित्र, वायु मित्र के रूप में विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में परिचालन व तकनीकी सुधारों को लागू कर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ और कुशल बनायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिजली के बारे में कहते थे, लेकिन आपने बिजली की स्थिति देखी है। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ई आर सी पी के बारे में कह रहे थे, मैं कल सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा चक्कर में मत आया करो, आप हमारे सीधे-साधे आदमी हो। उनको जिन्होंने पर्ची दे दी, वह उन्होंने पढ़ दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ई आर सी पी का जो एम ओ यू हुआ है, वह किसके पास है? आपके पास कापी है क्या? अगर आपके पास कॉपी हो तो मुझे भिजवा दो। (व्यवधान) आप बता रहे हो न कि पहले हुआ है, उसमें कमी हो गई, उसमें ज्यादा हो गया, कापी हमें दे दीजिए।

(समय: 18.13 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भजन लाल शर्मा)

यह योजना हमारे भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारम्भ की थी। आपको ध्यान होगा, क्योंकि हम जिस विचार को लेकर चलते हैं, उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को लेकर चलने वाले हैं। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जन-प्रतिनिधि उसमें विश्वास करता है। माननीय, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी हर गांव को सड़क से जोड़ना। दूसरी उनकी योजना थी कि नदी से नदी जोड़कर इस देश के किसान को और इस देश को कैसे खुशहाल बनायें। दुर्भाग्य है कि उस समय हमारी सरकार चली गई और वह योजना ठप हो गई, लेकिन उस योजना के समय हमारी इस योजना की चर्चा चली थी। नदी को नदी से जोड़ने का हमारा काम प्रारम्भ हुआ और ई आर सी पी की चर्चा हमने उस समय की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार और 2008 में भी कांग्रेस की सरकार रही।

(समय: 18.16 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

2013 में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी की सरकार आई। उसमें हमने ई आर सी पी का निर्णय लिया कि 13 जिलों को इसमें जोड़ा जायेगा और दोनों राज्यों से समझौता हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन 2018 में हमारी सरकार चली गई। 2018 में हमारी सरकार जाने के बाद मैंने इस सदन के भाषण में भी सुना, और भाषणों में भी सुना, सिर्फ पूर्वी राजस्थान की जनता को एक धोखा देने वाली बात थी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई काम किया हो तो वह बताइए। आपने कोई एम ओ यू किया हो तो वह भी बताइए। आपने उसमें आगे बढ़कर कोई काम किया हो तो वह भी मुझे बताइए। गत सरकार ने ई आर सी पी पर पूरे पांच साल राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हमने डेढ़ महीने में एम ओ यू कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर इसकी बुनियादी नींव डाल दी। इसलिए कहते हैं कि-'हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं।' अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार में ई आर सी पी के सपने को हकीकत में तब्दील करेंगे। कांग्रेस सरकार ने ई आर सी पी को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया और इसके साथ ही जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया है। मेरे

(श्री भजन लाल शर्मा)

पास पूरे दस्तावेज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहेंगे कि वहां आपकी सरकार थी, हमारी नहीं थी। पहले तो आप की ही सरकार थी, आप ही के मुख्य मंत्री ने लिख कर दिया कि हम नहीं देंगे। हमारे मुख्य मंत्री तो यहां आकर गये हैं, साथ लेकर गये हैं, समझौता किया है। अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो, पार्टी हो तो ऐसी हो। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री यहां आये, साथ लेकर गये कि चलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह एक ऐसी योजना है, जनता उसको याद करेगी, जनता को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। आये और एम ओ यू करके दिल्ली गये। आप कह रहे हैं ऐसा हो गया, इससे तो यह हो गया। आप कुछ नहीं करें तो हम इसमें क्या करें? यह तो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा कोई होता है तो उसको ठीक ढंग से, मन से, तन से, हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो वह उसकी इच्छाशक्ति होती है और जब इच्छाशक्ति होती है तभी काम होता है। आप लपेटे में आ गये।

मित्रों, मुझे कभी-कभी बड़ा तरस आता है क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, लंबे समय पार्टी के लोगों के बीच में काम किया है और मुझे पूरे देश में जाने का अवसर मिला है। कोई एक-दो प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अन्दर मैं चुनावों में या वैसे गया हूं लेकिन कभी-कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज मैंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी को सुना, उन्होंने भी कहा। अगर कोई व्यक्ति है, आपको देख रहा है, आंख बन्द करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाएं, यह आप कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी। दूसरा कोई सानी ही नहीं था कोई राजनीतिक दल, लेकिन आपके नेगेटिव विचारों ने, आपकी विचारधारा ने, आपके उस काम ने, आपके उस असत्य ने, आपने जनता के बीच किये वादे भूलकर, आपको देश से तो हटा ही दिया, मात्र दो-तीन प्रदेश में रह गये और आने वाले समय में क्या होगा, यह भी नहीं पता। केन्द्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, वह किसी प्रदेश में जाकर इस बात को कहे कि मेरे से समझौता कर लो, आप मेरे को पांच ही दे दो, आप मेरे को सात ही दे दो, आप चाहो जितनी रखो। यह क्या स्थिति हो गयी हमारी? क्या हमने कभी इस बात को लेकर विचार किया? निश्चित रूप से इस बात को लेकर विचार करना चाहिए।

मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना

(श्री भजन लाल शर्मा)

चाहता हूं कि देश की आजादी जिन लोगों ने लड़ी थी, जिनके सपने थे, राष्ट्रवादी लोग, आजादी के बाद उन्होंने देश की राह को ठीक नहीं समझा। उन्होंने मन में सोचा, क्योंकि आजादी से पहले कुछ तो दुनिया से चले गये और कुछ उम्र के पड़ाव पर आ गये, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, देश की स्थिति ठीक नहीं लगी। वह अन्तरिम सरकार थी, कोई चुनाव की सरकार नहीं थी। हमारे भी माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब उनको लगा कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उसमें से भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें से पांच-सात-आठ राष्ट्रवादी लोग निकलकर आये और उन्होंने कहा कि कोई न कोई राजनीतिक दल जरूरी है। 21 अक्टूबर, 1951 को जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रवादी दल बना। यही नहीं, आठ-दस लोगों का था। अगर उनकी नीति ठीक थी, नीयत ठीक थी तो आज वह आठ-दस लोगों का दल, देश की सबसे पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं।

हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के वादों को भूल जाते हैं। आपके नेता कहते थे, एक बार तो चार एक्स ईएन से सर्वे करा दो, गांव में कह दो एक्स ईएन सर्वे करा दो, बिजली की करा दो, सड़क की करा दो, अगली बार पांच साल बाद सफेदी डलवा दो, पांच साल बाद उसको खुदवा दो, फिर बनवा दो। ऐसे कब तक वोट लेंगे? कब तक करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार देखिये। आपको विचार करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि प्रतिपक्ष भी मजबूत हो। देश के अन्दर अच्छा हो, बढ़िया हो, नीतियों में सहयोग करे, काम में सहयोग करे, क्योंकि विरोधी हमारी ताकत होता है। अगर विरोधी नहीं होगा तो हमारी कल्पना में भी अन्तर आ सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) कोई नहीं, कल से चालू कर देंगे।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आप सुन लीजिये। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इसीलिए यह हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, ई आर सी पी पर आप राजनीति कर रहे हैं। आपको पानी मिलेगा। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको पानी मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा...(व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप सुन लीजिये, आपको भी मिलवायेंगे। चिन्ता मत करिये, आपने हमसे कहा है, आपको भी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वादा पक्का?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): वादा पक्का। आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूं, सदन के बीच में खड़े होकर कह रहा हूं कि आपको भी मिलेगा। आप लिख लीजिये। जल्दी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको मिलेगा, आप बैठिये। माननीय सदस्य।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप क्या समझौता करके आये हैं, यह बता दीजिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप बैठिए। आपको पूरा बताऊंगा। कोई कसर नहीं छोडूंगा, आपको पूरा बताऊंगा। पूरा बताऊंगा और लाभ बताऊंगा। चिन्ता मत करिये।

श्री अध्यक्ष: विराजें, पूरा सुनिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही मेरे वाक्य में कहा कि मैं किसान पुत्र हूं और किसान पुत्र भी छोटा। अन्तर इतना है कि मैं खेत कहता हूं और खेती है, आपके फार्म हाउस हैं। अन्तर है। आप बात तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं जाना सकते। हकीकत वह जानता है, जिसके पैर में बिवाई फटती है। जो उन गरीबों के पास रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीब का सहयोग किया है, जिसने उस किसान को देखा है। मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। अभी जाता था तो खेती में काम करता हूं। मेरे पिताजी 80 साल के हैं, लेकिन वे काम करते हैं, किसान आदमी हैं। हम जाते हैं, मैंने किया है। ट्रैक्टर तो बाद में चला है, पहले मैंने हल चलाया है बैल का। मेरे जीवन में चलाया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बैल नागौर का।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नागौर का ही है। आप सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। मैं नागौर में लेने भी गया हूं। मालगाड़ी में बैठकर आया हूं। नागौर में परबतसर के मेले में बैल लेने गया हूं और मालगाड़ी में बैठकर आया हूं। गाड़ी में नहीं, मालगाड़ी में बैठकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मुख्य मंत्री जी। आगे वर्णन करिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गंगापुर से आने वाले हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे, मैं कच्चा समझौता नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द का मुझे पता है। मैं 40 फीट गहरे गड्ढ़े में नीचे उतरा हूं, मैंने हवा काटी है। मैं वहां से निकलकर आया हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): कल की बात छोड़ दीजिये। मैं वहां से निकलकर आया हूं। उसमें से मैं निकला हूं। दिन में दस बार गया हूं दस बार बाहर आया हूं। मैंने देखा है। डोटासरा जी, आप मजाक कर रहे हैं। आपके तो नौकर लगे रहते होंगे। हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं। आप चिन्ता मत करिये। आपके यहां नौकर रहते होंगे, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो खुद ही करने वाला हूं। यही स्थिति है। आपने गरीबों का इसी तरह से मजाक किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ...(व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपने किसानों की, मजदूरों की हंसी उड़ाने का काम किया है, इसलिए आज आपकी यह स्थिति है। आप सिमट कर रह गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप किसानों के प्रति वफादार नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपने सर्वदलीय बैठक में निर्णय होने का.. क्योंकि जनवरी, 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सी एम श्री कमलनाथ जी ने सी.डब्ल्यू.सी. को पत्र लिखकर ई आर सी पी का विरोध किया। वह पत्र आपके पास नहीं है तो मैं दे दूं। उन्होंने जो विरोध किया था, वह पत्र आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा। उन्होंने विरोध किया है। सर्वदलीय बैठकों में निर्णय होने के बाद भी तत्कालीन सी एम ने सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अधिकारियों और सी एस को भी जाने से रोका। गये नहीं। बैठक में चले जाते, क्या दिक्कत आती? वह तो सभी की होती है। देश के लिए काम था। राज्य की भलाई के लिए काम था। सी.डब्ल्यू.सी. लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, कुछ नहीं किया। आप सुनिए। आपको

(श्री भजन लाल शर्मा)

पानी नहीं पिलाना चाहते थे, गंगापुर से आने वाले विधायक जी को। आपको मैं ही पानी पिलाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यह सरकार पानी पिलाएगी। पानी, नल से जल। आप पानी की बात मत कीजिए, नल से जल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजनीति में पानी पिलाने का मतलब दूसरा होता है। किसकी बात कर रहे हैं?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं नल से जल की बात कर रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं नल से जल की बात कर रहा हूं। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक चाहे बजट भाषण हो, चाहे माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो, ई.आर.सी.पी. का जिक्र इसमें जरूर किया गया है। जिक्र की कभी फिक्र नहीं की गयी। जिक्र रहा, फिक्र नहीं हुई। ई.आर.सी.पी. को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा इसके समाधान की मंशा कभी नहीं रही। आपकी मंशा कभी नहीं रही। सिर्फ आप इसको इश्यू बनाना चाहते थे। आपको मैं आगे और भी बताने वाला हूं। आपके मन की आशंका और शंका, इसके बाद भी रहे तो फिर आ जाना, फिर बता दूंगा आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको रात भर ही बोलना है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप बैठिए। मुझको समय दिया है। मैं करूंगा, आपको जाने की जल्दी है क्या?

मैं वही कह रहा हूं आपसे। डबल इंजन नहीं, आप कह रहे थे डबल इंजन, मैंने इसलिए कहा है। मैं डबल इंजन की तो कह रहा था। अब ये डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन हो गया। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है कि सरकार अब ई.आर.सी.पी. के सपने को हकीकत में बदलेगी। दो सरकार साथ-साथ में काम करेगी। एक केन्द्र की सरकार हमारा पूरी तरह सहयोग देगी। आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कोई कह रहे थे, टेम्पो है। माननीय विधायक, बहुत सीनियर हैं। गये, उनको पता था क्या होना है, इसलिए गये। वे कह रहे थे टेम्पो, मैं सुन रहा था। मैं उन पर भी आ रहा हूं, उनका भी होगा आगे।

समझौते में राजस्थान राज्य हेतु, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में जो बैराज है, एक बात बताइए, आप मेरे से कह रहे थे, कई लोगों के प्रश्न थे, डाक्टर साहब से कह रहे थे, पानी आना है उधर से और इधर जाना है। बड़ा बांध इधर है, बड़ा बांध उधर है। नीचे की तीन बांधों में होकर जाना है तो क्या उसके लिए पाइप लाइन डालकर ले जाएंगे आप? कैसे ले जाएंगे आप? जाएगा

(श्री भजन लाल शर्मा)

तो उन तीनों बांधों में होकर। जब आपको यह पता है कि इस बांध से उस बांध से जाने में तीन बांध बीच में आते हैं तो उनका जिक्र करना आवश्यक है क्या? आप बता दीजिए मेरे को। यहां से खेत में पानी जाता है, उस मेड तक जाता है तो वह खेत में होकर ही जाता है। इधर-उधर तो नहीं जाता कि दूसरी जगह से ले आएं। जाता है क्या डोटासरा जी? आप ही बताइए। आपके लोग यह कह रहे हैं कि इस बांध का नहीं, उस बांध का। रास्ते में जो बांध पड़ रहे हैं, वे तो भरने वाले हैं। उनका नाम इसमें डालकर क्या फायदा है? आप बताइए डालना है क्या? अगर संख्या बढ़ानी है तो हम तो डाल देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है? हमारे तो है उसमें। (व्यवधान) मैं आपको पूरा बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में बता दीजिए इनको।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप सुनिए। ई.आर.सी.पी. द्वारा राजस्थान के 13 जिले हैं। आपका भी अगर बता दूं, आपने कितने जिलों की बनायी थी? सुन लिया, तीन जिलों की बनायी थी। उसमें पैसा कितना? 500 करोड़। उसको भी दिखा रहे थे। क्या कर रहे थे? जल जीवन मिशन के पैसे लगा दिये। कुछ इधर गये, कुछ उधर गये ...(व्यवधान) यही तो कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं 13 जिले हैं, 13 जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी, इतना तो मैं जानता हूं। मेरे से कहा कि ऐसा होना है, मैंने कहा, नहीं होना है, हमारी शर्तों के हिसाब से होना है। यह हमारी शर्तों के हिसाब से हुआ। हमने कहा 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर सिंचाई के लिए पानी हम लेंगे, 2 लाख 80 हजार। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं...

श्री रामकेश (गंगापुर): सर, पानी कितना मिला? कितना एम सी एम होगा?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको कितना चाहिए? आप यह बता दीजिए। आप मुझको लिखकर दे दीजिए। आपको जब पता ही नहीं है कुछ, आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। आपके कोई जानकार हो उनको पूछ लीजिए, आप हमको बता दीजिए। उससे ज्यादा ले लेना हमसे आप। बताइए आपको कितना चाहिए? कमाल की बात कर रहे हैं। पानी की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान).कोई हमसे धोखा कर सकता है? किसान है हम। 3,510 से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, आज आपसे कह रहे हैं। यही नहीं, आगे और नहीं जोड़ना है क्या हमें? आप तो यहां गंगापुर रह जाते हैं। हम तो भरतपुर रहते हैं। हमारे तो घना को भी पानी चाहिए उसमें से, हमें तो सिंचाई के लिए

(श्री भजन लाल शर्मा)

भी पानी चाहिए, हमें तो रामगढ़ बांध भी भरना है। रामगढ़ बांध से कितना जाता है, वह भी देख लीजिए। हमारा जो समझौता है, जो पूर्ण रूप से है, वही समझौता है। आप लोगों में गलतफहमी मत फैलाइए। जितना है, उतना ही आएगा, उतना ही लेंगे। (व्यवधान) बता दिया। 3,510 है, उससे ज्यादा मिलेगा। आप क्या बात करते हैं? यह समझौता आपने नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए, ये ऐसे बात कर रहे हैं कि यह समझौता हमने किया था, आपने ऐसा कर दिया। आपने क्या कर दिया? ये हमारा ही था, हम पर जितना है, उतना ही करेंगे। आप कौन होते हो? आप क्यों पूछ रहे हो? किसलिए पूछ रहे हो? क्या किया है आपने? हमारा था, जितना है जितना लेंगे। जितना है, जितना छोड़ेंगे। आप क्यों? क्या बात करना चाहते हैं? मैं आपको जवाब देता। एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपको जवाब देता। आप मुझसे इस बात को कहते कि हमारी योजना थी। हमने इतने की योजना बनायी, आपने उसमें से इतना पानी छोड़ दिया, आपने इतना क्यों नहीं लिया? हमारी थी, वह हमने बता दी। आप कह रहे हैं ठीक है साहब, ये ही ठीक है। क्यों आपने कोई योजना बनायी क्या? आपने कुछ बनाया क्या? मैं तो अब कह रहा हूं आपसे, आप मेरे को अब बता दीजिए, कितना चाहिए? वह दे देंगे आपको। क्यों चिंता करते हैं? आपको बता दिया, कितनी बार पूछेंगे आप? सारी चीजें बता दूंगा, आप आ जाना। कितना चाहिए, उतना बता देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं विजन एवं संकल्प पत्र...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज समाप्त हो जाएगा क्या

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): बीच में अगर आप बोलेंगे, अगर एक मिनट का गेप आएगा, तो वह आगे सात मिनट का नुकसान करेगा ही, यह तो आप मान लीजिए। मैं एक बात और बता दूं कि मैं तो पहली बार आया हूं और आपके बीच में बात रख रहा हूं। कम समय ही ले रहा हूं ज्यादा नहीं ले रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इतना अच्छा बोल रहे हैं,... (व्यवधान) ये परेशान हो रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सेवा में आते ही प्रदेश की जनता से किये अपने वादों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हम वह नहीं हैं घोषणा वाले कि सिर्फ घोषणा करके घोषणा करनी है, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो वादे किये हैं, उन वादों को हमने प्रारम्भ कर दिया है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये भी 75 साल के हैं, ये भी अब तो उकता गये। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): सरकार की नीति के दस्तावेज....

श्री अध्यक्ष: सुनिए ...(व्यवधान) अभ्यास है मेरा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को हम प्राथमिकता से लागू करने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में सब गरीब परिवार की महिलाओं को हमने वादा किया था 450 रुपये में एल पी जी सिलेण्डर देने का। अध्यक्ष जी, हम भी इंतजार कर सकते थे। हम भी कह सकते थे कि एक महीने बाद देंगे। हमारी सरकार बनने के आठ दिन बाद ही हमने फैसला ले लिया और हमने कह दिया कि एक जनवरी से हम 73 लाख परिवारों को गैस सिलेण्डर देने का काम करेंगे। एक जनवरी से प्रारम्भ हो गया है। (व्यवधान) 450, तेल डालो थोड़ा। 450...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने एक बार 150 ...(व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं-नहीं 450 कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मेरे सदस्यों ने उसका जिक्र भी किया है कि हमारी सरकार ने नाम बदलने का काम किया है। हमारी 2013 से जो सरकार थी, उसमें हमारी इस रसोई का नाम क्या था? (व्यवधान)

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: अन्नपूर्णा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): क्या नाम था?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: अन्नपूर्णा रसोई।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): लेकिन नाम बदलने का काम किसने किया?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: इन्होंने।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): और आरोप किस पर लगा रहे हैं?

सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य: हम पर। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, पहले भी कहा है। आपको पता होगा, ... (व्यवधान) हां तो बहन जी, आपको भी कह रहा हूं, आप भी जानती होगी। पहली बार आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, आषाढ़ या कहीं जेठ। कहीं आगे कहीं पीछे हो जाती है। (व्यवधान) आषाढ़ ही माना जाता है ना? बारिश होती है, किसान जब घर से पूजा करके उस बीज को लेकर जाता है, जब खेत के अन्दर पहुंचता है तो वह धरती मां को प्रणाम करता है। तीन बार प्रणाम करता है। वह कहता है कि हे धरती मां, मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें मेरे बाल-बच्चे, मेरा परिवार, आया हुआ मेरा अतिथि, आया हुआ साधु-संत, महंत, नट, भाट, काम करने वाले, पशु-पक्षी, हे ईश्वर, हे मां, हे अन्नपूर्णा मां, आप सबको देना। पहला बाट होता है उसका। पहला बाट होता है उसका, आप भूल गए। आप भूल गए, क्योंकि हम जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे की बातें हमें ध्यान नहीं रहतीं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी अमेरिका गए, अमेरिका में वह एक संग्रहालय में पहुंचे, उन्होंने देखा यह मूर्ति किसकी है, तो कहा कि इस पर लिखा हुआ है। अन्नपूर्णा। बोले, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां संग्रहालय में कैसे हो सकती है, इसका तो यहां से कहीं दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। मोदी जी ने पता लगाया, पता लगने के बाद मालूम हुआ कि 106 वर्ष पहले वह चोरी हो गई थी। अन्नपूर्णा मां की मूर्ति बनारस, वाराणसी बाबा के मन्दिर से चोरी गई थी, यह जानकारी मिली। माननीय प्रधान मंत्री जी उस अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर आए और भोलेनाथ के बगल में उसका पदार्पण करने का काम किया। हम वह लोग हैं, हमारी पहचान, हमारी हज़ारों साल की संस्कृति जिससे जुड़ी हुई है। कभी किसी की बात आती है, तब वोट के कारण हम अपनी संस्कृति को भी भूल जाते हैं।

आप कहते हैं राम कहां हैं, राम तो रोम-रोम में है। राम सबके हृदय में हैं। आज भी, आपका सावा कुछ भी हो, लेकिन अगर पंडित जी से पूछोगे

(श्री भजन लाल शर्मा)

तो आपके उस पीपे, घी और सामान को दो महीने अन्दर करा देते हैं। वह कहते हैं आपके बच्चे या बच्ची की शादी नहीं बन रही है, आप शादी नहीं करते हैं और आप दो महीने इंतजार करते हैं, अच्छा सावा आता है तो करते हैं। (व्यवधान) कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनकी स्थिति दूसरी है।

मित्रों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि इस अन्नपूर्णा रसोई का नाम हमारा था, हमने कौनसा गुनाह कर दिया? हमने श्री अन्नपूर्णा का नाम दिया। श्री अन्न, हमने कहा है श्री अन्न, मोटा अनाज, मिलेट्स, आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, विदेशों में चर्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अन्न की सबसे ज्यादा पैदावार राजस्थान में होती है। आपने ऐसे कर दिया, नाम बदल दिया। नाम नहीं बदला। आप 400 ग्राम देते थे, पेट भी नहीं भरता था, दूसरी थाली लेता था वह खपती नहीं थी, उसके पैसे बेकार जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास पूरी सूची है। ग्रामीण क्षेत्र में 01 हजार 900 इंदिरा रसोई, शहरी क्षेत्र में 01 हजार इंदिरा रसोई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या उनकी संख्या में घटा बढ़ी नहीं हो सकती है क्या? गांवों में आपने जो दिखा रखा है, जांच करा लीजिए। गांव का आदमी तो वह व्यक्ति होता है कि आने वाले 10 हों, 15 हों, 20 हों या 80 हों, उनको सबको खाना खिलाकर भेजता है। (व्यवधान) उसमें भी एक बात आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या बात आती है। संख्या उतनी ही है। 100 की संख्या निर्धारित है क्या? कभी 90, 95 या 101, 102 या 105 नहीं हो सकते क्या? इंदिरा रसोई का काम ऐसे लोगों को दे रखा है जो उसमें भी ...(व्यवधान) हमने कहा है, मैं आपको बता दूं, आप देख लेना। फोटो, अगर आपके पास नहीं तो मैं बता दूंगा। फोटो से फोटो, उसमें यह तय है कि आदमी खाना खाता है तो खाते हुए आदमी का फोटो लेकर भेज दो। फोटो से फोटो खींचकर। उसने फोटो बता दिया, अपने पास रख रखी है। किसी का फोटो खींचा, भेज दिया। क्या स्थिति हो रही है? क्या देना चाहते हैं? 'आस पराई जो करे, जीवित ही मर जाए।' अगर आपकी इसी आस पर, राजस्थान की जनता की इस आस पर जी रहा है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कोई भी हो, यह घालमेल तो नहीं चलने वाला है, आप याद कर लीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रदेश में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में 06 जनवरी, 2024 से भोजन सामग्री का वज़न 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया है। प्रति थाली

(श्री भजन लाल शर्मा)

राजकीय अनुदान 70 रुपये था, हमने 22 रुपये बढ़ाया है, उस पर भार नहीं डाला। इंदिरा रसोई में हो रहे भ्रष्टाचार और चोरी को भी रोकना हमारा काम है, उसको भी हम रोकेंगे।

आपने यह देखा होगा कि देश के अन्दर एक बार जो स्थिति पैदा हुई थी, हम भी छोटे-छोटे थे, हमने भी उसको देखा है। ज्यादा छोटे थे, लेकिन इतने छोटे थे कि हमको वह ध्यान है। 25 जून, 1975, हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द किया, देश में इमरजेंसी लगा दी गयी थी। इमरजेंसी में जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, राजनीति वाले लोग थे, पत्रकार थे, उन सबको बंद कर दिया गया था। उनके परिवार नष्ट हो गये क्योंकि वे एक दिन नहीं रहे जेलों में, कोई पन्द्रह महीने, कोई सत्रह महीने, कोई 19 महीने, कोई 21 महीने, इस तरह से वे रहे। भाई, ज्यादा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो जेल से इतने डरते हैं, हम भी डरते हैं, सभी डरते हैं तो उनको क्या जेल से डर नहीं लगा? उनके परिवार ने क्या यह परिस्थिति नहीं झेली? अगर आप कोई दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए घर से निकलकर चले जाते हो तो परिवार उथल-पुथल हो जाता है, परिवार की व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। उन लोगों ने दो-दो साल तक जेल में बिताये हैं, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोकतंत्र सेनानियों को, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को हमने 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और चार हजार रुपये भत्ता ...(व्यवधान) देने का काम किया है।

माननीय यशस्वी प्रधान मंत्रीजी की भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत राजस्थान में भी काम हुए हैं। आपको यह ध्यान होगा कि 16 दिसम्बर से लेकर 26 जनवरी तक पूरे राजस्थान के अन्दर कैम्प हुए हैं। माननीय यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का सपना, कोई भी गरीब व्यक्ति जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, उसकी समीक्षा भी हो और उस योजना का लाभ नहीं मिला उस व्यक्ति को लाभ भी मिले, यह काम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्दर हुआ है। इसमें 11,900 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर यह आयोजन हुआ है। 106 कैम्पों में 02 करोड़ 66 लाख व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच की गयी है जो कि देश में प्रथम राज्य है।

पी.एम. सुरक्षा बीमा योजना में 08 लाख 25 हजार को मिला है और पी.एम. जीवन ज्योति बीमा में लाभ मिला है 04 लाख 76 हजार। हमें बीमा

(श्री भजन लाल शर्मा)

में इसका लाभ मिला है। पी.एम. सुरक्षा में 08 लाख 25 हजार का मिला है। इन योजनाओं में प्रदेश पहले पायदान पर है। यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी के मार्गदर्शन में हमारा विजन होना चाहिए कि राजस्थान 2047 तक एक समृद्ध, विकसित, समावेशी राज्य बने। विकसित भारत 2047 के साथ कदम-ताल मिलाते हुए देश का यह अग्रणी राज्य बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो छोड़ दो, साहब।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप तो सुनते जाओ न अभी तो, अच्छा तो आयेगा अभी। अच्छा तो आयेगा अभी। अच्छा तो आने वाला है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको पांच साल सुना है जी, आपको पांच साल सुना है जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरी चिंता मत करो। बैठिये। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको पांच साल सुना है जी। हमने सौ दिन की हमारी कार्ययोजना बनाई, अब ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, बस हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब जल्दी ही समाप्त हो रहा है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और विकास के प्रत्येक आयाम पर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड-अप ही कर रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमने सेवा में आते ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाई है। कृषि के क्षेत्र में गांवों की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 100 दिन में ग्राम पंचायत स्तर पर 3,500 पी.एम. किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। किसानों को पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए आगामी तीन माह में पी.एम. कुसुम योजनान्तर्गत पांच हजार सोलर पम्प स्थापित किये जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक लाख, ...(व्यवधान) आप सुनिये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक लाख वंचित किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। गत एक माह में पचास हजार नये

(श्री भजन लाल शर्मा)

किसानों को जोड़ा जा चुका है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिये, राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि कहीं एक दूसरे दल के हिसाब से कोई बात आ सकती है, लेकिन हम यह जनता के साथ अगर नीचे उसको उतारेंगे तो वह ठीक नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बारबार केन्द्र ने आपको यह चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, स्मरण करवाया कि जिन किसानों के पिता का स्वर्गवास हो गया है, उनके एक हो, दो हो, तीन हो, जो पुत्र होते हैं या पुत्रियां होती हैं तो हमने बार-बार यह स्मरण करवाया, केन्द्र सरकार का पत्र आया कि जल्दी से उनका नामांतरण खोलिये, उनकी सूची भिजवाइये पर आपने कोई सूची नहीं भिजवाई तो यह किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है।

इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पचास हजार नये किसानों को जोड़ा जा चुका है, यह मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। पशुपालकों के हित के लिए एक लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाएंगे।

राजकीय विद्यालयों में एक हजार कक्षों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा। मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के अन्दर एक लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एक करोड़ पात्र सदस्यों को कार्ड दिये जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मन्दिर कर इन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारम्भ की जाएंगी तथा 75 हजार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। पी.एम. स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में 11 हजार आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किये जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आठ हजार गांवों को ओ.डी.एफ. प्लस बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत डेढ़ लाख घरों में जल कनेक्शन दिया जाएगा। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब कितना है?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): बस, अब ज्यादा नहीं है, एक और है। आप बैठिये। बैठिये। मेरी सरकार का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है, हम सच्ची आलोचनाओं, समालोचनाओं का सदैव स्वागत करेंगे। हम बिना किसी

(श्री भजन लाल शर्मा)

पूर्वाग्रह के समस्त सुझावों एवं पूर्व में लागू योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें अधिक बेहतर बनाकर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

हर स्तर और हर जगह से प्राप्त जन-कल्याण के लिए, जनता को तत्काल राहत देने वाली और दीर्घकालीन दोनों कार्ययोजनाओं पर बिना वक्त गंवाये हमने काम शुरू कर दिया है। जन-कल्याण के वास्तविक मुद्दों से जुड़े सुझावों का हमेशा हम स्वागत करते हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कभी-कभी हमारे मन में बात आ जाती अहम की, अहंकार पैदा हो जाता है और वह इस बात का हो जाता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। यही मैं बराबर देख रहा था सदन में कि यह होड़ लग रही थी कि ये कितनी बार खड़े हुए और मैं कितनी बार खड़ा हुआ हूं। उनके मन में यह बात आती है कि मैं सदन में ज्यादा समझता हूं मैं मेरी बात ज्यादा अधिक अच्छी तरह से कह सकता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बात को जोर से रखने में, बार-बार रखने में उसका इम्पेक्ट नहीं आता है। अगर आपकी सही बात है तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती है। अनुभव कभी भी आ सकता है और अनुभव यह भी नहीं है कि मैं पूर्ण हो गया। पूर्ण कोई भी नहीं है। हम और आपमें से कोई भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं सारी बातों का जानकार हूं और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि कभी-कभी वह दस साल का, बारह साल का, पन्द्रह साल का नौजवान ऐसी बात कह देता है कि जो हमारे और आपके अनुभव से काफी दूर है। इसलिए मैं आपसे और आम जन से भी कहना चाहता हूं। आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, अच्छा सुझाव हो, यह सरकार जन-जन की है, आपकी है, हर सुझाव को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

(समय: 19.00 बजे)

भारत की आजादी के अमृत काल के काल खण्ड में हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने हमारे देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में देखने का सपना देखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की योजनाएं बनती हैं। मैंने अधिकारियों की मीटिंग में भी यह कहा। योजनाएं

(श्री भजन लाल शर्मा)

बनती हैं, पांच साल, पांच साल, पांच साल। योजनाएं पांच के लिए नहीं, योजनाएं 25 और 30 साल की बननी चाहिए। आज यह पाइप उखड़ रहा है, आज यह हो गया। आगे आने वाले समय में आप कैसे काम करेंगे? हमारी योजना आगे का विजन देखते हुए बननी चाहिए। हमारा किस तरह से रोड मैप आगे चलने वाला है, जनसंख्या के आधार पर हमारा विजन होना चाहिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। काम चरणबद्ध तरीके से हो जाए लेकिन काम का विजन बड़ा होगा तो हमारा उद्देश्य भी बड़ा होगा, हमारा काम भी बड़ा होगा। योजनाएं हमारी ठीक प्रकार से रहेंगी और योजनाओं की क्रियान्विति चरणबद्ध तरीके से तय कर सकते हैं। यह तय कर सकते हैं कि इतने समय में यह और इतने समय में यह, लेकिन योजनाएं जब तक बड़ी नहीं बनायेंगे, हमारा विकास जो हम चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लम्बी दूरी की योजनाएं बनें।

हम वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करते हुए नीतियों का नवनिर्माण कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लायेंगे और सुशासन भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का ध्येय, माननीय प्रधान मंत्रीजी का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास', जैसा मैंने कहा, हासिल कर प्रदेश की प्रगति, समावेशी विकास को नई ऊंचाइयां देंगे।

अन्त में, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप और हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है कि अपने राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाकर देश में नम्बर एक स्टेट बनाना। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश की समद्धि, प्रगति और विकास के लिए हमारा सहयोग करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो करेंगे साहब।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी कहते हैं कि देश और समाज में चार ही जातियां हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान। इसमें सभी समाहित होते हैं। आइये, हम सब इनके उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करें तभी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र कारगर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नरेन्द्र मोदीजी

(श्री भजन लाल शर्मा)

द्वारा दी गयी गारंटी और संकल्प पत्र में किये गये वायदों को भी पूरा करने के लिए मैं कुछ आपके बीच में मोदीजी की गारंटी और हमारे संकल्प पत्र की बातें रख रहा हूं। जवाब देने के लिए तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के कई बिन्दु हैं। मुझे लगता है कि दिन में नहीं, ये रात में ज्यादा घूमते हैं। कहते हैं कि मैं टहलने जाता हूं। रात में टहलने जाते हैं? क्या जासूसी की आदत तो नहीं लग रही है? पुरानी आदत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बात है साहब, आपने लोहा मनवा दिया। ये दो-तीन जो उदास हो रहे हैं न...(व्यवधान) इनको नींद नहीं आयेगी आज।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मेरे पास कहने को और जवाब देने को बहुत कुछ है। आप इतने से ही परेशान हो गये? (व्यवधान)

देखिए, मैंने एक बात आपके सामने रखी थी। एक बात और कहना चाहता हूं। देश के अन्दर राजनीतिक पार्टियां और राजनेता की ओर जनता का विश्वास उठने लग गया है। आप मानें या नहीं मानें, लोग नेता के बारे में क्या-क्या सोचते हैं और राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या-क्या सोचते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, लेकिन राजनेता और किसी राजनीतिक दल की साख गिरती है तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा काम, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है यह हमारी गलतफहमी है। हमको सब देख रहे हैं।

एक और मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों को भ्रम भी होता है और वह भ्रम यह होता है कि जब हमको दिक्कत आती है तो हम ईश्वर के यहां जाते हैं। ठाकुरजी के पैर पकड़ते हैं। कोई हनुमानजी के पकड़ता है, कोई भौमिया बाबा के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, दुर्गा माताजी के पास जाता है और फिर जाकर यह कहते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें परेशानी है, हमारे दु:खों का हरण करेगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर वह आपकी पूजा को देख रहे हैं, आपके दु:ख को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं तो हमारे गलत काम के लिए आंख बन्द कर लेते हैं क्या? न जनता आंख बन्द करती है और न जिसके प्रति हमारा ध्येय और विश्वास है,

(श्री भजन लाल शर्मा)

वह ठाकुरजी भी आंख बन्द नहीं करता है। हम हमारे अहम में, हम हमारे वहम में कई चीजें ऐसी करने लग जाते हैं जिनकी स्थिति अपने आप में कहते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। देखने वाले बहुत हैं। दस तालों में भी देख रहा है बीस तालों में भी देख रहा है। आप जहां हैं, वहां देख रहा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर किया है बदलने के लिए और राजनेता को भी बदलने के लिए मजबूर किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने किसान भाइयों के लिए जो योजनाएं चालू कीं, वह आपको बता दीं। किसान भाई धोखे से पीड़ित रहते हैं। पिछली बार धोखे से पीड़ित थे। सम्बल देने की दृष्टि से हमने अपने संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने का वादा किया था। हमने चरणबद्ध तरीके से देय राशि प्रत्येक परिवार को छह हजार रुपये वार्षिक से बढ़ा कर बारह हजार रुपये देने का वादा किया था। इस दिशा में हमने प्रथम चरण में प्रति परिवार देय राशि को बढ़ा कर आठ हजार रुपये कर दिया है। यह हमारा प्रथम चरण है। आप कह रहे हो कि पचास दिन। आप संख्या में कमजोर हैं, गणित में कमजोर हैं। आज सही डेढ़ महीना हुआ है। आज सरकार को बने हुए 45 दिन हुए हैं।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): ये तो तीन महीना बता रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): तीन महीना कह रहे थे? हरलालजी, इनको सिखाओ कुछ।

आज 45 दिन इस सरकार को बने हुए हो गये हैं। यह हमारा है। हम इंतजार नहीं करते। चुनाव आयेंगे, हम लोक-लुभावने काम करेंगे। चुनाव आते हैं, गारंटी देंगे, घोषणा करेंगे, लगातार करेंगे। जब गारंटी आपकी नहीं है तो आप जनता को क्या गारंटी दे रहे थे? आपकी गारंटी नहीं है तो जनता को कौनसी गारंटी दे रहे हो आप? अपनी गारंटी पक्की करने के लिए ठीक होता कि आपने जो वायदे किये, पहली साल में ही उनको पूरा करते। पांच साल जनता उसका उपभोग करती तो निश्चित रूप से जनता आपके बारे में विचार-विमर्श करती, लेकिन आपने धोखा देने का काम किया। जनता ने उसका आपको जवाब देकर के उधर बैठाने का काम कर दिया।

(श्री भजन लाल शर्मा)

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आठ हजार से बढ़ कर तेरह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन किसान को हमने सम्बल देने के लिए काम किया है। लोग वादा कर जाते हैं, पूरा नहीं करते। हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं और किसान को हम किश्त में दो हजार रुपये बढ़ा कर आठ हजार रुपये कर रहे हैं।

साथ ही, हमने हमारे नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर बोनस प्रदान करने का वादा किया कि हम 2,700 रुपये करेंगे। सुन लीजिये, 2,700 रुपये करेंगे, यह वादा किया था हमने हमारे संकल्प पत्र में। इस कड़ी में प्रथम चरण के रूप में अगली फसल रबी की आ रही है। अगर अब नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद फसल आने वाली है। आपको अगर ऐसा मौका मिल जाता तो 20 दिन बाद ही करते, एक महीने बाद करते, फसल चली जाती। उसके बाद अगर कहीं होता तो होता, वो भी नहीं होता। पांच साल नहीं हुआ था। हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहली किश्त हमने 125 रुपये बढ़ाने का काम किया है। 2,275 से हमने 2,400 रुपये करने का काम किया है। इसमें हम 250 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने अभिभाषण में तो 2,750 बताया है। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हां, वह करेंगे न। बता रहे हैं न। अभी भी बोल रहा हूं। अभी बोल रहा हूं 2,750 करेंगे। करेंगे न। चरणबद्ध तरीके से, आपने सुना नहीं क्या? चरणबद्ध तरीके से 125 रुपये किये हैं हमने। आपने तो कुछ नहीं किया। सुन तो लो। हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ओलावृष्टि हुई और इन्होंने सर्वे करवाया, गिरदावरी करवायी, लोगों को मुआवजा नहीं दिया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं, हमने तो दिया है। हमने हमारे समय में दिया है। (व्यवधान) वादे ही नहीं किये उन्होंने, तो क्या देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठो। विराजो। श्रवण जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से हमने वादा किया था 1,500 रुपये का मासिक सुरक्षा पेंशन देने का। हमने संकल्प पत्र में कहा इस दृष्टि से प्रथम चरण में वर्तमान में देय 1,000 रुपये मासिक पेंशन को आगामी अप्रैल से बढ़ाकर 1,150 रुपये, डेढ़ सौ रुपये चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम हम करेंगे। 1,150 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस पर 1,800 करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान सरकार पर आयेगा।

माननीय अध्यक्षजी, कभी-कभी यह बात करते हैं, संविधान में संशोधन विधेयक का भी यह विरोध करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आजादी के बाद चाहे वह पाकिस्तान के अन्दर हिन्दू हैं, चाहे अफगानिस्तान के अन्दर सिख हैं, सिख भाई हैं हमारे, इधर बंगलादेश के अन्दर जैन या सिख हैं, वह वहां से प्रताड़ित होकर, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अपनी जमीन-जायदाद छोड़कर, अपनी इज्जत बचाकर वह अगर देश में आ गये हैं तो उनको विस्थापित करना गुनाह है क्या? नहीं है तो यह इतनी आवाज हो रही है, शाहीन बाग़ में हल्ला मचा है और हमारे सामने वाली पार्टी ने विरोध करने का काम किया। यह क्या है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं वे लोग हमारे हैं, वे लोग अपने हैं। उनका विरोध कैसा? हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अनेकों पाक विस्थापित परिवार जो रह रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं, हमारी सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पाक विस्थापित परिवारों के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी। इनके लिये एक विशेष योजना की घोषणा करता हूं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मेरा मानना है कि मनुष्य अगर ठान ले तो हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम प्रदेश को अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का अंश है।

"है कौन विघ्न ऐसा जग में,
टिक सके आदमी के मग में?
खम ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पांव उखड़।

(श्री भजन लाल शर्मा)

मानव जब जोर लगाता है,

पत्थर पानी बन जाता है।"

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत होगी, आपका दृढ़ विश्वास मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राजस्थान का विकास करने में हमारी यह सरकार किसी तरह की कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी जी से बहुत प्रेम है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय जी का जो अभिभाषण था, उसका समर्थन करते हुए मैं मेरी बात को पूरी करता हूं और कहता हूं कि मन में विश्वास रखो, कल्पना साकार होगी। राजस्थान आगे बढ़ेगा, हर स्थिति में आगे बढ़ेगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुतबहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो संशोधन प्रस्ताव आये हैं।

प्रश्न यह है कि शान्ती धारीवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि रफीक खान, सदस्य विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव सबको सर्कुलेट हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.17 बजे गुरुवार, 08 फरवरी 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बिछीवाड़ा (डूंगरपुर) में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

68. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में ट्रोमा सेंटर खोला गया है? यदि हां, तो भूमि आबंटित होने के बाद अब तक भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं ? सरकार उक्त का भवन कब तक निर्मित करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 13/2023-24 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिछीवाड़ा में ट्रोमा सेन्टर के लिए पद, निर्माण एवं उपकरणों के क्रय की स्वीकृति जारी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेन्टर एक ही स्थान पर संचालन हेतु सम्मिलित भूमि की आवश्यकता होगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिछीवाड़ा के वर्तमान परिसर एवं ट्रोमा सेन्टर हेतु आबंटित भूमि (0.81 हैक्टेयर) में लगभग एक किमी. की दूरी होने के कारण ट्रोमा भवन निर्माण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकी है।

इस हेतु चिकित्सा विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से अतिरिक्त 1.0 हैक्टेयर भूमि आबंटन हेतु प्रयासरत है। उक्तानुसार भूमि आबंटन होने पर उक्त निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

युवाओं को देय बेरोजगारी भत्ता

69. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में

(श्री चेतन पटेल कोलाना)
कितने युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

राज्य में विगत 03 वर्ष (01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023) तक कुल 5,39,138 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राज्य में 01 फरवरी, 2019 से नियमित रूप से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत स्नातक पात्र बेरोजगार आशार्थियों को पात्रता की शर्त पूर्ण करने पर 2 लाख की अधिकतम सीमा के अंतर्गत नियमित रूप से भत्ते का भुगतान किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

मेड़ता में संचालित अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय

70. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कुल कितने अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय खोलने के बदले में कितने हिन्दी माध्यम विद्यालय बंद किये गये एवं इसके कारण कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कुल कितने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कुल 10 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उक्त विद्यालय खोलने के क्रम में 05 हिन्दी माध्यम राजकीय विद्यालयों का रूपान्तरण किया गया शेष 05 विद्यालयों को डीमर्ज कर महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालयों में रूपान्तरित किया गया।

उक्त हिन्दी माध्यम के 05 विद्यालयों को महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालय में रूपान्तरित करने से इन विद्यालयों में अध्ययनरत 304 विद्यार्थियों को, जो हिन्दी माध्यम में अध्ययन करना चाहते थे, को निकटतम विद्यालयों में समायोजित किया गया। उक्त का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3). विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खोले गये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में शैक्षणिक स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कार्यानुभव में शिथिलता

71. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कार्मिकों की पदोन्नति के लिये कार्यानुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2024-25 में भी पदोन्नति के लिये कार्यानुभव में शिथिलता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को देय ए.सी.पी. 9, 18, 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24, 32 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में पदोन्नति के लिए कार्यानुभव में 02 वर्ष का शिथिलन दिया गया था।

वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की भांति कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यानुभव में 02 वर्ष का शिथिलन देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) इस संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बूटोली ग्राम पंचायत (अलवर) में मेवात विकास बोर्ड से स्वीकृत कार्य

72. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत, बूटोली में मेवात विकास बोर्ड द्वारा पूर्व में चालू रास्ते की चौड़ाई एवं कटाई (घाटी कटाई) हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत, बूटोली में मेवात विकास बोर्ड द्वारा मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत घाटी कटाई कार्य ग्राम बूटोली, ग्राम पंचायत बूटोली, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कार्य का अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन के क्रम में जिला परिषद्, अलवर के आदेश क्रमांक 69-75 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अनुमोदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्य हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उक्त संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में स्वीकृत पद

73. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय उप जिला अस्पताल की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल)

(2) उक्त अस्पताल में वर्तमान में कितने चिकित्सक एवं स्टाफ के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेतडी पंचायत समिति, खेतड़ी जिला नीम का थाना को दिनांक 03.05.2023 को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

उप जिला अस्पताल, खेतड़ी जिला नीम का थाना के भवन निर्माण हेतु राज्य मद में राशि रु. 4093.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2023 को जारी हुई है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। दिनांक 07.10.2023 को निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 2828.04 लाख का कार्यादेश जारी किया जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) उप जिला चिकित्सालय खेतड़ी, नीम का थाना में विशेषज्ञ/ चिकित्सकों के 22 पद स्वीकृत, 12 कार्यरत एवं 10 पद रिक्त हैं (परिशिष्ट-द) एवं अराजपत्रित संवर्ग के 86 पद स्वीकृत, 67 कार्यरत एवं 19 पद रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बयाना में वक्फ सम्पत्तियां

51. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड बयाना तथा रूपवास में वक्फ बोर्ड की कितनी अचल सम्पत्ति कहां-कहां पर स्थित है? उक्त सम्पत्तियों में से कितनी सम्पत्ति पर अतिक्रमियों ने कितने समय से कब्जा कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार को वक्फ बोर्ड की अचल सम्पत्तियों से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड बयाना में 98 तथा रूपवास उप खण्ड में 64 वक्फ सम्पत्तियां हैं, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् वक्फ रिकार्ड में उप खण्ड बयाना की 02 वक्फ सम्पत्तियां बतौर नवीन पंजीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस प्रकार उप खण्ड बयाना तथा रूपवास उप खण्ड में कुल 164 वक्फ सम्पत्तियां हैं।

कस्बा बयाना की 02 वक्फ सम्पत्ति कब्रिस्तान बयाना पर 23 अतिक्रमियों के विरुद्ध केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-54 अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड के समक्ष बेदखली प्रकरण विचाराधीन है। इसी प्रकार आर.पी.पी. एक्ट, 1964 के तहत सम्पदा अधिकारी वक्फ राजस्थान जयपुर में कस्बा बयाना की 04 वक्फ सम्पत्तियों के कुल 23 बेदखली प्रकरण विचाराधीन हैं।

इस प्रकार बयाना तथा रूपवास उप खण्ड की उपरोक्त 164 वक्फ सम्पत्तियों में से कस्बा बयाना की 04 वक्फ सम्पतियों पर 46 अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली के प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनका तहसीलवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। वक्फ सम्पत्ति पर सन् 1975 से अतिक्रमण चला आ रहा है।

(2) वक्फ अधिनियम-1995 के अनुसार वक्फ सम्पत्ति की वार्षिक

(वक्फ मंत्री)

आय पर वक्फ बोर्ड को 7 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होता हैं। वक्फ सम्पत्तियों की वार्षिक आय निश्चित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड बयाना में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित 98 एवं 02 नवीन दर्ज, इस प्रकार कुल 100 वक्फ सम्पत्तियां हैं। वक्फ कमेटी कस्बा बयाना को वक्फ सम्पत्तियों से वर्ष 2017-2018 में सी.ए. रिपोर्ट अनुसार आय राशि रुपये 5,13,872/- एवं वर्ष 2018-2019 में आय राशि रुपये 23,35,511/- हुई हैं। उक्त आय पर राजस्थान वक्फ बोर्ड को 7 प्रतिशत अंशदान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 से वर्तमान तक उपरोक्त वक्फ कमेटी से इस कार्यालय को अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उप खण्ड की किसी वक्फ सम्पत्ति से वक्फ बोर्ड को अंशदान प्राप्त नहीं होता है।

(सूचियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

खानपुर के थानों में दर्ज प्रकरण

52. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के थानों में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार के कितने मुकदमे दर्ज हुए तथा उक्त दर्ज मुकदमों में कितनों में एफ.आर. लगाई गई तथा कितने मुकदमों में कितनी गिरफ्तारी हुई तथा कितनों में गिरफ्तारी होना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के थानों में उक्त अवधि में महिलाओं की गुमशुदगी के कितने मामले दर्ज किये गये तथा उक्त में से कितनी महिलाओं को अब तक बरामद किया गया तथा कितनी शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की उक्त को बरामद करने के लिए क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के थानों में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार के दर्ज मुकदमों, एफ.आर. शुदा मुकदमों, मुकदमों में गिरफ्तारी व गिरफ्तारी होना शेष है, का विवरण निम्नानुसार है:-

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	शीर्षक	2019	2020	2021	2022	2023	योग	एफ.आर. शुदा प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तारीशुदा प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तारी से शेष प्रकरणों की संख्या
1	चोरी	87	95	105	88	94	469	323	140	5
2	हत्या	8	8	15	5	10	46	16	29	0
3	डकैती	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बलात्कार	31	40	28	28	37	164	56	105	0
	योग	**126**	**143**	**148**	**121**	**141**	**679**	**395**	**274**	**5**

उक्त दर्ज प्रकरणों का थानेवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) खानपुर विधान सभा क्षेत्र के थानों में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक महिलाओं की गुमशुदगी के दर्ज मामले, बरामदगी व शेष बरामदगी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	शीर्षक	2019	2020	2021	2022	2023	योग	बरामद महिलाओं की संख्या	शेष महिलाओं की संख्या
1	महिलाओं की गुमशुदगी के दर्ज मामलों की संख्या	90	87	96	117	110	500	433	68

(गृह मंत्री)

उक्त दर्ज गुमशुदगी के मामलों का थानेवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) गुमशुदाओं को दस्तयाब करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर परिपत्र क्रमांक 241-310 दिनांक 27.01.2023 द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

खण्डेला में दर्ज गुमशुदगी प्रकरण

53. श्री सुभाष मील (खण्डेला): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक बच्चों, लड़कियों व अन्य की गुमशुदगी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? थानेवार, वर्षवार कारण सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में हत्या व हत्या के प्रयास के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? उक्त में से कितने मामलों को खोलने में पुलिस को सफलता मिली तथा कितने मामले खुलासे के अभाव में लम्बित हैं व कितनों में एफ.आर. लगा दी गई है? उक्त लम्बित मामलों को कब तक खोल दिया जायेगा? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में चोरी, नकबजनी व लूट की कितनी घटनाएं हुई हैं? चोरी किये गये माल में से कितनी बरामदगी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक बच्चों लड़कियों व अन्य की गुमशुदगी के कुल 416 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिन पर की गयी कार्यवाही का थानेवार, वर्षवार कारण सहित संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक दर्ज हत्या व हत्या के प्रयास के प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है-

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों की वर्तमान स्थिति		
			चालान	एफआर	लम्बित
1.	हत्या	31	13	18	00
2.	हत्या का प्रयास	40	27	09	04
	योग	71	40	27	04

थानेवार/शीर्षकवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में उक्त अवधि में चोरी, नकबजनी व लूट के दर्ज प्रकरणों एवं माल बरामदगी का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या	माल बरामदगी विवरण (रुपयों में)
1.	चोरी	713	83,28,400
2.	नकबजनी	115	63,38,000
3.	लूट	09	14,45,700
	योग	**837**	**1,61,12,100**

थानेवार/शीर्षकवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर में कृषि योजनाओं के लाभार्थी

54. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में कृषि को बढ़ावा देने की योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाले कौन-कौनसे कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में कृषि को बढ़ावा देने की योजनाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा कुल 12,200 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है, जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

कृषकों हेतु संचालित योजनाएं

55. श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी में उक्त योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में कितने कृषकों को लाभान्भित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कृषि के उपयोग हेतु कौन-कौनसे कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जिला बूंदी में विगत तीन वर्षों में कृषि एवं उद्यान विभाग के तहत क्रियान्वित योजनाओं में लाभान्भित कृषकों का विधान सभावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(3) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना तथा

(कृषि मंत्री)
विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है, जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-5 व 6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परबतसर में विधायक कोष से आबंटित राशि

56. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

परबतसर में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष से माह जनवरी, 2019 से दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक कितनी राशि आबंटित हुई व कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई व कितनी शेष है? आबंटन वर्ष व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परबतसर में क्षेत्रीय विधायक निधि कोष से माह जनवरी, 2019 से माह 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 1,950.00 लाख रुपये आबंटित हुए, जिसके पेटे वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक राशि रुपये 1,834.19 लाख रुपये विकास कार्यों पर व्यय किये गये तथा राशि रुपये 115.81 लाख अवशेष रही है।

आबंटित राशि, व्यय राशि एवं अवशेष राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट -अ पर तथा कार्यों के पेटे व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नकली दवाओं की रोकथाम हेतु उपाय

57. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक किन-किन कम्पनियों की कौन-कौनसी दवाओं के सैम्पल फेल हुए? उक्त दवाइयां किन-किन रोगों के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में नकली दवाओं के विक्रय पर रोकथाम के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 738 दवाओं के नमूने अमानक कोटि के घोषित हुए हैं। 01 जनवरी, 2019 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान घोषित अमानक कोटि के दवा नमूनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, जिसमें औषधियों के नाम, निर्माण कम्पनियों तथा औषधि के उपयोग का विवरण दर्ज है।

(2) 01 जनवरी, 2019 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान 738 अमानक कोटि घोषित दवा के नमूनों में से 90 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है, 77 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है, 43 प्रकरणों में दवा निर्माण की अनुमति निलंबित/निरस्त की जा चुकी है एवं 528 प्रकरण जांच/अनुसंधान हेतु प्रक्रियाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नकली दवाओं के निर्माण क्रय विक्रय पर रोकथाम हेतु नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके द्वारा गोपनीय सूचना तंत्र/शिकायत/सन्देह के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 89 औषधियों के नमूने नकली पाये गये। उपरोक्त 89 नकली दवा प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में वाद दायर किये जा चुके हैं, 41 प्रकरणों में संबंधित निर्माता फर्मों सहित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 23 प्रकरण विभाग में विभिन्न स्तरों पर जांच/अनुसंधान हेतु एवं संबंधित निर्माता फर्मों के राज्य औषधि नियंत्रकों के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की कार्ययोजना

58. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विगत सरकार द्वारा निजी अस्पतालों के जांच केन्द्रों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने व अत्यधिक शुल्क को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण:-

1. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 को अंगीकृत करने के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन द्वारा शासकीय संकल्प पारित किया गया।

2. उक्त एक्ट के सेक्शन 54 के अन्तर्गत नियम बनाकर राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियम-2013 की दिनांक 05 जून, 2013 को अधिसूचना जारी की गई।

3. विभिन्न चिकित्सकीय संगठनों के आपत्ति के उपरान्त दिनांक 16 मार्च, 2015 को राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (संशोधन)-2015 की अधिसूचना जारी की गई।

4. रोग विज्ञान प्रयोगशाला के न्यूनतम मानक की भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 मई, 2018 को अधिसूचना जारी की गई।

वैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

59. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्त चिकित्सकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर के उप जिला चिकित्सालय, वैर पर वर्तमान में ओ पी डी, आई पी डी, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, परिवार कल्याण, टीकाकरण, प्रसव आपातकालीन सेवायें, लैब, एक्सरे (डिजिटल), चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एन.बी.एस.यू., आक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस बेस, आई सी यू, लेबर रूम एवं ओ.टी. जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुसावर में वर्तमान में ओ पी डी, आई पी डी, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, परिवार कल्याण, टीकाकरण, प्रसव आपातकालीन सेवायें, लैब, एक्सरे (डिजिटल), सोनोग्राफी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एन बी एस यू, आक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस बेस, ई-संजीवनी लेबर रूम एवं ओ टी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1,265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को भरने हेतु 172 पदों की अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है।

(2) जी हां। उप जिला चिकित्सालय, वैर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का एक पद स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में डॉ. मंजू कुमारी, चिकित्सा अधिकारी (गायनी) कार्यरत/पदस्थापित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुसावर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का एक पद स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में डॉ. सन्तोष कुमारी गुर्जर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) कार्यरत/पदस्थापित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना के चिकित्सा सुविधाविहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

60. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुए तथा क्या सभी नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत केन्द्रों हेतु भवन की स्वीकृति जारी हो चुकी

(श्री हमीर सिंह भायल)

है? यदि हां, तो कितने भवन बन गये हैं व कितने भवनों की स्वीकृति शेष है तथा उक्त की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितनी ग्राम पंचायतें चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं? जनसंख्या के आधार पर कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए? नियमानुसार शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (नवीन जिला बालोतरा) में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2023 तक 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त 13 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

कुल 15 नवीन ग्राम पंचायत में से 13 में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। शेष दो ग्राम पंचायत मुख्यालय, कोटड़ी, पंचायत समिति, समदड़ी एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय, सिणधरी चारणान पंचायत समिति, सिणधरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं।

कुल 13 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 05 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा तथा 08 उप स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त चल रहा है, उन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर अन्यत्र स्थान से ए एन एम को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों का रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

भर्ती पूर्ण होने तक नव-स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों के रिक्त पदों को अस्थायी आधार (यू टी बी) पर भरने की अनुमति प्रदान की गई है।

(2) 13 स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर भवन बनाये जा रहे हैं एवं 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र में भूमि आबंटन नहीं होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

शेष उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि की उपलब्धता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) दो ग्राम पंचायत मुख्यालय कोटड़ी, पंचायत समिति, समदड़ी एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय, सिणधरी चारणान, पंचायत समिति सिणधरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं होने के कारण वंचित हैं।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत पंचायत समिति सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी का क्षेत्र आता है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति, सिवाना में 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

पंचायत समिति, समदड़ी में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। पंचायत समिति, सिणधरी में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए जिसमें 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति सिवाना एवं समदड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची, सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

थानागाजी में औद्योगिक इकाई की स्थापना

61. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वृहद स्तर पर औद्योगिक इकाई नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में

(श्री कान्ति प्रसाद)

वृहद् स्तर पर औद्योगिक इकाई की स्थापना कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वृहद् स्तर की औद्योगिक इकाई मैसर्स कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड, ग्राम मालूताना, तहसील थानागाजी में स्थापित है।

उद्यमियों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार मांग तथा खपत क्षेत्र से नजदीकी/दूरी के आधार पर उद्योग स्थापित किया जाता है।

उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने के लिए विभिन्न योजनाएं/नीतियां संचालित हैं।

वर्तमान में वृहद् स्तर पर औद्योगिक इकाई लगाने पर "राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022" के अन्तर्गत योजनानुसार परिलाभ प्रदान किए जाते हैं।

योजनान्तर्गत 500 करोड रुपये से अधिक निवेश करने वाली वृहद् इकाइयों हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज का प्रावधान किया गया है।

बामनवास में ग्राम पंचायत मद से विकास कार्य

62. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2023 तक ग्राम पंचायत मद से कौन-कौनसे विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कतिपय ग्राम पंचायतों के द्वारा मौके पर काम नहीं करवाकर राशि उठा ली गई है? क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों में अनियमितता करने वाले सरपंचों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनवरी, 2019 से अब तक ग्राम पंचायत मद (फण्ड) से किये गये विकास कार्यों की ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य

63. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद द्वारा माह जनवरी, 2019 से माह नवम्बर, 2023 तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा कहां-कहां पर, क्या-क्या व कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में करवाये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा व कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया?

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, छबड़ा व छीपाबड़ौद द्वारा माह जनवरी, 2019 से माह नवम्बर, 2023 तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त अवधि में ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये कार्य एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। तकनीकी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसका नामवार विवरण व दिनांक परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

काम्बा ग्राम पंचायत (आहोर) में निर्मित शौचालय

64. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत काम्बा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत काम्बा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि कुल 861 भुगतान योग्य परिवारों में से 860 परिवारों का भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ एक परिवार का भुगतान SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है।

बहरोड़ में संचालित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय

65. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? क्या उक्त विद्यालयों में पर्याप्त भवन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो उक्त के भवन अब कब तक निर्मित करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में खेल मैदान, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थापित हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त को स्थापित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विद्यालयों में बिजली, पानी व शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 30 महात्मा गांधी राजकीय

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं। उक्त में दो विद्यालयों में पर्याप्त भवन नहीं हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-कक्षों एवं अन्य कक्षों यथा एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष की उपलब्धता/कमी का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों व अन्य कक्षों (एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष) तथा नवीन भवनों के निर्माण का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्यालयों में निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या 320 है तथा रिक्त पदों की संख्या 63 है, जिनका विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(3) उक्त विद्यालयों में से एक विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध नहीं है।

शेष प्रश्नोत्तर 1 के खण्ड 03 के अनुसार।

(4) उक्त समस्त विद्यालयों में बिजली, पानी व शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय विद्यालयों में स्कूल बैग्स का नि:शुल्क वितरण

66. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये कौन-कौनसी योजनाएं नि:शुल्क हैं तथा उक्त नि:शुल्क योजनाओं से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं एवं कितने वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल बैग वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय विद्यालयों में निम्नांकित नि:शुल्क योजनाएं संचालित की जा रही हैं-

1. समग्र शिक्षान्तर्गत नि:शुल्क यूनिफार्म योजना- उक्त योजनान्तर्गत सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के 64,51,685 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। इसी प्रकार वर्तमान सत्र 2023-24 में कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराई जा रही है।

2. नि:शुल्क विद्यार्थी दैनन्दिनी वितरण- उक्त योजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क विद्यार्थी दैनन्दिनी उपलब्ध कराई जाती है। उक्त योजनान्तर्गत यू-डाइस के अनुसार वर्तमान सत्र में लाभान्वित 90,06,720 विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

3. नि:शुल्क कार्य पुस्तिकाएं:- कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को अधिकाधिक अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सीखने के प्रतिफल के अनुसार कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण कर वितरण किया गया। सत्र 2023-24 में 47,77,464 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

4. नि:शुल्क कला किट- कक्षा 1 से 5 तक के 40,71,812 विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 में नि:शुल्क कला किट वितरण किया गया। योजनान्तर्गत कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं है।

5. पीएम पोषण एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना- मिड-डे मील योजनान्तर्गत संचालित उक्त योजना के तहत राज्य के राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को पोषाहार एवं पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत 63.57 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजनान्तर्गत कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं है।

6. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना- प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित उक्त योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज वास्तविक

(शिक्षा मंत्री)

नामांकन के आधार पर नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत सत्र 2023-24 में कुल 85,15,306 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं है।

7. नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना-माध्यमिक शिक्षान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेशित सभी बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 हेतु 7,31,163 साइकिल क्रय करने हेतु निविदा पश्चात् आपूर्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब तक 31,132 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। साइकिलों का वितरण लगातार किया जा रहा है।

(2) राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से स्कूल बैग खरीदने के लिये सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव संकल्प पत्र में शामिल है, जिस पर निर्देशानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही कर दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में पशुपालकों को अनुदान

67. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना कब से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में विगत तीन वर्षों में पशुपालकों को कब-कब व कितना-कितना अनुदान दिया गया? जिला सीकर का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना को और सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना वर्ष 2013-14 से शुरू की गई, जो अप्रैल, 2014 में बन्द हो गई थी। उक्त योजना पुन: फरवरी, 2019 से शुरू की गई जो लगातार चल रही है।

(2) उक्त योजना में विगत तीन वर्षों में दिये गये अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

(गोपालन मंत्री)

1.	2020-21	178.04 करोड़
2.	2021-22	202.01 करोड़
3.	2022-23	555.55 करोड़

उक्त अनुदान का दुग्ध संघवार, वर्षवार एवं माहवार विवरण प्रदर्श-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

विगत तीन वर्षों का जिला सीकर का विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण प्रदर्श-द पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना का वर्तमान में और सुदृढ़ीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नीम का थाना में नंदीशालाओं का निर्माण

68. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आवारा पशुओं की व्यवस्था हेतु नंदीशालाओं का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में अब तक कहां-कहां नंदीशालाएं खोली गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नंदीशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खोली गई नंदीशालाओं में आवारा पशुओं को भेजने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2019-20 में बेसहारा/निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित की जायेंगी, की घोषणा की गयी थी। बजट घोषणा 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक करने की दृष्टि से इन नंदीशालाओं को 01 करोड़ 50 लाख रुपये के मॉडल के आधार पर बनाने की घोषणा की गयी थी।

(गोपालन मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में दो पंचायत समितियां-नीम का थाना व पाटन हैं। उक्त दोनों पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीशाला के निर्माण एवं संचालन हेतु संस्था के चयन के लिए दिनांक 03.02.2022 व 11.01.2023 को दो बार निविदायें आमंत्रित की गई। प्रथम निविदा में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। द्वितीय निविदा में एक मात्र संस्था नवयुवक मण्डल, जस्सीका की ग्राम जस्सीका बास से पंचायत समिति-नीमकाथाना के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका चयन कर उक्त संस्था को पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। संस्था द्वारा अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की बजट घोषणा की गयी है। उक्त विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में नंदीशाला खोलने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु पंचायत समिति पाटन के लिए किसी संस्था द्वारा निविदा में भाग नहीं लेने के कारण नंदीशाला नहीं खोली जा सकी। पंचायत समिति, नीम का थाना में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला हेतु संस्था का चयन किया जाकर कार्य आदेश दिनांक 20.06.2023 को जारी किया जा चुका है।

(3) पंचायत समिति नंदीशाला जनसहभागिता योजना के प्रावधानों के तहत निराश्रित नर गोवंश को रखने के संबंध में निम्न मानदण्ड है-

1 नंदीशाला में सार्वजनिक स्थलों/सड़कों/गांव/शहरों से निराश्रित नर गोवंश को आश्रय दिया जायेगा। जिले की अन्य संचालित गोशालाओं में आवासित नंदी गोवंश को नव स्थापित नंदीशाला में किसी भी हाल में हस्तान्तरित नहीं किये जाने का प्रावधान है।

2 नव स्थापित नंदीशालाओं में एक वर्ष में न्यूनतम 250 नंदियों को संधारित किया जाना आवश्यक है।

3 चयनित नंदीशाला को न्यूनतम 250 नर गोवंश की देखभाल का कार्य न्यूनतम 20 वर्षों तक करना होगा।